राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १] तृतीय विधान सभा के प्रथम सत्र, १९६२ का २८ वां दिवस [संख्या १८

सोमवार, दिनांक ९ अप्रेल, १९६२

विधान सभा की बैठक म. पू. ११ बज कर ७ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सिंचाई, शिक्षा, राजस्व, श्रम-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

वेस्ट वेयर, सपोटरा पर पुलिया का निर्माण

१५५. **श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि बन्ध कालीसिल, तहसील सपोटरा का वेस्ट वेयर टूटने के कारण बरसात में आवागमन का मार्ग बन्द हो जाता है ?

(२) क्या यह सही है कि पानी के अधिक बहाव के कारण हर साल कई पशु एवं मनुष्य बह कर मरते हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के निवासियों ने इस पर एक पुलिया बनाने की मांग की थी ? यदि हां, तो यह पुलिया कब तक बन जायेगी ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी नहीं। परन्तु बरसात में वेस्ट वेयर........

श्री गोविन्दसहाय : जरा जोर से बोलिये।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : (१) जी नहीं। परन्तु बरसात में वेस्ट वेयर के ऊपर से ज्यादा पानी निकलने पर मार्ग अवश्य बन्द हो जाता है।

(२) ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है।

(३) जी हां। यह मांग विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसहाय : मुझे निवेदन करने

Page No.2

(श्री गोविन्दसहाय)

का यह है कि इस मामले में दो बार उच्चाधिकारियों को मौके पर ले जाकर बताया गया है और उन्होंने 'हां' किया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : मैंने निवेदन किया कि यह मांग विचाराधीन है।

श्री गोविन्दसहाय : कितने अर्से के बाद पूरा हो जायगा ? बरसात में बड़ी दिक्कत रहती है। आवागमन का रास्ता बिल्कुल बन्द हो जाता है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : रास्ता बन्द तो हजारों साल से पड़ा हुआ है। यह प्रश्न विचाराधीन है। फैसला होने पर निर्णय किया जायगा।

श्री गोविन्दसहाय : पहले रास्ता बन्द नहीं होता था। बांध तो अभी बना है और वेस्ट वेयर भी अभी बना है और टूटा है। टूटने के बाद रास्ता बन्द हुआ है। पहले तो रास्ता साफ रहता था।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : बांध टूटा नहीं है। ज्यादा बरसात होती है तो वेस्ट वेयर में से पानी निकलता है। आपके रास्ते के बीच में तो नदी आती है तो रास्ता तो पहले भी बन्द पड़ा था।

श्री गोविन्दसहाय : यह मन्त्री महोदय के पास रिपोर्ट बिल्कुल गलत है कि वेस्ट वेयर नहीं टूटा है। वेस्ट वेयर में से पानी बहुत बड़ी तादाद में से निकल जाता है उसकी वजह से इतनी बड़ी नदी बन गई है। सिंचाई विभाग के जो उप-मन्त्री श्री सारण साहब उस वक्त वे मौके पर जाकर देख भी आये थे। उनको भी बताया गया था।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : इस सम्बन्ध में जल्दी ही फैसला किया जायेगा।

प्रश्न संख्या १५६

श्री अध्यक्ष : श्री सम्पतलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १५७

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री भैरवलाल 'काला बादल'

विद्यालय भवन का निर्माण

१५८. **श्री भैरवलाल 'काला बादल'** (अकलेरा-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कोटा, सूरजपोल (गुमानपुरा) की स्कूल बिल्डिंग नहर का नाला बनाते समय तोड़ दी गई थी ? यदि हां, तो सरकार ने दूसरी बिल्डिंग कहां बनाई ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : यह सही है कि कोटा, सूरजपोल (गुमानपुर) की स्कूल बिल्डिंग नहर का नाला बनाते समय तोड़ दी गई थी। अब स्कूल की दूसरी बिल्डिंग गुमानपुर में ही बनाई जायेगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह कब तोड़ी गई थी, साहब ?

श्री परसराम मदेरणा : कब तोड़ी गई थी उसका टाइम तो मेरे पास नहीं है लेकिन जब मेन केनाल की खुदाई हुई थी तब एलाइनमेन्ट में आई थी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इसे तुड़वाने के बाद रकम मंजूर की गई थी दूसरी जगह इमारत बनाने के लिये उसका क्या हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : जी हाँ, साइट का लोकेशन कर दिया गया। लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम, कोटा का एरिया है उसके मेन रोड पर साइट तय कर दी है। टेन्डर इन्वाइट कर लिये गये हैं, जल्दी ही कार्य शुरू होगा।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : कितनी लंबी चौड़ी जमीन छोड़ी गई है इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट द्वारा ?

श्री परसराम मदेरणा : इस समय बिल्डिंग का जो एसेसमेन्ट किया गया था वह ४६,६५०) रु० का था, लेकिन मेन बिल्डिंग ८१,०१०) रु० की सैंक्शन की गई है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : काम चालू हो गया क्या ?

श्री परसराम मदेरणा : टेन्डर इन्वाइट किये गये हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने हाल ही में ५. ३. ६२ को सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर के पास स्वीकृति के लिये कागजात भेजे हैं। वहां से स्वीकृति आने पर काम शुरू किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : स्कूल की बिल्डिंग के लिये बात चल रही है, रकम मौजूद है, जगह मौजूद है फिर इतना टाइम क्यों लगा ?

श्री अध्यक्ष : टेन्डर्स भी मौजूद हैं। अब जल्दी हो जायगा।

श्री परसराम मदेरणा : पहले एडजस्टमेन्ट का प्रश्न था। बुक एडजस्टमेन्ट के लिये अब मूव कर दिया गया है। बुक एडजस्टमेन्ट हो जायगा तब काम शुरू हो जायगा। यह डिफिकल्टी पहले थी। अब टेन्डर मांग लिये गये हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : इस इमारत में पढ़नेवाले छात्र अब कहाँ पढ़ते हैं या घर बैठे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब जल्दी बन जायगी।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पहले बंद रही थी।

राजस्थान नहर

१५६. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान नहर निर्माण का फेज्ड प्रोग्राम क्या है ?

(२) सन् १६५६-६०,६०-६१,६१-६२ में उक्त नहर निर्माण के लिये कितनी धनराशि रखी गई थी ? इस राशि में से कितना

(श्री भीमसेन)

कितना खर्च किया गया तथा वास्तविक कार्य कितना हो सका ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम-सारण) : प्रश्न (१) व (२) में चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री भीमसेन : हमें भी मालूम होना चाहिये कि क्या रखा है सदन की मेज पर ?

श्री दौलतराम सारण : आप पढ़ लीजिये।

श्री भीमसेन : कुछ जानकारी होनी चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : लम्बी-चौड़ी लिस्ट है।

श्री भीमसेन : कितना खर्चा पहले किया गया, गत वर्ष कितना खर्चा किया और कितना काम हुआ ?

श्री दौलतराम सारण : यह सारी सूचना प्रस्तुत सूची में अंकित कर दी गई है।

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में बता दें कि टारगेट्स के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं।

श्री दौलतराम सारण : करीब करीब ठीक ही चल रहा है काम।

श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : 'करीब करीब ठीक ही चल रहा है' का मतलब यह है कि कुछ धीमा चल रहा है ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने करीब करीब ठीक चल रहा है, यह कहा है।

प्रश्न संख्या १६०

श्री अध्यक्ष : श्री चंद्रसिंह।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १६१

श्री लक्ष्मीचंद।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

श्री श्योपतसिंह।

खराबा सिस्टम की भाखरा क्षेत्र में समाप्ति

१६२. **श्री श्योपतसिंह** (हनुमानगढ़) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार ने भाखरा क्षेत्र में प्रचलित खराबा सिस्टम खत्म करने का फैसला किया है ?

(२) यदि हां, तो क्यों और फैसला कब से क्रियान्वित किया जावेगा ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : प्रश्न यह है कि गंग केनाल एरिया में पेरेनियल नहर है वहां फसल में खराबी आती है तो खराबा दिया जाता है। भाखरा नहर का पानी पेरेनियल नहीं है। एक बार भी फसल में पानी नहीं देते हैं तो कमजोर रहती है। ऐसी हालत में

(श्री केदारनाथ)

वहां खराबा नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री दौलतराम सारण : आपका प्रश्न यह था "(१) क्या सरकार ने भाखरा क्षेत्र में प्रचलित खराबा सिस्टम खत्म करने का फैसला किया है ? (२) यदि हां, तो क्यों और फैसला कब से क्रियान्वित किया जायगा ।" इसका उत्तर पहले का मैंने निवेदन किया है 'जी नहीं' और दूसरे का 'प्रश्न नहीं उठता' ।

श्री श्योपतसिंह : क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि गंग केनाल पेरेनियल होने पर भी खराबा छोड़ा जाता है तो भाखरा में क्यों नहीं छोड़ा जाता ?

श्री दौलतराम सारण : भाखरा में भी छोड़ा जाता है ।

श्री श्योपतसिंह : आपने कहा कि प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दौलतराम सारण : आपने प्रश्न में यह पूछा कि प्रचलित खराबा सिस्टम को खत्म करने का फैसला किया है क्या ? उसका उत्तर मैंने दिया, 'जी नहीं ।'

श्री श्योपतसिंह : क्या सरकार के ध्यान में है कि भाखरा में खराबा नहीं छोड़ा जाता ?

श्री दौलतराम सारण : मैंने निवेदन किया है कि छोड़ा जाता है ।

श्री श्योपतसिंह : मैं इत्तला के लिये कहता हूँ कि नहीं छोड़ा जाता है ।

श्री दौलतराम सारण : मेरी सूचना यह है कि खराबा वहां छोड़ा जाता है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कितना खराबा छोड़ा गया ?

श्री दौलतराम सारण : यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री हरदत्तसिंह : कितना खराबा छोड़ा जाता है ? नियम के अनुसार छोड़ा जाता है या नहीं ?

श्री दौलतराम सारण : नियम के अनुसार ही छोड़ा जाता है ।

श्री श्योपतसिंह : भाखरा में खराबा नहीं छोड़ा जाता है जब कि गंग केनाल जो पेरेनियल है उसमें छोड़ा जाता है ।

श्री दौलतराम सारण : भाखरा में भी छोड़ा जाता है । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सन् ६०–६१ में १६,६६१ एकड़ का छोड़ा गया है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या खराबा बाढ़ आने के कारण छोड़ा गया या फसल के कारण छोड़ा गया ?

श्री दौलतराम सारण : भाखरा केनाल एरिया में बाढ़ कहां से आई ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भाखरा केनाल एरिया में ही बाढ़ आई थी ।

श्री दौलतराम सारण : हर साल छोड़ा गया है ।

श्री भीमसेन : पिछले दो वर्षों में कहां कहां खराबा छोड़ा गया, क्या सदन को सूचना देने की कृपा करेंगे ?

श्री दौलतराम सारण : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, अलग प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कितना खराबा बाढ़ के कारण छोड़ा गया और कितना फसल की खराबी के कारण छोड़ा गया ?

श्री दौलतराम सारण : इस समय बिना पूर्व सूचना मैं यह निवेदन नहीं कर सकता।

श्री अध्यक्ष : आप नियम की प्रतिलिपि, जिसके अनुसार खराबा दिया जाता है, दिखा दीजिये।

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा २० और सिंचाई मैन्यूअल की धारा १४ (ए) के अनुसार भाखरो क्षेत्र में भी खराबा देने का प्रावधान है। ये प्रिन्टेड हैं, खरीद कर देख लें।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल।

माही बांध के डूब में आये हुए ग्रामों के निवासियों के लिए किये गये राहत कार्य

१६३. **श्री विट्ठल** (बांसवाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) बांसवाड़ा जिले के माही बांध की डूब में आने वाले गांवों की संख्या क्या है ?

(ख) क्या यह सही है कि डूब में आने वाली जमीन के किसानों को सरकारी राहत व नई भूमि काश्त करने के लिये नहीं दी जा रही है ?

(ग) अगर हां, तो सरकार ने उन किसानों के लिए उनके जीवन निर्वाह व निवास स्थान के लिये क्या व्यवस्था की है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (क) ऐसे कुल ६७ गांव हैं जिनमें से लगभग २० गांवों में बहुत कम रकबा डूबेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री विट्ठल : अभी माही डेम में किसानों की जो जमीन जानेवाली है उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही है।

श्री दौलतराम सारण : आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर निवेदन कर चुका हूँ- इसको यदि ध्यान से देखेंगे तो सारी बात स्पष्ट हो जायगी।

प्रश्न संख्या १६४

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६५

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह।

किशनगंज ग्राम में नहर के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा

१६६. कु० **श्री महेन्द्रसिंह** [दीगोद- श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) द्वारा पूछा गया] : क्या मन्त्री, सिंचाई विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) तहसील बड़ोद के किशनगंज ग्राम

(कुंवर श्री महेन्द्रसिंह)

की कितनी भूमि नहर कार्य के लिए अवाप्त की गई है ?

(२) यह भूमि कब अवाप्त की गई थी तथा इसके मुआवजे की क्या व्यवस्था की गई ?

(३) क्या यह सही है कि जमीन का मुआवजा न मिलने तथा जमीन नहर कार्य में चले जाने के पश्चात् अब भी अवाप्त की गई भूमि का लगान बराबर लिया जा रहा है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) ३८ बीघा, ४ बिस्वा ।

(२) भूमि ३०–६–६१ को अवाप्त की गई ।

(३) मुआवजा अभी भूमि अवाप्ति अधिकारी, कोटा से मन्जूर नहीं हुआ है । अतः नहीं दिया गया है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : नहर के लिये जो जमीन ली गई है और फसल पैदा की गई है उसको कितने वर्ष हो गये ?

श्री दौलतराम सारण : ३–६–६१ को ली गई है जमीन ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : रकम देने के बारे में सरकार के सामने क्या आपत्ति है, जब कि किसानों को पैसे की बड़ी आवश्यकता है ?

श्री दौलतराम सारण : भूमि अवाप्ति अधिकारी पहले एवार्ड देंगे तभी तो सरकार देगी ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कब तक एवार्ड देंगे ? किसान कब तक बाट देखते रहें मुआवजे के लिए ?

श्री दौलतराम सारण : इसके लिये शीघ्रता की जा रही है । इसके लिए पहले भी मैं यह निवेदन कर चुका हूँ ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हरिप्रसाद शर्मा ।

हायर सेकिन्डरी स्कूल

१६७. **श्री हरिप्रसाद शर्मा** (पाटन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) बूंदी जिले में सरकार द्वारा कितने हायर सेकिन्डरी स्कूल खोले गये हैं ?

(२) क्या सरकार कापरेन में नैनवा तहसील के भाखर गाँव में हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलने का इरादा रखती है ?

(३) सरकार कितनी आबादी होने पर स्कूल कायम करना उचित समझती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) : (१) तीन हायर सेकिन्डरी स्कूल्स खोले गये हैं ।

(२) अभी तक माध्यमिक शालाओं को जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूलों में परिवर्तित करने का प्रश्न विचाराधीन है और कोई निर्णय नहीं लिया गया है । कापरेन में नैनवा तहसील के भाखर गांव में जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलने के प्रश्न पर ऐसे दूसरे स्कूलों के साथ साथ यदि ये सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्ति करते होंगे तो विचार किया जावेगा ।

(३) जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूल आबादी के लिहाज से नहीं खोले जाते हैं, परन्तु इसके

Page No.8

(श्री परसराम मदेरणा)

लिये सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें हैं जिनकी पूर्ति पर ही ऐसे स्कूल खोले जाते हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ये जो दो स्कूल खोले गये हैं इनकी छात्र संख्या कितनी है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न अलग है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जी ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग प्रश्न है, आप अलग से पूछ लीजिये, मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या जहां छात्र संख्या १०० नहीं है वहां हायर सेकिन्डरी स्कूल खोले गये हैं और इस तरह कापरेन और दूसरी जगह जहां छात्र संख्या ४००, ५०० हैं वहां हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं खोले गये हैं जब कि वहां पर इमारत वगैरह सब तैयार हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा मैंने आप से निवेदन किया कि दूसरे स्कूलों के प्रश्न आयें तो उनके साथ ही कापरेन के प्रश्न को भी ले लिया जायगा। लेकिन यह प्रश्न कि उन स्कूलों का स्टेन्डर्ड है या नहीं, मैं समझता हूँ कि उनका स्टेन्डर्ड है तब ही हायर सेकिन्डरी स्कूल खोला गया है। आप कहते हैं कि नहीं है तो मैं जांच करवा लूंगा। वैसे मुझे दिखता असम्भव है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : और हायर सेकिन्डरी का प्रश्न नहीं है। अगर आपका विचार वहां खोलने का है तो मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन इसमें शीघ्रता करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूलसिंह।

भूमि वितरण

१६८. श्री मनफूलसिंह (सूरतगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान कैनाल एरिया में भूमिहीन काश्तकार बिना भूमि प्राप्त किये लगभग ६ वर्ष से तहसील सूरतगढ के सरदारगढ़, मानेवाला, निरवाणा आदि गांवों में बैठे हैं ?

(२) क्या इन भूमिहीन किसानों की अलॉटमेंट की दर्ख्वास्तें विचाराधीन हैं ?

(३) क्या इन भूमिहीन किसानों के पास कहीं दूसरी जगह काश्त की भूमि इनके पास होनी साबित हुई है ?

(४) अगर साबित नहीं हुई है, तो अभी तक इनको काश्त की भूमि क्यों नहीं दी गई है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी नहीं। सूरतगढ़ के भूमिहीन काश्तकारों की पहली दर्ख्वास्त १६-१-६० को प्राप्त हुई थी।

(२) जी हां।

(३) दर्ख्वास्तें अभी जांच में हैं।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मनफूलसिंह : जिन भूमिहीनों की दर्ख्वास्तें विचाराधीन हैं क्या उन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है ?

Page No.9

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह अलग प्रश्न है। जिन्होंने अलॉटमेंट के लिए दर्ख्वास्तें दी हैं वे बिना अलॉट की हुई भूमि पर नाजायज कब्जा करते हैं तो उनके केस अलग रूल्स से गवर्न होते हैं। नाजायज कब्जा है या नहीं, इसका इस प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : १६५६–६० से जिनकी दर्ख्वास्तें पड़ी हुई हैं, उनको जमीन अलॉट क्यों नहीं की गई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : चूंकि राजस्थान कैनाल क्षेत्र में कॉलोनाईजेशन की स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिस्कस होगी और फाइनल होगी इसलिए जब तक डिस्कस होकर फाइनल न हो जाय तब तक जो इसके रूल्स हैं वे इश्यू नहीं किये जा सकते। रूल्स इश्यू होने के बाद में अलॉटमेंट किया जायेगा।

श्री भीमसेन : परमानेन्ट अलॉटमेंट में ऑब्जेक्शन हो सकता है लेकिन टेम्पोरेरी अलॉटमेंट में क्या ऐतराज है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : टेम्पोरेरी अलॉटमेंट पहले होता था। दो साल से इसको बन्द कर दिया है। जिनको पहले अलॉटमेंट किया है, उनका अलॉटमेंट फोर दी टाइम बीइंग कन्टीन्यू रखा है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या सरकार की मान्यता है कि जो जमीन खाली पड़ी है वह जमीन भूमिहीनों को न मिले ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : खाली जमीन का सवाल नहीं है। जब सारी स्कीम को फाइनेलाइज कर देंगे उस वक्त अलॉटमेंट किया जा सकता है। जब सारी स्कीम विचाराधीन है तो गवर्नमेंट यह मुनासिब समझती है कि जब तक स्कीम फाइनेलाइज न हो जाय तब तक नये राइट्स क्रियेट न किये जायं।

श्री भीमसेन : क्या सरकार यह वाजिब समझती है कि दो साल तक काश्तकार बिना भूमि के रहें और वे भूखे मरें ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिनके पास पहले से टेम्पोरेरी कल्टीवेशन में भूमि चली आ रही है उसको कन्टीन्यू किया जा रहा है। आयन्दा कल्टीवेशन के लिए, जब तक रूल्स पब्लिश न हों तब तक जमीन नहीं दी जा रही है।

श्री श्योपतसिंह : सरकार के पास जो फिजूल जमीन पड़ी है, खाली पड़ी है, उसको भूमिहीन लेने को तैयार हैं, उनको क्यों नहीं देते ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सरकार के पास लाखों बीघा जमीन है लेकिन सरकार अलॉटमेंट कानून के जरिये, नियमों के जरिये करना चाहती है, जिससे आगे इजेक्ट करने का उलझन भरा सवाल न आये।

श्री भीमसेन : सरकार के जनरल कॉलोनी कन्डीशन्स रूल्स बने हुए हैं, उनके अनुसार क्यों नहीं करते ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : राजस्थान नहर के लिए नियम विचाराधीन हैं। जैसा अभी बतलाया जा चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बातचीत चल रही है, उसके बाद उसको फाइनेलाइज किया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : कितना समय लगेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं ठीक नहीं कह सकता। ऑफिशियल लेवल पर एक मीटिंग इस महीने होने वाली है।

श्री श्योपतसिंह : जो खाली जमीन पड़ी है, उसका अलाटमेंट करने के लिए कोई विचार है कि किस तरह उसका अलॉटमेंट किया जायगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने पहले जवाब दिया है, उससे उत्तर कवर हो जाता है।

श्री भीमसेन : जनरल कॉलोनी कन्डीशन्स रूल्स बने हुए हैं....

श्री रामप्रसाद लडढा : राजस्थान केनाल के लिए अलग रूल्स बना रहे हैं और अभी वे रूल्स इश्यू नहीं किये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : कई स्थानों पर अलॉटमेंट चल रहा है। जो नियम राजस्थान कॉलोनाइजेशन के लिए बने हैं उनके आधार पर आप कर सकते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहूँगा कि कितनी इस प्रकार की दरख्वास्तें हैं जो नियम के फाइनेलाइज न होने के कारण पड़ी हुई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : करीब दो हजार के आसपास दरख्वास्तें हैं, जिनमें से चार सौ के करीब अलॉटमेंट हुआ है फर्दर अलॉटमेंट के पहले। जैसा मैं सदन में बता चुका हूँ, इसके बारे में क्या पॉलिसी हो, उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर फाइनल होने के बाद कदम बढ़ाया जायगा।

श्री श्योपतसिंह : सरकार कहती है कि रूल्स नहीं बने हैं और जिस भूमि पर भूमिहीन किसान काश्त करते हैं उन पर दावा लगाया जाता है। तो सरकार के पास जो भूमि खाली पड़ी हैं, जब तक रूल्स नहीं बनते हैं तब तक उसे भूमिहीन किसानों को क्यों न दिया जाय ? इसके बारे में सरकार की क्या पॉलिसी है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

प्रश्न संख्या १६६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित–कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या १७०

श्री मानसिंह महार।

(अनुपस्थित)

श्री सम्पतलाल।

(विराम)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

मैकेनाइज्ड फार्म की स्थापना

१५७. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान नहर क्षेत्र में सरकार द्वारा आयोजित जैतसर मैकेनाइज्ड फार्म के निर्माण में कितने मौरूसी काश्तकारों की जमीन सरकार को लेनी पड़ेगी तथा कितने पुराने भूमिहीन काश्तकारों को, जिनको सरकार द्वारा इस क्षेत्र में भूमि अलॉट की गई थी, बेदखल

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

करना पड़ेगा ?

(ख) क्या यह सही है कि राजस्थान केनाल क्षेत्र में ही लाखों बीघा जमीन एक स्थान पर खाली पड़ी है ?

यदि हां, तो ऐसे स्थान पर मैकेनाइज्ड फार्म बनाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

मुख्य-मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): (क) जैतसर फार्म जिस स्थान पर कायम किया जा रहा है उसमें खातेदारों की संख्या १०८ और आरजी काश्त के खातेवालों की संख्या ८४५ है। खातेदारों के कब्जे में रकबा १,६४३ एकड़ और आरजी काश्तकारों के कब्जे में १८,७३६ एकड़ है। इस जगह फार्म बनाने पर १०८ खातेदारों एवं ८४५ आरजी काश्तकारों को बेदखल करना पड़ेगा।

(ख) राजस्थान केनाल क्षेत्र में काफी रकबा खाली पड़ा है।

(ग) दूसरा मैकेनाइज्ड फार्म ऐसी जगह बनाने की तजवीज़ है कि जो मौजूदा मैकेनाइज्ड फार्म सूरतगढ़ के नजदीक हो।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अर्ज यह है कि इस फार्म को बोर्डर के ऊपर बनाने की योजना क्या कुछ गलत है ? उस स्थान पर यह क्यों न बनाया जाय जहां काफी रकबा खाली पड़ा है ? बोर्डर क्षेत्र में काफी रकबा खाली पड़ा है, वहां न कोई काश्तकार है, न मौरूसीदार है। इसलिए इन लोगों को बेदखल करके फार्म बनाना क्या सरकार उचित मानती है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : राजस्थान गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने कई प्रपोज़ल्स रखे थे। इसके बाद जैतसर के बारे में खास तौर पर इसका निर्णय हुआ क्योंकि सूरतगढ़ फार्म के पास होने से वर्कशॉप की फेसेलिटी अवेलेबल हो सकती है, सुपरवीज़न अच्छा हो सकता है, नज़दीक होने से मैनेजमेंट आसानी से हो सकता है। इन कन्सीडरेशन्स को देख कर एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने एग्ज़ामिन करके इस फार्म को सलेक्ट किया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह फार्म कितने हजार एकड़ में बनेगा।

उप-मन्त्री राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : ३५ हजार एकड़।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अगर यह फार्म अनूपगढ़ में बनाया जाता तो उचित नहीं रहता ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वहां की साइट पसन्द नहीं की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह फार्म अनूपगढ़ में बनाया जाता तो वहां काफी रकबा खाली पड़ा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, उनके एक्सपर्ट्स आये थे, उन्होंने साइट देख कर इस साइट को सलेक्ट किया है। इसकी वजुहात अभी बताई गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स के साथ आपके एक्सपर्ट्स नहीं थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : थे, लेकिन जो सब ने मिल कर तय किया है वह निर्णय है और इसको माना गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या इस सम्बन्ध में दुबारा जांच करेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें दुबारा जांच करने का प्रश्न पैदा नहीं होता; क्योंकि यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। सिर्फ जमीन देने का प्रश्न हमारे सामने था। जो साइट वे पसन्द करते हैं उसके लिए लैंड अवेलेबल करने का प्रश्न राजस्थान सरकार के लिए है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या सरकार का ध्यान........

श्री माधोलाल (अटरू) : क्या इस फार्म की स्कीम राजस्थान सरकार ने बनाई है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह भारत सरकार की स्कीम है, जो सूरतगढ़ फार्म की है वैसी ही है।

श्री श्योपतसिंह : जैसे सरकार अपनी सहूलियत देखती है वैसे ही भूमिहीनों और आराजी काश्तकारों और मौरूसी काश्तकारों की देखेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उन लोगों को बसाने के लिए सरकार पूरा ध्यान रखेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह।

बीघोड़ी की वसूली

१६०. **श्री चन्द्रसिंह** (बिलाड़ा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) खारची तहसील में ऐसे कौन कौन से गांव हैं जिनकी संवत् २०११ की बीघोड़ी जागीरदार द्वारा वसूल की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों की सम्वत् २०११ की बीघोड़ी अब सरकार काश्तकारों से फिर वसूल कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) उक्त बीघोड़ी जागीरदार से वसूल न करने अथवा उनके मुआवजे में से न काटने के क्या कारण हैं ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) चाही सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी गई है।

(२) संवत् २०११ में डिमांड स्टेटमेंट में जिन जिन काश्तकारों के नाम सरकारी बकाया निकलती है उनके नाम डिमांड स्लिप जारी किये गये हैं। नोटिस मिलने पर यदि वे काश्तकार जाहिर करते हैं कि संवत् २०११ की रकम जागीरदार को अदा कर दी है और इसकी रसीद पेश कर देते हैं तो उनसे वसूली नहीं की जाती है।

(३) जिन काश्तकारान ने रसीदें पेश कर दी हैं उनसे वसूली नहीं की जाकर राजस्थान लैंड रिफॉर्म्स एवं रिजम्पशन ऑफ जागीर्स एक्ट की धारा २५ के अनुसार जागीरदार से वसूली की कार्यवाही होगी।

(कृपया परिशिष्ट-२ देखिये)

श्री चन्द्रसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी ने निवेदन किया कि जिन

Page No.13

(श्री चन्द्रसिंह)

जागीरदारों ने रसीदें पेश कर दी हैं, वे अदा नहीं कर रहे हैं। मैं निवेदन कर दूं कि गोदावास, चेलावास गांव हैं, जिनके द्वारा रसीदें पेश करने पर भी पैसा वसूल किया जा रहा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ऐसा मामला नहीं है कि रसीद पेश करने पर दुबारा रुपया वसूल किया गया है। मेरी जानकारी है कि जिन गांव के लोगों ने रसीदें पेश की हैं उनसे पैसा वसूल नहीं किया जा रहा है। जिनसे पैसा वसूल नहीं किया जा सका उनसे वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री चन्द्रसिंह : केवल नये गांव हैं वहां से वसूली हुई है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : नये नहीं हैं पुराने ही हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री लक्ष्मीचन्द।

नहर के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा

१६१. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि इटावा, मांगरोल, एवं पीपलदा तहसीलों में नहर निकालते समय खड़ी फसलें नष्ट हुई ?

(२) नहर कार्य के लिए इस क्षेत्र में कितनी भूमि अवाप्त की गई ?

(३) क्या अवाप्त की गई भूमि तथा नष्ट हुई फसलों का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि कुछ स्थानों पर मुआवजा भी नहीं दिया गया है तथा अवाप्त की हुई भूमि का सरकार लगान भी ले रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण): (१) जी हां, कहीं कहीं ऐसा हुआ है।

(२) १६,५१० बीघे।

(३) २,६१६ बीघे जमीन का मय नष्ट हुई फसलों का मुआवजा अब तक दे दिया है। अन्य मुआवजे की रकम लैन्ड एक्वीज़िशन आफिसर के एवार्ड के बाद दे दी जावेगी।

(४) जी हां।

श्री लक्ष्मीचन्द : कौन कौन से गांवों की जमीन इसमें आई है ?

श्री दौलतराम सारण : आपने गांवों की सूची तो मांगी नहीं।

श्री लक्ष्मीचन्द : मांगी तब नहीं दी गई। हम यह जानना चाहेंगे कि कोटा में कितने किसानों की जमीन ली गई और उनको अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया ?

श्री दौलतराम सारण : जो प्रश्न पूछा गया उसकी सूचना प्रदान कर दी है।

श्री लक्ष्मीचन्द: २५ या ३० हजार किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा देना बाकी है। तारीखें पड़ती हैं और एक तारीख पर जब किसान जाता है तो उसको काफी खर्चा पड़ता है। २५ हजार या ३० हजार आदमियों को

(श्री लक्ष्मीचंद)

पेशी पर जाना पड़ता है। इसमें बहुत रुपया खर्च होता है और जब कई बार पेशियों पर जाने पर भी मुआवजा नहीं मिलता है तो सरकार में अविश्वास होता है। इसलिये उनको मुआवजा मिलने के लिये पंचायत समितियों के द्वारा व्यवस्था होनी चाहिये और इसके आदेश सरकार को देने चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : कानून के अन्दर दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है और इसमें शीघ्रता की जाती है।

श्री लक्ष्मीचन्द : तीन, तीन वर्षों तक उनको मुआवजा नहीं मिलता और आप कहते हैं कि मुआवजा देने में शीघ्रता की जाती है? मैं यह निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी अपने टी.ए., डी.ए. लेते हैं और इस सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही नहीं करते उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की जाए और उनको सस्पेन्ड क्यों नहीं किये जावे, उनको मुअत्तिल क्यों नहीं किया जावे, जिससे सरकार के प्रति लोगों में विश्वास की भावना पैदा हो?

श्री दौलतराम सारण : मैंने पहले भी निवेदन किया और फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि कानून के अन्दर दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : प्रश्न (४) का उत्तर आपने नहीं दिया। यह प्रश्न यह है : "क्या यह सही है कि कुछ स्थानों पर मुआवजा भी नहीं दिया गया है तथा अवाप्त की हुई भूमि का सरकार लगान भी ले रही है? यदि हां, तो क्यों!"

श्री दौलतराम सारण : मैंने उत्तर दे दिया। 'जी हां।'

श्री भैरोंसिंह : आप यह मानते हैं कि कई स्थानों पर लगान भी लिया जा रहा है और जमीन का मुआवजा भी किसानों को नहीं दिया जा रहा है?

श्री दौलतराम सारण : जब तक फाइनलीं तय न हो जाए किसान को जमीन का लगान देना होता है।

श्री भैरोंसिंह : नोटिस देने के बाद तुरन्त सरकार उनकी भूमि पर अपना अधिकार कर लेती है........

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): वैसे सरकार की तरफ से आदेश हैं कि जिस भूमि को सड़क के लिये या नहर के लिये लिया जाता है उसका लगान अविलम्ब लेना बन्द कर दिया जाता है। इसकी जानकारी कर ली जायगी।

श्री भैरोंसिंह : उप-मंत्री ने साफ कहा है है, 'जी हां'। इसका मतलब यह है कि वसूली लगान की हो रही है। क्यों हो रही है? आपने कहा वह सही है या उप मंत्री ने कहा वह सही है?

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

(अनुपस्थित)

(श्री अध्यक्ष)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष श्री महोदय, सतीशचन्द्र अग्रवाल के प्रश्न का उत्तर दिलाया जाए।

वाणिज्य संस्थानों और दूकानों का पंजीयन

१६६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** [जौहरीबाजार जयपुर—श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर शहर में कुल कितनी दूकानें वाणिज्य संस्थान एवं दूकान अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर हुई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि अभी भी बहुत सी दूकानें अनरजिस्टर्ड हैं ?

(३) क्या यह सही है जो कि दूकानें रजिस्टर हो चुकी हैं उन पर कर्मचारियों की हाजरी का रजिस्टर नहीं रखा जाता है ?

(४) क्या यह भी सही है कि सभी दूकानों पर अवकाश रजिस्टर, इन्सपेक्टर्स विज़िट बुक्स आदि भी नहीं रखे जाते हैं ?

(५) इन खामियों की पूर्ति कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-मन्त्री, श्रम (श्री दौलतराम सारण): (१) १५ मार्च, १९६२ तक, कुल १,२७४ दूकानें राजस्थान वाणिज्य एवं संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर हो चुकी हैं।

(२) जी नहीं। ज्यादातर दूकानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है।

(३) प्रायः सभी दूकानों पर जहां नौकर काम करते हैं हाजरी का रजिस्टर रखा जाता है।

(४) जी नहीं।

(५) जहां कहीं इस प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाती है वहां व्यापारी को निरीक्षक द्वारा हिदायत की जाती है और अधिनियम की धाराओं से अवगत कराकर नियमों का पालन कराया जाता है। उन मामलों में जिनमें नियमों का उल्लंघन किया गया है अर्थात् जहां निरीक्षण पंजिकाएं अथवा उपस्थिति पंजिकाएं सुचारू रूप से नहीं रखी गई है, नियोजक के विरुद्ध राजस्थान दूकान और वाणिज्य संस्थान नियम, १९५९ के नियम २२ (१०) और २५ के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही भी की जाती है।

श्री भैरोंसिंह : आपने अभी बताया कि अधिकांश दूकानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। क्या आप यह बतायेंगे कि कितनी दूकानें अभी रह गई हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ?

श्री दौलतराम सारण : कुल दूकानें जो १५.३.६१ तक रजिस्टर्ड हो चुकी हैं १२७४० हैं। इसके अतिरिक्त २०० प्रार्थनापत्र नई दूकानों को रजिस्ट्रेशन करने के लिये आए हुए हैं और कार्यवाही की जा रही है।

Page No.16

श्री भैरोंसिंह : रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही कितने समय में समाप्त हो जाती है ? इतने समय में रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही समाप्त होकर दूकानों का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिये था ?

श्री दौलतराम सारण : नई दूकानों के रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना पत्र आये हुए हैं, उसकी कार्यवाही हो रही है।

श्री भैरोंसिंह : पुरानी सभी दूकानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है ?

श्री दौलतराम सारण : जी हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कितने केसेज कोर्ट में रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में अन्डर डिस्प्यूट पड़े हुए हैं ?

श्री दौलतराम सारण : यह अलग से प्रश्न है, इसकी सूचना मिलने पर उत्तर दिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

(११.३० म० पू०)

अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद सम्बन्धी अध्यक्षीय निर्णय

श्री अध्यक्ष : जैसा माननीय सदस्यों को विदित ही है कि आज से अनुदानों की मांगों पर बहस प्रारंभ हो रही है और इस तरह की व्यवस्था की गई है कि एक दिन में एक मांग पर विचार किया जाकर उस पर मतदान लिया जावे। आज जो मांग है उस पर ४८ माननीय सदस्यों ने १११ कट मोशन दिये हैं। समस्या यह है कि इन सब पर किस तरह से बहस की जावे। मेरा सुझाव यह है कि जिस प्रकार से माननीय सदस्यों के नाम सूची में आये हैं वे कृपया उस कटौती के प्रस्ताव पर बोलें और अन्य जो कटौती के प्रस्ताव हैं जिसकी सूचना दी है उन सभी प्रस्तावों पर उसी वक्त बहस कर लें। कुछ तो ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर ज्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। जिन पर ज्यादा बहस की जरूरत है उन पर १० मिनट या और भी ज्यादा से ज्यादा १५ मिनट दिये जा सकते हैं। जो साधारण हैं उन पर ५ मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया जायेगा। जिनका एक कट मोशन हो वे ५ मिनट बोलेंगे व एक से ज्यादा हों, चाहे वे तीन, चार या पांच हों उन सभी को १५ मिनट में समाप्त करें। आज दिन भर इन प्रस्तावों पर बहस की जावे और सरकार का उत्तर कल प्रातः दे दिया जावे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कोई पॉलिसी या नीति सम्बन्धी प्रस्ताव हो उस पर ज्यादा समय ले लें और जो साधारण मांगें हैं उन पर संक्षेप में बोलें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जो कटमोशन किसी विशेष बात को लेकर रखे जाते हैं उन पर बहस की जाती है और दूसरे जैसे शिक्षा आदि के कट मोशन होते हैं वे एज टेकन (as taken) ले लिये जाकर मिनिस्टर महोदय उस पर जवाब दे देते हैं। उनको मूव किया समझा जाता है। यदि उसी प्रकार की व्यवस्था यहां भी कर दें तो समय की बचत हो सकती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि इनको सब को केटेगोराइज कर लिया जावे।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

जैसे प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में १४ कट मोशन हैं अगर उनको एक साथ ले लिया जावे तो सदन को ज्यादा सुविधा रहेगी और समय भी बचेगा।

श्री अध्यक्ष : वह का वही प्रश्न आवेगा, एक माननीय सदस्य को दो-तीन दफा बोलना पड़ेगा। उधर समय बचेगा तो उधर ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिये इसी क्रम से लिया जावे और जो भी माननीय सदस्यों के कट मोशन हैं वे उन पर बोल दें ताकि दुबारा बोलने की आवश्यकता न हो और जैसा माननीय सदस्य का सुझाव है कि सरकारी पक्ष की तरफ से उत्तर दे दिया जावे, इसके बारे में सरकार की तरफ से उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर फिर भी समय की कमी पड़े तो इसकी भी व्यवस्था की जा सकती है और इस पर विचार किया जावेगा।

एक सुझाव यह है कि जिन प्रस्तावों पर बहस नहीं हो सकती या जिनको माननीय सदस्य प्रस्तुत नहीं कर सकते तो उस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से उत्तर दे दिया जाए ताकि प्रोसीडिंग्ज में आ सकें और माननीय सदस्य उनको देख सकें। माननीय सदस्य चाहें तो जैसे स्कूलों के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत न करें और उनको उसका उत्तर मिल जावे तो सभी माननीय सदस्यों को संतोष हो जावेगा।

(विराम)

(वित्त मन्त्री महोदय से)।

मांग प्रस्तुत कीजिये।

मांग संख्या १५ शिक्षा।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय(शिक्षा-मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त होनेवाले वर्ष में किये जानेवाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राज्यपाल महोदय को १३,७९,१६,०००) रु० की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

[इस मांग पर निम्न कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :—

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'(अकलेरा-सु.) : (२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (गुमानपुरा (कोटा) की प्राथमिक पाठशाला की अव्यवस्था पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु)

(३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (छात्रों में व्याप्त असंतोष, पर बहस करने के लिये)

(१७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में एक रूपये की कटौती की जाय (अध्यापकों में असंतोष पर बहस करने हेतु)

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत(भीम) : (४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जाय (राजस्थानी भाषा के विकास पर विशेष ध्यान न देने पर बहस करने हेतु)

Page No.18

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : (५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (सरकार पंचायत के शिक्षकों को राजकीय शिक्षकों के समान निर्धारित सुविधायें दिलाने में असफल रही है, इस पर बहस करने हेतु)

(१९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (शहरों में रात्रि कॉलेज की व्यवस्था करने पर विचार करने हेतु)

(२०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (राज्य में शारीरिक व सैनिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए)

(२१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जाय (बीकानेर के एम० एम० विद्यालय में पायलेट स्कीम के लागू करने पर भी वहां समुचित व्यवस्था की कमी पर विचार करने हेतु)

(२२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (राष्ट्रीयकरण पुस्तकों मेंहोने वाले काले बाजार की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए)

(२३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (राज्य में अनाथ, गूंगे, बहरे व नेत्रहीन बालकों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करने की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए)

(२४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (उच्च शिक्षा में प्रति छात्र बढ़ने वाले खर्च में कमी करने की व्यवस्था के लिए)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : (६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (जिला बीकानेर की प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शाला में परिवर्तन करने पर बहस करने के लिए)

(११०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जाय (प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की ओर ध्यान दिलाने हेतु)

(१११) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जाय (नापासर हाई स्कूल को हायर सेकिन्डरी में परिवर्तन करने तथा साइन्स के कमरे की स्वीकृति देने पर बहस करने के लिए)

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : (७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जाय (अजमेर के राजस्थान में मिलने के बाद वहां के शिक्षकों की तनख्वाह तथा ग्रेड में कमी कर दी गई, इस पर बहस करने हेतु)

(९३) Demand NO. XV, Major Head 28-Education be reduced by Rs. 100/-(to discuss the condition of teachers of Ajmer after merger in Rajasthan in 1956.)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : (८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जाय (अलवर जिले में उच्च शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु)

(९) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

२८–शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जाय (गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को सरकारी सहायता देने में पक्षपात पर बहस करने हेतु)

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़): (१०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जाय (प्राइमरी स्कूलों का शिक्षा स्तर दिन प्रति दिन गिर रहा है, इसके प्रति सरकार की उदासीनता पर बहस करने हेतु)

श्री घासीराम यादव (बहरोड़) : (११) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १)रू० की कटौती की जाय(देहात में स्त्री-शिक्षा के प्रसार के प्रति सरकार की उदासीनता पर बहस करने के लिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : (१२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जाय (अध्यापकों की सर्विस कन्डीशन्स पर बहस करने हेतु)

(१३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जाय (पाठ्य–क्रम की प्रणाली पर बहस करने हेतु)

श्री केदारनाथ (गंगानगर):(14)Demand NO. XV, Major Head 28- Education be reduced by Re,1/- (to discuss the saidplight of the Employees of the dissolved District Boards in regard to their seni ortly and pay scales).

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): (१६) मांगसंख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जावे(प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों की स्थिति अच्छी नहीं है, इस पर विचार करने हेतु)

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : (२७) मांग संख्या१५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में १००)रू०की कटौती की जाये (प्राथमिक विद्यालयों एवं उनके अध्यापकों की अवस्था पर विचार करने हेतु)

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : (२८) मांग संख्या१५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रूपयेकी कटौती की जाय (कोटा जिले में शिक्षा-भवनों की हो रही दुर्दशा पर बहस के लिये)

श्री जुझारसिंह (चेचट) : (३०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १)रू० की कटौती की जाय(गांवों में Residential Schools का प्रोविजन नहीं होने से शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ पा रहा है, पर बहस करने के लिये)

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : (३१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जावे (जाड़ला ग्राम व चमावली, कांकरा में स्कूल खोले जाने के सम्बन्ध में विचार किये जाने हेतु)

(३२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रू० की कटौती की जाये (लाखेरी में गर्मपुरा, नयापुरा मजदूर बस्तियों में शिक्षण संस्था के अभाव पर विचार करने हेतु)

(३३)मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००)रू० की कटौती की जाय (पाटन तहसील में स्कूलों तथा अध्यापकों की कमी के सम्बन्ध में विचार किये जाने हेतु)

श्री देवीलाल मीणा(सराडा-सु.) : (३४) मांगसं ख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु०कटौती की जाय (तहसील सराड़ा--चावण्ड हायर सेकिण्डरी स्कूल में साइन्स क्लास खोलने पर बहस करने के लिये)

(३५) मांग संख्या,१५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (तहसील सराड़ा और खेरवाड़ा के बीच आदिवासी क्षेत्र ऋषभदेव में एक कॉलेज की स्थापना कराने पर बहस करने के लिये)

श्री रावतराम (सादूलपुर-सु.): (३६)मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राजगढ़, जिला चुरू की अनिवार्य शिक्षा स्कूलों के अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है पर बहस करने हेतु)

श्री रामकिशन (वैर) :(३७) मांग संख्या १५ मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती करदी जाये (१००) रु० माहवार तक की आय वाले लोगों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जानी चाहिये)

(३८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रु० की कटौती कर दी जाये (अध्यापकगण पंचायत समितियां जिला, भरतपुर को अन्य राजकीय शालाओं की तरह ग्रेड प्रमोशन आदि न दिये जाने के सम्बन्ध में विवाद हेतु)

(३६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रु० की कटौती कर दी जाये (मंडिया ललता, सरसेना, छोकंडवाड़ा ग्रामों (वैर क्षेत्र) की प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूलों में बदलने के सम्बन्ध में विवाद हेतु)

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : (४५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति चाकसू में ग्राम तितरिया व कादेड़ा में मिडिल स्कूल खोलने पर बहस करने के लिये)

(४६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (चाकसू हाई स्कूल में Science and Commerce classes स्थापित किये जाने पर बहस करने के लिये)

(४७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति, सांगानेर के तहत पंचायत बिलवा के ग्राम बिलवा में मिडिल स्कूल खोलने पर बहस करने के लिये)

(४८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति, सांगानेर के तहत पंचायत जैपुरा के ग्राम कुन्दनपुरा में मिडिल स्कूल खोलने पर बहस करने के लिये)

श्री गिरधारीलाल व्यास(आसींद):(५१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००) रु० कटौती की जाय (आसीन्द व बदनोर, जिला भीलवाड़ा में गर्ल्स मिडिल स्कूल्स खुलने पर बहस करने के लिये)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : (५४)Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1/- (to discuss service conditions of teachers).

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

(८५) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1/-(to discuss the opening of Middle and High Scools at deserving places).

(८६)Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1/- (to discuss the matter of curriculum and course books).

श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) :

(५५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १००) रु० कटौती की जावे (अध्यापकों की युनीफाईड पे स्केल का निर्धारण रेशनेलाइजेशन ऑफ आल पे स्केल्स योजना के अन्तर्गत सभी अध्यापकों को लेना तथा अध्यापकों के बकाया वेतन एवं भत्तों के भुगतान में विलम्ब की अवस्था पर विचार करने हेतु)

(५६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जावे (पंचायत समितियों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर विचार करने हेतु)

(५७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १००) रु० कटौती की जावे (निजी शिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के दुरूपयोग पर विचार करने हेतु)

(५८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जावे (परीक्षा फलों के गिरते हुए स्तर पर बिचार करने हेतु)

(५६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जावे (पाठ्य पुस्तकों की राष्ट्रीयकरण की नीति की अव्यवहारिकता पर विचार करने हेतु)

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) :

(६०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (विज्ञान प्रयोगशाला का पूरा सामान होते हुए भी टाड़गढ़ जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूल में विज्ञान का विषय अर्से से न खुलने पर बहस करने हेतु)

(६१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (स्कूलों, शिक्षणालयों में मध्य-सत्र तबादलों पर बहस करने हेतु)

(६२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (अनिवार्य शिक्षा स्थापन की विशेष भूमिका में 'मिड-डे-मील्स' योजना पर बहस करने हेतु)

(६३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु. की कटौती की जाय (मसूदा में कन्या प्राथमिक शाला को आगामी सत्र तक कन्या माध्यमिक शाला अपग्रेड करने पर बहस करने हेतु)

(६४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु० की कटौती जाय (अजमेर के निजी स्कूल जो सरकार ने अपने अधिकार में लिये हैं उनके अध्यापकों की स्थिति खराब हो जाने पर बहस करने के लिये)

(राव श्री नारायणसिंह)

(६५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं की पोलीटैक्-निकल विद्यालयों में जहां आवश्यक हो परिवर्तन करने के प्रश्न पर बल देने पर बहस करने के लिये)

(६६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धि की समस्या पर बहस करने हेतु)

कुमारी उमा माथुर (रामगढ) : (६७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १)रु० की टौती की जाय (अलवर राजऋषि कॉलेज में M. A. तथा L. L. B. Classes खोलने पर बहस करने के लिये)

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल): (६८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों को प्राईमरी शिक्षा में विशेष अनुदान दिलाने पर बहस करने के लिये)

श्रीमती सुमित्रा (झुंझनूं): (६६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (योजनानुसार स्कूलें न खोले जाने पर बहस करने के लिये)

(७०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (शिक्षित वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी पर बहस करने के लिये) ।

(७१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८–शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (सलामपुर मिडिल स्कूल को हायर सेकिन्डरी स्कूल बनाने हेतु बहस करने के लिये)

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : (७३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० तक की कटौती की जाय (शिक्षा सस्ती, सुलभ व देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन देने वाली होनी चाहिये !)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : (७४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में २६,०००) रू० की कटौती की जाय (नेशनेलाइजेशन बोर्ड ऑफ टैक्ट बुक्स पर अनावश्यक व्यय को रोकने हेतु)

(७६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में १००)रू० की कटौती की जाय (राज्य सरकार मिशनरी स्कूल्स की अवांछनीय कार्यवाहियों को रोकने में व उन्हें take over करने में असमर्थ रही इस पर बहस करने हेतु)

(७७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००)रू० की कटौती की जाय (राज्य सरकार गैर-सरकारी उच्चतर माध्यमिक व प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के अन्यायपूर्ण शोषण व परेशानी से रक्षा करने में असमर्थ रही सांकेतिक बहस करने हेतु)

(७८) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १००)रू० की कटौती की जाय (राज्य सरकार यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की दयनीय आर्थिक स्थिति को सुधारने में असमर्थ रही; इस पर बहस करने हेतु)

Page No.23

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(७६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (राज्य सरकार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने में असफल रही, इस पर बहस करने हेतु)

(८०) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (राज्य सरकार के पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की असफलता पर बहस करने हेतु)

(८१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (राज्य सरकार द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने में अपनाये गये पक्षपात पर बहस करने हेतु)

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : (७५) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रू० की कटौती की जाय (पंचायत समिति के तहत स्कूलों व अध्यापकों की स्थिति पर बहस के लिये)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : (८२) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (बूंदी नगर में प्राथमिक शिक्षा को म्युनिसिपैलिटी के नियंत्रण से न हटाने पर बहस करने हेतु)

(८३) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (बूंदी में छात्रावास की व्यवस्था न कर सकने पर बहस करने हेतु)

श्री जयकृष्ण (थाना गाजी) : (८४) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८- शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समितियों के अधीनस्थ प्राईमरी स्कूलों की व्यवस्था व शिक्षकों के सम्बन्ध में बहस करने हेतु)

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : (६१) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय (पंचायत समिति के अन्तर्गत कार्य करनेवाले अध्यापकों की ग्रेड सरकारी संस्थाओं में कार्य करनेवाले अध्यापकों के समान करने पर विचार हेतु)

श्री पोहूमल (अजमेर): (६४) Demand No. XV, Major Head 28-Education be Reduced by Re. 1- (to discuss Government Primary Schools, coditions).

(६५) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1- (to discuss the failure of the Government to open any separate College for girls at Ajmer).

श्री ललितमोहन (गोगुन्दासु) : (६६) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (कोटड़ा—फलासिया (भोमठ) क्षेत्र के शिक्षकों की अयोग्यता के विषय में बहस करने के लिये)

(६७) मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाय (कोटड़ा हायर सेकिन्डरी स्कूल के स्टाफ के अभाव के सम्बन्ध में बहस करने के लिये)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : (६८)

Page No.24

(श्री मानसिंह महार)

Demand No.,XV, Major Head 28-education be reduced by Re. 1- (to discuss the inadequate salaries of Teachers).

(६६) Demand No. XV, Major Head 28- Education be reduced by Re. 1- (to discuss the wrong policy of the Government to open new Schools, where they are not needed).

(१००) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1- (to discuss the failure of Government to stop teachers from openly convassing for Congress candidates in the General Elections).

(१०१) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1- (to discuss the inefficiency of the Director of Education, in all respects).

(१०२) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1- (to discuss the wrong policy of the Government in frequently changing text books.)

(१०३) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1- (to discuss the mis-management in the office of the Deputy Director, Jaipur.)

(१०४) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1- (to discuss the mis-conduct of the Deputy Director, Jaipur.)

(१०५) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1- (to discuss the transfer of staff of certain Government Colleges of Jaipur to the control of the University of Rajasthan.)

(१०६) Demand No.XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1- (to discuss the mis-management in Government aided Sanskrit Pathshalas of Rajasthan.)

(१०७) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1- (to discuss the failure of the Government to open new schools where Buildings have been provided for this purpose by the public.)

(१०८) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1- (to discuss the Grant-in-Aid to certain underserving private institutions of Rajasthan with particular reference to Ajmer Division.)

(१०६) Demand No. XV, Major Head 28-Education be reduced by Re. 1- (to discuss the failure of Government to open new schools in Jaipur District).

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुलजब्बार

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' ।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८—शिक्षा में १) रु० की कटौती की जाये। (गुमानपुरा (कोटा) की प्राथमिक पाठशाला की अव्यवस्था पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु।)

मेरी इस कटौती की मंशा यह है कि गुमानपुरा ग्राम की प्राथमिक पाठशाला है उसकी तरफ शिक्षा विभाग का ठीक तरह से ध्यान नहीं है। वहां स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर उनके माता-पिता अनाप-शनाप पैसा खर्च करते हैं पर शिक्षा विभाग की देख-रेख ठीक नहीं होने के कारण बच्चे अच्छी तरह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।

मेरे ३ प्रस्ताव हैं, तीनों पर एक साथ ही अपना विचार व्यक्त कर दूं। दूसरी बात यह है कि वहां छात्रों में असंतोष है और तीसरा प्रस्ताव यह है कि वहां के अध्यापकों में भी शिक्षा विभाग के प्रति कुछ असन्तोष है। इन तीनों प्रश्नों को लेकर मैंने कटौती की मांग की है। अगर देखा जाय तो शिक्षा ही मनुष्य जीवन का और राष्ट्र का ऐसा एक साधन है जो मनुष्य को और राष्ट्र को ऊंचा उठा सकता है। जैसे मनुष्य शरीर के लिये पानी, भोजन और हवा की आवश्यकता होती है इनसे कम शिक्षा की आवश्यकता नहीं। यदि किसी को शिक्षा न मिले तो उसका जीवन बेकार है। जिस देश में शिक्षा न हो वह देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए शिक्षा की ओर हमारी सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिए।

हमारे देश में पुराने समय से देखते आते थे कि हजार-हजार विद्यार्थी एक गुरू के पास शिक्षा प्राप्त कर लेते थे और एक गुरू हजार विद्यार्थियों पर अनुशासन रखता था, पर आज एक अध्यापक दस लड़कों पर भी नियन्त्रण नहीं रख सकता। अनुशासन हमारे जीवन को ऊंचा उठा सकता है। चरित्र निर्माण के आधार पर ही हमारा देश सारी दुनिया में ऊंचा समझा जाता था, पर आज चरित्र का नाम उठता चला जा रहा है। सच्चाई कहीं नजर नहीं आती, दया, प्रेम बहुत कम रह गये हैं। व्यवहार कुशलता यहां कुछ नहीं है। शिक्षा में यदि इन बातों की कमी आये तो वह शिक्षा अच्छी शिक्षा नहीं कही जा सकती। एक समय था जब गुरू के चरण छुए जाते थे और अब शिष्य गुरू की आज्ञा का पालन नहीं करते और गुरू भी पहले शिष्य के प्रति जिस प्रकार का बर्ताव रखते थे अब नहीं रखते।

गुमानपुरा स्कूल को मैंने बरसात के दिनों में देखा था। सूरजपोल बिल्डिंग तोड़ने के बाद बच्चे ऐसी जगह गये जहां बैठने तक का भी प्रबन्ध नहीं है। बरसात के दिनों में उसमें पानी चारों तरफ से खूब चूता था और छः छः इंच पानी नीचे भरा रहता था। लड़कों के कन्धों पर बस्ते रहते थे और वे उस पानी में खड़े रहते थे। मकानवाला चाहता था कि स्कूलवाले इस मकान को खाली कर दें तो नया बनवाऊं पर क्योंकि दूसरी कोई जगह बैठने को नहीं थी इस-लिये शिक्षा विभाग ने उस मकान को खाली नहीं किया। मकान मालिक ने उस मकान में छः छः फीट काली मिट्टी चौक में डल-वादी और काली मिट्टी होने के कारण वहां बरसात में पानी भर गया। पांच-पांच, छः

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

छः साल के छोटे बच्चों को उनके माता पिता बढ़िया बढ़िया कपड़े पहिना कर भेजते, लड़के पानी समझ कर चलते और चप्पलों से काली मिट्टी का कीचड़ उछल उछल कर उनके सारे कपड़ों को गंदा कर देता और तीन-तीन, चार-चार फीट के छोटे बच्चे और ६-६ फीट काली मिट्टी, ओठों तक बच्चे मिट्टी में गड़ गये। मैं उधर से जा रहा था तो दो, तीन बच्चों को गड़े हुए देखा, दूसरे बच्चे गड़े हुए बच्चों को निकालने जाते तो वे भी गड़ जाते। मैंने अध्यापकों को कहा कि यह क्या है तो उन्होंने कहा कि हम क्या करें, हमने शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर को, सब को लिख दिया है पर कोई ध्यान नहीं देता। मैंने कहा कि कलेक्टर साहब को कहते हैं, वे देखें इसमें क्या करते हैं ? मैंने गुमानपुरा थाने से कलेक्टर साहब को फोन किया और मैंने उनसे कहा कि इस स्कूल की और इस स्कूल के बच्चों की हालत देखिये। तो कलेक्टर साहब कहते हैं कि बच्चों को देखने का मुझे अधिकार नहीं है। मैंने कहा कि यहां पर बच्चों का उद्घाटन हो रहा है वह तो देखें, पर उन गड़े हुए बच्चों को निकालने के लिए देखने तक के लिये कलेक्टर साहब नहीं आये। तो जो बच्चे गड़े पड़े थे उनको कलेक्टर नहीं देखता, शिक्षा विभाग नहीं देखता, इस प्रकार की अव्यवस्था गुमानपुरा स्कूल की है।

सूरजपोल बिल्डिंग तोड़ी गई तो उसकी रकम भी तो कहीं गई होगी। बाद में मालूम हुआ कि भीमगंज मंडी में वह रकम लगा दी। नाजायज तरीके से अधिकारियों से मिल कर फायदा उठा लेते हैं। यह अफसोस की बात है कि हमारे प्रतिनिधि सत्ता में आ कर इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं। चैयरमैन है वह उस रकम को भीमगंज में लगवा देता है। जिस इमारत को तोड़ा गया तो वह धनराशि उसी स्कूल को मिलनी चाहिये थी, उसी स्कूल के काम में आनी चाहिये थी पर दूसरी जगह लगा दी गई। पावर में आने के बाद हमारे प्रतिनिधि एक समाज का नुकसान करके इस प्रकार के अवैधानिक कार्य करवायें तो यह कोई ठीक नहीं। आखिर उन छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें तो कीचड़ में गड़ी ही रह गईं, निकली ही नहीं.......

एक माननीय सदस्य : गल गई होंगी।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जहां तक इस स्कूल का सवाल है, इस स्कूल की बिल्डिंग को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिये। इस साल इस स्कूल में ज्यादा से ज्यादा लड़के फेल होंगे क्योंकि छः छः इन्च पानी में स्कूल में लड़कों को खड़ा रहना पड़ता था और तीन-तीन दिन तक बराबर स्कूल टपकता ही रहता था। पानी में बच्चे और मास्टर खड़े रहते थे, बिल्डिंग नहीं बदली गई, अतः इस साल मैं समझता हूँ बच्चों का रिज़ल्ट खराब रहेगा।

इसके अलावा पाठ्यक्रम हर साल बदल दिया जाता है इससे लड़कों के माता-पिता को बड़ा खर्चा करना पड़ता है और साथ ही यह भी देखा जाता है कि दूसरे साल उन दूसरी नई पुस्तकों का पता तक नहीं रहता।

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

तो एक तो बेचारे मजदूरी करने वाले माता-पिता बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तरह खर्चा करते हैं और इस प्रकार की दिक्कतों के कारण बच्चे फेल हो जाते हैं। एक तो मजदूरी करने वाले अपने बच्चों के लिये खर्चा करें, उनके पास पैसा नहीं और फिर इस तरह उनका एक साल मारा जाय। दूसरी तरफ जब गरीबों के बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको दाखिला नहीं मिलता है। वहां भी दाखिले होते हैं तो सिफारिशों के आधार पर। कोई बड़ा आदमी सिफारिश कर देता है तो थर्ड डिवीज़न में पास हुए बच्चे को भी दाखिला मिल जाता है लेकिन गरीब का बच्चा फर्स्ट डिवीज़न में आया हुआ भी मारा मारा फिरेगा। इसलिए इस सम्बन्ध में बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ा ही असन्तोष है।

रियासतों के समय में चलते थे शिक्षा विभाग उस समय भी जब स्कूल बन्द होने के होते और किसी अध्यापक का कोई तबादला भी करना होता तो १५ दिन पहले ही छुट्टियों के उनको तबादले की सूचना मिल जाती कि फलां जगह तुम्हारा तबादला किया गया है। परन्तु आज-कल सितम्बर में जहां लड़कों की परीक्षा होने को होगी कि तबादला किया जाता है। इसी तरह से जहां अप्रेल और मई में परीक्षा होने-वाली होगी सालाना कि अध्यापक का मार्च में ही तबादला कर दिया जाता है। वहां के लड़के सब फेल होंगे। सरकार यह नहीं सोचती है कि पढ़ाई का सीज़न जब शुरू हो, साल के शुरू में तो जहां कहीं मास्टरों को तबादले पर भेजना हो तो भेज दें। जिस अध्यापक को जहां भी तबादले पर जाना है तो उसको रहने को आखिर मकान भी चाहिये, वहां वह जाकर मकान जमा ले, फेमिली को जमा ले, लकड़ी वगैरह का बरसात से पहले इन्तजाम कर ले, यह तो सरकार सोचना नहीं चाहती। बरसात में, जहां आवागमन के रास्ते रुक जाते हैं, बेचारे मास्टरों को तबादले पर जाना पड़ता है, कितनी मुसीबत उनको होती है। इतनी दिक्कतें आपने अध्यापकों को दे रखी हैं।

अध्यापकों को अच्छी तरह से रखना होगा। उनके लिए साधन उपलब्ध कराने होंगे। छात्रों के लिए अच्छा बर्ताव करना होगा। समय पर छात्रों को पाठ्य-पुस्तकें देनी होंगी। नित्य प्रति छोटे छोटे बच्चों पर फीस लगा दी जाती है। गर्मी के दिनों के बाद फीस दी। चुनाव के दिनों में और फीस लगा दी। चुनाव होने के बाद ८वीं क्लास के विद्यार्थियों पर ७॥) रु० और लगा दिये। यह एक तरफ वातावरण मिलता है। दूसरी तरफ विरोधी पार्टी को सरकार के खिलाफ वातावरण बनाने का मौका मिल जाता है। ऐसी सूरत में अध्या-पकों का तबादला, पढ़ाई की सीज़न शुरू हो उससे पहले ही हो जाय, यह ध्यान देने योग्य है जिससे बरसात शुरू होने से पहले ही अध्या-पक वहां पहुँच जायें। पाठ्य-पुस्तकें उनको समय पर देनी चाहिये। हाई स्कूल से नीचे तक छात्रों पर किसी प्रकार की फीस नहीं होनी चाहिये। अध्यापकों की देखरेख भी समय समय पर करते रहना चाहिये। रियासतों के जमाने में ऐसा एक सरकुलर था कि जिस अध्यापक का रिज़ल्ट ५० फी सदी नहीं होगा उसकी तरक्की कभी नहीं होगी। इस तरह का कानून था। अब कोई कानून नहीं है।

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री परसराम मदेरणा) :

Page No.28

(श्री परसराम मदेरणा)

आपकी आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। अध्यक्ष महोदय की तरफ ध्यान रख कर बोलिये। गैलेरीज़ की तरफ ज्यादा है आपका ध्यान।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : अध्यक्ष महोदय की तरफ ध्यान दे रहा हूँ। कभी कभी इधर उधर झांकना आ जाता है।

मतलब यह है कि हमें विद्यार्थियों के लिये विशेष ध्यान देना चाहिये। एक तो सच्चाई उनमें आये, रात-दिन झूठ न बोलें। प्रेम उनमें पैदा हो। मैं यहां तक कह सकता हूँ कि खास कोटा शहर में आये दिन, जब से आजादी मिली है, हर साल छुरेबाजी के केस विद्यार्थियों में हो जाते हैं। कभी छुरा और कभी चाकू। सिटी हाई स्कूल में एक मास्टर को पीटा था। अगर अनुशासन सरकार की ओर से अध्यापकों पर न रहे और विद्यार्थियों पर अध्यापकों का न रहे तो फिर कैसे काम चलेगा ? अनुशासन मानने की भावना विद्यार्थियों में जाग्रत होनी चाहिये। शान्ति से अध्यापक पढ़ा सकें, उनमें कोई दुर्भावना न हो। समय समय पर अध्यापकों को सुविधायें मिलनी चाहिये और उनकी तरक्की होनी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपने कट मोशन पेश करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थानी साहित्य को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए मैं एक कटौती प्रस्ताव रख रही हूं। आज तक हमारे शिक्षा विभाग ने यह नहीं सोचा कि राजस्थानी साहित्य की उपेक्षा करके, अवहेलना करके उसने हमारे छात्रों को, हमारे समाज को, हमारे साहित्य को और हमारी संस्कृति को कितनी हानि पहुंचायी है। समाज का चरित्र बनानेवाला होता है वहां का साहित्य। इसीलिये साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है। जिस समाज का जैसा चरित्र होता है हूबहू उसका प्रतिबिम्ब साहित्य के दर्पण में देखा जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे साहित्य की परम्परायें जाज्वल्यमान रही हैं। हमें अपने साहित्य पर गरूर है। उसके एक एक शब्द में ओज भरा है। एक एक लफ्ज़ के पीछे हमारी पीढ़ियों का पराक्रम झांकता है और एक एक वाक्य में हमारा गरिमामय इतिहास मुस्कराता है। लेकिन कितने अफसोस की बात है

(१२. ० म. प.)

कि हमारे बच्चे उस साहित्य से वंचित रखे जाते हैं। हमारे बच्चों को उस जीवनदानी साहित्य से हमारा शिक्षा विभाग अलग-अलग किये हुए है। हमारे शिक्षा विभाग ने जो यह दुर्नीति अपनाई है उसका नतीजा हमें आज यह मिला है कि हमारी नयी पीढ़ी आज संस्कृति-विहीन होती जा रही है। आज वे लोग हमारी उन महान परम्पराओं को भूलते जा रहे हैं जो परम्परायें उन्हें समाज और देश के लिए सर्वस्व बलिदान करने के लिए प्रेरणा देती थी और वे उस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं जिसके पीछे हमारे राजस्थान का देश के बाहर और भीतर सम्मान किया जाता है। इसी के कारण हमारे चित्त में हीनवृत्ति घर

Page No.29

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

करती चली जा रही है। अध्यक्ष महोदय, इसके लिये अंग्रेजी में एक सूक्ति है जिसका अर्थ इस प्रकार है :

"अगर तुम्हें किसी जाति को, किसी देश को गिराना है तो उससे उसका इतिहास छीन लो, भाषा छीन लो। अपने इतिहास के आलोक के अभाव में, मातृभाषा के वात्सल्य के अभाव में वह जाति अपने आप गिर जायगी, नष्ट भ्रष्ट हो जायगी।"

अध्यक्ष महोदय, सूक्ति बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे शिक्षा विभाग की नीति नहीं बदली तो अवश्य पथभ्रष्ट हो जायगा। अगर हम चाहते हैं कि राजस्थान की सोई हुई शक्ति जागे तो हमें उन्हें भूले हुए इतिहास की याद दिलानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं, देश की उन परम्पराओं को याद दिलायेंगे तो हमारा देश आगे बढ सकेगा। अगर हमारी सरकार चाहती है कि नई पीढी नये जोश, नई उमंगें और नये उसूलों के साथ अपने राज्य के कायाकल्प से उठ खड़ी हो तो उनको ओजस्वी साहित्य उनकी मातृभाषा में पढाना होगा।

अध्यक्ष महोदय, जब तक हम यह मानसिक बल नहीं दे सकते तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ सकता क्योंकि हमारे देश की परम्परायें ऐसी रही हैं। मैं शिक्षा विभाग को आपकी मार्फत कुछ सुझाव पेश करना चाहती हूं।

सबसे पहले मेरा यह सुझाव है कि राजस्थानी भाषा को संविधान में स्वीकार कराया जाय। यह मैं जानती हूं कि मेरे इस शब्द के साथ एक शंका, एक प्रश्न, एक उलझन कई दिमागों में पैदा हो जायगी लेकिन उसका मैं समाधान पहले कर देना चाहती हूं। राजस्थानी भाषा को संविधान में स्वीकार कराने का अर्थ यह नहीं होगा कि संविधान में स्वीकार होते ही वह राजभाषा हो जायगी। राजभाषा अथवा ऑफिसियल लेंग्वेज बनाने के लिये एक अलग ैंग्वेज बनानी होती है। संविधान में आते ही यह भी नहीं होगा कि हमारी स्कूलों, कॉलेजों और युनिवर्सिटीज़ में इसके माध्यम से पढाई की जा सके। यह तो दूर की बात है। संविधान में स्वीकार होने पर कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। सबसे पहला लाभ यह होगा कि हमारी भाषा को अन्य प्रान्तीय भाषाओं के साथ जिनकी संख्या १५ है उनके मुकाबले में स्टेटस प्राप्त होगा। उसके साथ साथ हमारा, हमारे राज्य का और हमारी भाषा का स्टेटस ऊंचा होगा।

दूसरा लाभ यह होगा कि जो केन्द्रीय सरकार बहुत बड़ी धनराशि प्रान्तीय भाषाओं के विकास के लिये खर्च कर रही है उस धनराशि का हकदार हमारा राज्य भी हो जायगा।

तीसरा लाभ यह है कि केन्द्र की साहित्य अकादमी में राजस्थानी भाषा की ब्रांच खुल जायगी। उस ब्रांच के द्वारा हमारी राजस्थानी भाषा की पुस्तकों का अनुवाद अन्य प्रान्तीय भाषाओं में होगा और दूसरी प्रान्तीय भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद हमारी राजस्थानी भाषा में हो सकेगा। इससे हमारे लेखकों को स्टेट्स अवार्ड्स मिलेंगे और कई प्रकार के लाभ होंगे।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि प्रौढ़ शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा अविलम्ब राजस्थानी भाषा के माध्यम से शुरू कर दी जाय। हमें अपने करोड़ों लोगों को साक्षर बनाना है। यह बिना मातृभाषा में शिक्षा दिये नहीं हो सकता। जब मातृभाषा को अपनायेंगे तभी जाकर उन लोगों को शिक्षित किया जा सकेगा। जो असामान्य पब्लिसिटी होती है लाखों रुपया सरकार का खर्च होता है उसमें उनको समझाने का माध्यम मातृभाषा न होने के कारण आम जनता ग्रहण नहीं कर सकती इसलिये हमारी जनता के विकास के लिये, उनकी जागृति के लिये जितनी भी प्रकार की पब्लिसिटी हो वह सारी की सारी राजस्थानी भाषा के माध्यम से होनी चाहिये, तभी जनता उसको ग्रहण कर सकेगी नहीं तो लाखों रुपया पब्लिसिटी के लिये खर्च किया जाता है वह बेकार हो जायगा।

तीसरा मेरा सुझाव यह है कि युनिवर्सिटी में राजस्थानी की सीट कायम की जाय। जोधपुर युनिवर्सिटी हम कायम करने जा रहे हैं उसके लिये हमें अभी राजस्थानी भाषा के बारे में विचार कर लेना चाहिये। हमारे कॉलेजों में राजस्थानी को एक ऐच्छिक भाषा के रूप में पढ़ाने का प्रबन्ध किया जाय। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के और भी कई सुझाव हैं जिन्हें मैं रखना चाहती हूं किन्तु समय नियत है इसलिए मैं शिक्षा विभाग से आपके द्वारा यह अर्ज करती हूं कि वे इस बारे में विचार करें। आज राजस्थान की जनता अपनी भाषा के बारे में काफी जागरूक हो चुकी है, अपनी भाषा की उपेक्षा और असम्मान जो हो रहा है उससे उसका दिल बुरी तरह से खटकने लग गया है। मेरी मांग के पीछे जनता की की आवाज है। मैं आशा करती हूं कि शिक्षा विभाग इसको समझेगा और गंभीरता से इस पर विचार करेगा। अगर इस विषय पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, तो मुझे डर है कल इसके बुरे परिणाम हमें देखने को न मिलें। हमारे शिक्षा मन्त्री इस विषय पर ध्यान देंगे और इसको अमल में लायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे छः कटौती के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा और भी कटौती के प्रस्ताव हैं जो इससे सम्बन्धित हैं। मैं सभी सम्बन्धित कटौती प्रस्तावों को रखते हुए निवेदन करूंगा।

सबसे पहले जो कटौती का प्रस्ताव है वह प्राथमिक पाठशालाओं में जो पंचायतों का स्टाफ है, पंचायतों के शिक्षक हैं और जो सरकारी शिक्षक हैं उन दोनों के बीच में जो भेद है और खास तौर से प्राथमिक शालाओं के शिक्षकों के प्रति उपेक्षा की जो नीति है इस सम्बन्ध में प्रकाश डालने के लिये है। राजस्थान में हमारी प्राईमरी शिक्षा का जो स्कोप है, उसकी गति है वह गत दस वर्षों में काफी बढ़ी है, काफी तादाद में स्कूलें खुली हैं। हमारे राजस्थान में तीस, इकतीस हजार गांवों में से १५ हजार गांव ऐसे हैं जहां स्कूलें हैं। जो हमारा बजट है उसमें से हम काफी धनराशि शिक्षा पर खर्च करते हैं और शिक्षा के लिये जो तेरह-चौदह करोड़ का बजट है उसमें से करीब पच्चीस प्रतिशत पाठशालाओं पर खर्च होता है। जहां तक छात्रों की संख्या का सवाल है, गांवों की स्कूलों की संख्या का

(श्री मुरलीधर व्यास)

सवाल है, शिक्षकों का सवाल है और सारे खर्चे का सवाल है उस सब को जब हम देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि एक ओर तो हमारी राजस्थान सरकार अपनी शिक्षा नीति में इस बात को स्पष्ट करती है कि प्राथमिक शिक्षा हमारी शिक्षा की बुनियाद है। मैंने 'राजस्थान में शिक्षा विकास' नामक एक पुस्तक को देखा है। उसमें सबसे पहले पेज पर जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात कही गई है और खास तौर से नर्सरी शिक्षा के बारे कहा है उसमें यह लिखा है कि तीन और पांच साल की उम्र ऐसी उम्र है जो बच्चों की शिक्षा का आधार है। एक तरफ तो शिक्षा शास्त्रियों का यह मत है कि तीन और पांच साल की उम्र ऐसी है जो शिक्षा का आधार है, दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि उसके लिये नर्सरी स्कूलों की व्यवस्था हो। दूसरी तरफ कहा जाता है कि प्राथमिक शिक्षा ही वास्तविक शिक्षा का आधार है। जब हम देखते हैं राजस्थान के अन्दर १५ हजार स्कूलें हैं और इस तरह से प्राईमरी स्कूलों में बच्चों की संख्या को देखते हैं तो कहा यह जाता है कि करीब १० लाख बच्चे प्राईमरी स्कूलों में पढ़ते हैं। उम्र के हिसाब से तीन, सात और सत्रह के बीच में कितने बच्चे हैं तो वे करीब ६० लाख बच्चे हैं उसमें से दस लाख बच्चों की पढ़ाई के लिये व्यवस्था है और पचास लाख के लिये व्यवस्था नहीं है और उसमें से भी नर्सरी एजुकेशन में जो बच्चे आते हैं वे करीब दो लाख आते हैं। इन दो लाख बच्चों को पढ़ाई के लिये कितना प्रबन्ध है ? केवल तीन सौ बच्चों की पढाई के लिये प्रबन्ध है जब कि तीन से पांच साल तक की उम्र को बुनियादी आधार माना है और प्रबन्ध को देखते हैं तो केवल ३०० के लिये प्रबन्ध है और स्कूलों की संख्या १५ है और उसमें ३०० लड़के पढते हैं।

प्रति लड़के की प्राईमरी शिक्षा पर आप कुछ ज्यादा खर्च नहीं करते। शिक्षक का खर्चा आप देते हैं केवल २॥ करोड़ रुपया। आप प्राईमरी स्कूल के बच्चों के लिये खर्च करते हैं। १५,००० प्राईमरी स्कूलें हैं और इनके लिये जैसा आप स्वयं कहते हैं २५ हजार शिक्षक हैं। अब २५ हजार शिक्षक २॥ करोड़ रुपया और १० लाख बच्चे और १५,००० प्राईमरी स्कूलें। यह है। अगर इस रुपये को बराबर बांटते हैं तो सालाना एक बच्चे पर २०)-२२) रुपया का रेशो आता है। माहवार आप एक बच्चे पर २)रु० खर्च करते हैं प्राईमरी शिक्षा के लिये और वह भी खर्चा शिक्षक के वेतन का है। अब एक तरफ तो प्राईमरी शिक्षा के लिये आप २) रु० माहवार खर्च करते हैं एक बच्चे पर और दूसरी तरफ इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो हायर एजुकेशन पर आपका खर्चा आता है वह आपकी रिपोर्ट के अनुसार इस प्रकार है :

...."while the contribution from the local bodies, fees and endowments and other sources was 0.8....on average the annual cost of educating a pupil was Rs. 226.6 in an Arts and Scince college, Rs. 691.1 in professional colleges, Rs. 230.6 in a special college, Rs.160.7 in a Higher Secondary School, Rs. 53.8 in middle schools, and senior basic schools, Rs. 30.54 in primary basic schools...."

(श्री मुरलीधर व्यास)

तो इसमें जो खर्चा आया है उससे अन्दाज लगा सकते हैं कि साइन्स के विद्यार्थी पर आपका खर्चा ७००) रु० सालाना आता है और दूसरी तरफ प्राईमरी स्कूल के बच्चे पर २०)-२२) रु० आता है। यह बहुत बड़ा अन्तर है। तो एक तरफ तो यह इतना बड़ा अन्तर खर्चे में और दूसरी ओर आप कहते है यह बेसिक एजुकेशन है। बुनियादी शिक्षा को आप आधार मानते हैं। जहां यह आधार हो वहां इतना खर्चा और जिसको आधार नहीं मानते उस पर इतना अधिक खर्चा? मैडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी पर तो आपका खर्चा और भी अधिक आता है, करीब १,५००) रु० प्रति वर्ष। तो इससे अन्दाज लगा सकते हैं कि प्राईमरी शिक्षा के प्रति सरकार का क्या दृष्टिकोण है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जो कुल रुपया २॥ करोड़ प्राईमरी शिक्षा पर खर्च करती है इसमें एक हजार रु० एक शिक्षक की तनख्वाह मानें, जिसमें हैड मास्टर, दूसरे मास्टर भी आ जाते हैं तो सिवाय तनख्वाह के और प्राईमरी स्कूल का खर्चा जो है उसमें बच्चे को क्या मिलता है? कुछ नहीं और दूसरी ओर मिनिस्टरीयल खर्चा बड़ा है। तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि जिसको आप बुनियादी समझते हैं, उस बच्चे के खर्चे पर, उसकी बुनियादी शिक्षा पर आपका खर्चा बहुत कम है। वह भी सिर्फ बच्चे के लिये जो शिक्षक आप रखते हैं उनके वेतन मात्र का खर्चा है। अब स्कूल में बच्चों को पानी पिलाने और दूसरे दूसरे खर्च बढ़ाते हैं तो इसके लिये आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो यह जो हमारे यहां की प्राथमिक पाठशालाओं की व्यवस्था है इसके अनुसार प्रति बालक, बालक नहीं, सिर्फ एक शिक्षक के वेतन के रूप में कह दिया जावे, यह सारा पैसा वेतन में खर्च होता है, बच्चों के लिये एक पैसा खर्च नहीं होता है।

फिर हम दूसरी ओर बजट में प्रावधान रखते हैं कि चार लाख रुपया आप किताबों में या सुबह के भोजन पर खर्च करेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि जहां १५ हजार स्कूलें हों वहां इतने से रुपयों से आप क्या करेंगे, किस किस को क्या देंगे। आप दो रुपया प्रति बालक प्रति माह भी दें तो २॥ करोड़ रुपया तो वैसे ही चला जायेगा। अब आप अगर कुछ चुने हुए लड़कों को ही ये देंगे तो कितनों को देंगे कहां कहां देंगे क्या व्यवस्था आप करेंगे? मेरी तो समझ में यह बात बैठती नहीं। कुछ को दिया जावे, कुछ को नहीं तो यह आप कैसे देंगे? शहरी बालकों को ही दिया जावे, या गांव वालों को, गरीबों को दिया जावे या किनको दिया जावे? तो इस तरह से मुझे कोई अच्छा सा बजट नहीं दिखता यह। सरकार अगर खाना ही देना चाहती है तो सब को दे या गरीबों के नाम पर दे, पर इस प्रकार पूरी व्यवस्था हो नहीं सकेगी।

मैं खास करके माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर इसलिये खींचना चाहता हूँ कि आप जिसको बुनियादी शिक्षा मानते हो और जिसके विकास को हम अन्तिम नीति के रूप में स्वीकार करते हैं तो फिर इसके लिये स्पष्ट रूप से बजट में रकम रखनी पड़ेगी।

आप एक तरफ तो युनिवर्सिटी के खर्चे को बढ़ाते जा रहे हैं, आप इस को कम करो; मैं इसके बारे में नहीं कहना चाहता, पर

(श्री मुरलीधर व्यास)

तुलनात्मक दृष्टिकोण से कहना चाहता हूँ कि जिस राजस्थान के अन्दर आप कहते हैं कि आगामी तीसरी योजना के अन्त तक कम्पलसरी प्राईमरी शिक्षा लागू कर देना चाहते हैं और आज १० लाख बच्चे शिक्षा पाते हैं ६० लाख को शिक्षा देनी है तो इसके लिये कितनी स्कूलें आप खोलेंगे ? कितनी तो आप सिंगल टीचर स्कूलें खोलेंगे, कितनी दूसरी ? आज सात हजार सिंगल टीचर स्कूलें हैं। जहां पचास–साठ लड़के या लड़कियां हैं तो उनको भी वही एक टीचर पढ़ाता है। एक ओर तो आपकी प्राथमिक शिक्षा की यह स्थिति है, दूसरी ओर आप उसे अनिवार्य करना चाहते हैं, तीसरी ओर आप उनको दोपहर का भोजन और पुस्तकें वगैरह भी देना चाहते हैं और आप अपने साधनों की तरफ देखें तो आपके जो साधन हैं वे आपके सामने हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा मन्त्रीजी इस प्राथमिक शिक्षा के महत्व की ओर ध्यान दें।

शिक्षकों के रहनसहन की तरफ भी ध्यान दें। आज आप शिक्षक को गांव में भेज देते हैं, उसके रहने की आपकी ओर से कोई व्यवस्था नहीं। महिला टीचर के लिये भी रहने की आपकी ओर से व्यवस्था नहीं। वेतन भी उनको बहुत अल्प मिलता है, जिसमें उनको अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है। आप उन बातों की ओर भी ध्यान दें।

प्राथमिक पाठशालाओं में सरकारी शिक्षकों को आपने पंचायतों के अन्तर्गत काम करने के लिये रखा है। यह भी मानते हैं, ठीक है, पर जो भी शिक्षक हो चाहे सरकार के अन्दर में या पंचायत के अन्दर में काम करे, सरकार उसे अपना ही कर्मचारी मानेगी। उसको उन्नति करने के लिये उसको आगे भी मौका देना है, वह बराबर सरकार देगी। परन्तु आज हो क्या रहा है कि जो बेसिक ट्रेन्ड टीचर्स हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग ले ली है आज वह पंचायतों में चले गये हैं और दूसरी ओर जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से नये शिक्षक भर्ती किये जाते हैं उनको तो आप मिडिल स्कूलों में भेज देते हैं, अच्छी जगह पर वह चले जाते हैं लेकिन उन शिक्षकों ने जिन्होंने आपके आधार पर ट्रेनिंग प्राप्त की और जो पंचायतों के अन्तर्गत हैं जहां मिडिल स्कूलों में दूसरे ट्रेण्ड शिक्षकों के भेजने का सवाल है वह लोग पीछे रह जाते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जहां तक पंचायतों के टीचर्स हैं उनके बारे में आपकी नीति साफ होनी चाहिए। सीनियोरिटी के हिसाब से, एजुकेशनल क्वालीफिकेशन्स के हिसाब से प्रमोशन्स मिलने चाहिए, चाहे वह सरकारी स्कूल हों या पंचायतों के स्कूल हों। इसलिए खास करके जो पहला कटौती का प्रस्ताव है उसके बारे में मैंने निवेदन किया है।

(समय-सूचक घंटी)

अब इसके बाद मैं दूसरे कटौती के प्रस्ताव पर आता हूँ........

श्री अध्यक्ष : वह तो आपका समय समाप्त हो गया।

श्री मुरलीधर व्यास : अब मैं अपने आगे के कटौती प्रस्ताव ले लेता हूँ....

श्री अध्यक्ष : १५ मिनट का समय समाप्त हो गया।

श्री मुरलीधर व्यास : मुझे इस व्यवस्था का पता नहीं था क्योंकि मैं बाहर था।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, अब ५ मिनट में अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर विवाद समाप्त कर दें ।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरे तीन कटौती प्रस्तावों का तो समाधान इससे हो गया है एक तो हायर एजुकेशन में खर्चेवाला, दूसरा प्राथमिक शिक्षकों के सम्बन्ध में और तीसरा खास करके बीकानेर में एम.एम. हाई स्कूल है उसके सम्बन्ध में । सरकार ने पायलेट स्कूलों के अन्तर्गत काफी अच्छा प्रबन्ध किया है । बच्चों के विकास के अच्छे साधन दिये हैं लेकिन एम.एम. स्कूल में आप चले जाइये तो आप देखेंगे कि यह एक छोटे से एरिया में है और इसके पीछे संडास बने हुए हैं । स्कूल से इन संडास का मुश्किल से १० गज का भी फासला नहीं है । पीछे टट्टियां हैं और सैकड़ों आदमी टट्टियां जाते हैं । वहीं पर बच्चे जाते हैं, वहीं पर औरतें जाती हैं । इस प्रकार की गन्दगी वहां पर है । बीकानेर में कोई नया स्कूल बनने का तो सवाल ही नहीं था । थोड़ी सी जमीन खरीद करके उसका विकास कर देते और इस गन्दगी को दूर कर देते तो बड़ा अच्छा होता । एक ओर तो आप पायलेट स्कूल बनाते हैं और दूसरी ओर उन पर काफी अच्छा पैसा खर्च करते हैं तो आप उसे जाकर देख लीजिए कि वहां पर कितनी गन्दगी है, न वहां पर ग्राउन्ड है, न दूसरे साधन हैं । न दूसरी व्यवस्था है । इसलिए मैं खासकर मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उसका थोड़ा सा भला कर दें । वह संडास मुश्किल से १० गज पर हैं जहां लोग पाखाने जाते हैं, वह बहुत बुरी चीज हैं । उस ओर ध्यान खींचने के लिए मैंने यह कटौती प्रस्ताव रखा है ।

एक मैंने यह भी प्रस्ताव रखा है कि राजस्थान में खास करके जो अन्धे हैं, गुंगे हैं, बहरे हैं इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए । इन पर सरकार की ओर से बहुत थोड़ी राशि खर्च होती है, केवल दो स्कूलें हैं । विश्व स्वास्थ्य संघ की रिपोर्ट मैंने देखी तो उन्होंने बताया है, कि दुनिया में १ करोड़ आदमी ऐसे हैं जो कि अन्धे हैं । दूसरे देश इसके लिए कमीशन बैठाते हैं, उसके लिए खर्चे का प्रबन्ध करते हैं । परन्तु साथ ही यह भी बताया गया कि एशिया के अन्दर ३० लाख की संख्या है और हिन्दुस्तान में १४ लाख हैं । उस हिसाब से करीब १ लाख अपने राजस्थान में भी होने चाहिए । कुछ कम भी हो सकते हैं लेकिन यदि हम गुंगे, बहरे और अन्धों की संख्या को ले लें तो १।। लाख के आसपास होगी । हमारे यहां पर दो स्कूलें हैं और यह मानवीय कर्तव्य होता है किसी भी सरकार का कि जो गुंगे हैं, अन्धे हैं, बहरे हैं उनको अगर हम प्रारम्भिक स्टेज के ऊपर शिक्षित नहीं बना सकते तो आखिर हम कानून बनाते हैं और इस प्रकार के कानून बनाते हैं कि हमारे राज्य में भिखारियों का भीख मांगना बन्द होना चाहिए लेकिन अन्धों को आपने प्रारम्भिक स्टेज पर ही शिक्षित नहीं किया तो वह भीख ही मांगेंगे और करेंगे क्या ? एक ओर तो आप अच्छा कानून बनाने की बात करते हैं और दूसरी ओर बजट में थोड़ी सी राशि इसके लिए रखते हैं ! मेरा निवेदन है कि इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रबन्ध करें तो अच्छा है । हमारे यहां पर स्कूल हैं, अनाथालय हैं वहां पर इनका प्रबन्ध कर सकते हैं । तो यह प्रबन्ध भी होना चाहिए । इसलिए मैंने इस ओर भी मंत्री महोदय का कटौती प्रस्ताव द्वारा ध्यान खींचा है ।

(श्री मुरलीधर व्यास)

रात्रि के समय जो रात्रि कॉलेज का प्रस्ताव है मेरा उसमें यही कहना है कि आज भी अपने यहां का रेकॉर्ड है कि जितने भी ग्रेजुएट्स निकलते हैं उनमें आप देखें कि कितने प्राइवेट बैठनेवाले हैं। ५० परसेन्ट ऐसे हैं जो कि प्राइवेट बैठते हैं और अब जो सरकारी वर्ग है उसके लिए आप रात्रि कॉलेज खोलने का प्रबन्ध कर रहे हैं। तो खास करके सरकारी कर्मचारियों के लिए यह रख दिया है कि वे रात्रि कॉलेज में नहीं जा सकते और उसमें भी टेम्पोरेरी के लिए इतना प्रतिबन्ध लगा दिया है कि वे नहीं पढ़ सकते। तो जहां तक शिक्षा का संबंध है हमारा मुल्क गरीब था और उसमें हर आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता था। इसी कारण यहां पर नौकरी के सहारे ही शिक्षा लेना चाहते हैं। तो जब हमारे गरीब देश में ऐसा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी रात्रि कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करना चाहे उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए तो ज्यादा से ज्यादा सुविधायें होनी चाहिए ताकि गरीब मुल्क का आदमी अपनी आर्थिक कठिनाइयों के कारण जो शिक्षा से वंचित रहता है वह शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

अब इसके बाद जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह यह है कि फिजिकल ट्रेनिंग और मिलिट्री शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये, वह कम्पलसरी होनी चाहिए। क्योंकि सारे देशों में ऐसा प्रबन्ध है कि मिलिट्री ट्रेनिंग सब के लिए कम्पलसरी है। सरकार ने ऐसा आश्वासन भी दिया था कि एन० सी० सी० का प्रावधान करते हैं। लेकिन उससे पूरा प्रबन्ध नहीं हो सकता। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि जो भी नौजवान शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं वे सच्चे सिपाही तब ही हो सकते हैं जब कि मिलिट्री एजुकेशन भी उनकी ली हुई हो और इसी आधार पर देश की सच्ची सेवा भी कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अनिवार्य रूप से मिलिट्री एजुकेशन कर देनी चाहिए ताकि हर आदमी इसको प्राप्त कर सके।

मैं कॉलेज एजुकेशन के बारे में एक बात जरूर भूल गया हूँ। हमारे यहां पर दूसरा कॉलेज भी हो गया है और हमने सोशियोलॉजी और पोलीटिकल साइन्स की डिमान्ड की थी। उसमें मंत्री महोदय की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि दूसरा कॉलेज होने पर हम यह सबजेक्ट्स खोल देंगे। अब क्योंकि वहां पर कॉलेज शिफ्ट हो गया है और बी० ए० तो बन्द हो गयी है, इस कारण वहां पर शिक्षकों के पीरियड्स भी कम हो गये हैं तो वहां पर सोशियोलोजी और पोलीटिकल साइन्स भी खोले जाने चाहिए। पहले पोलीटिकल साइन्स जैसे विषय इसलिए नहीं पढ़ाये जाते थे कि कहीं पोलीटिकल कॉन्सियसनेस न हो जाये और कहीं गवर्नमेंट को न उलट दें। तो वह तो राजा-महाराजाओं के जमाने में सोचा जाता था। मैं समझता हूँ कि हमारा यह कम से कम लोकतांत्रिक प्रदेश है। इसके अन्दर पोलीटिकल साइन्स सरीखा सबजेक्ट बीकानेर में अब जरूर होना चाहिए और उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था वह पूरा होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव रखता हूं।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत मांग पर मेरे ३ कटौती के प्रस्ताव हैं। सबसे पहले मैं अनिवार्य प्राईमरी एजुकेशन है उसके बारे में जो प्रस्ताव है उस पर बोलना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे हिन्दुस्तान के विधान में हमारी स्टेट के डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल्स के आधार पर यह माना है कि हम इस संविधान के लागू होने के १० वर्ष के अन्दर अन्दर हमारे हिन्दुस्तान में बच्चों के लिए फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन कर सकेंगे। इस डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल के आधार पर हमारी राजस्थान सरकार का लेखाजोखा लें तो हमें निराशा होती है। हमारे हिन्दुस्तान में अभी तक केवल पंजाब और उत्तरप्रदेश यह दो ही सरकारें ऐसी हैं कि जिन्होंने १४ साल तक के बच्चों की शिक्षा के लिए निशुल्क व्यवस्था की है। अभी जहां तक राजस्थान का प्रश्न है हम प्राईमरी एजुकेशन के बारे में बहुत पिछड़े हुए हैं। अभी तक जैसा कि हमारी सरकार के बेसिक स्टेटिस्टिक्स हैं उनके आंकड़ों से भी मैं सबूत करना चाहूंगा कि हम इस क्षेत्र में दूसरे राज्यों से कितने पिछड़े हैं।

जब हमारे राजस्थान का निर्माण हुआ है उस समय हमारी लिटरेसी की जो पर्सेन्टेज थी वह कुल ६ पर्सेन्ट थी और उस ६ पर्सेन्ट से इन १०–१२ वर्षों में हम कुल १४ पर्सेन्ट तक आये हैं। अब इन १० वर्षों में केवल ५ पर्सेन्ट औसत में एक तरह से हमने वृद्धि की है और जहां तक लड़कों का सवाल लेते हैं तो ५ से १४ साल के बच्चे हमारे राजस्थान में सन् ६१ की सेन्सस के मुताबिक ८० लाख थे और १९६१ में प्राईमरी एजुकेशन पाने वाले बच्चे केवल ६ लाख थे। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि कितने बच्चों का प्रोविजन करना है। तीसरे प्लान में जहां तक हमें मालूम है हमारा लक्ष्य बहुत सीमित लक्ष्य है। वह लक्ष्य यह है कि जितने बच्चे हैं उसके ६ पर्सेन्ट की व्यवस्था की जायगी। लेकिन जो अब तक की हमारी प्रवृत्ति रही है कि जिसके कारण से हम ८० लाख बच्चों में से केवल ६ लाख बच्चों की व्यवस्था कर पाये तो मेरी समझ में नहीं आता कि हम ६० पर्सेन्ट तक उस टार्गेट को कैसे ले जायेंगे? जहां तक हिन्दुस्तान का प्रश्न है हिन्दुस्तान की तीसरी पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य है कि ६० पर्सेन्ट बच्चों को हम कम्पलसरी एजुकेशन में लाना चाहते हैं और राजस्थान का लक्ष्य कुल ६० पर्सेन्ट है।

यह तो सवाल रहा प्राईमरी एजुकेशन के लिए। लेकिन जहां सवाल मिडिल स्कूल का आता है क्योंकि १४ साल के बच्चे मिडिल स्कूल तक होते हैं तो इस बारे में राजस्थान बहुत ही पिछड़ा हुआ है और इस दिशा की तरफ ऐसे कदम उठाये जाने चाहिए कि जिससे हमारा राजस्थान दूसरे राज्यों से कम से कम पिछड़े नहीं।

दूसरा मेरा कटौती–प्रस्ताव, माननीय अध्यक्ष, मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में ३–४ ऐसे प्राईमरी स्कूल्स हैं। जिनके आसपास फीडर स्कूल्स हैं लेकिन कोई मिडिल स्कूल नहीं है। खासतौर से नालागुडी और करमीसर गांवों के लोगों ने अपने श्रम से मिडिल स्कूल तक के स्टेन्डर्ड के मकान बनाये हैं और वहां के बच्चों की संख्या को देखते हुए और आसपास के फीडर स्कूल्स को देखते हुए यह वाजिब है कि

(श्री भीमसेन)

करमीसर और नालागुडी में प्राईमरी स्कूलों को मिडिल स्टेन्डर्ड तक रेज करें। जहां तक सरकारी आज्ञा का प्रश्न है इन स्कूलों के बारे में पंचायत समिति और जिला परिषद् ने अपने प्रस्ताव सरकार के सामने भेज दिये हैं।

तीसरा मेरा प्रस्ताव है नापासर हाई स्कूल को हायर सेकिन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में और वहां पर साइन्स रूम की व्यवस्था करने का सवाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नापासर के नागरिकों की ओर से ५ साल पहले कम से कम ५० हजार की लागत की बिल्डिंग सरकार को हाई स्कूल के लिए बना कर दी गई है और वहां राज्य सरकार की किसी तरह की इमदाद अब तक नहीं चाही है। केवल छोटे-मोटे साइन्स के लिए कमरों की व्यवस्था का सवाल है। इसके लिये भी वहां के नागरिकों ने २ साल हुए २,०००) रु० दे दिये हैं, लेकिन सरकार की तरफ से साइन्स के कमरों के निर्माण के बारे में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नागरिकों ने अपने श्रम से पहल की है इसी तरह से सरकार भी सहायता पहुंचाने और जो साइन्स के कमरों की मांग है उसको सरकार फौरन पूरा करें और उसके साथ साथ हाई स्कूल को हायर सेकिन्डरी स्कूल में परिवर्तित किया जाय, क्योंकि बीकानेर तहसील में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो हाईमरी सेकिन्डरी स्कूल हो और सरकार का लक्ष्य ऐसा रहा है कि एक एक तहसील में एक एक हायर सेकिन्डरी स्कूल का लक्ष्य रहा है। इसलिए हमारा यह निवेदन है कि हाई स्कूल को फुलफ्लेज्ड हायर सेकिन्डरी स्कूल तक रेज़ करें।

जहां तक हमारे डूंगर कॉलेज का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय, सरकार वचन दे चुकी थी कि ज्योंही यह नई बिल्डिंग बन जायगी तो बी० ए० में सोशियोलोजी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। अब बिल्डिंग बन गई है और मैं समझता हूँ कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, जो कट मोशन इस सदन में माननीय मुख्य मन्त्रीजी को पेश करना चाहिए था और माननीय वित्त मन्त्रीजी को समर्थन करना चाहिए था वह मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अजमेर-मेरवाड़ा की शिक्षण-संस्थाओं के पेट्रन हमारे मुख्य मन्त्रीजी हैं। अजमेर-मेरवाड़ा के राजस्थान में मिलने के बाद वहां की शिक्षण संस्थाओं के सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहों में जो कमी हुई है, जो कि पहले केन्द्रीय सरकार के स्केलों में उनको तनख्वाहें मिलती थी उनमें काफी कमी हो गई है। जब कि १ नवम्बर, १९५६ को अजमेर-मेरवाड़ा राजस्थान में मिला तो उसके विरोध में हमारे वर्तमान वित्त मन्त्रीजी ने भूख हड़ताल की थी। अफसोस है कि यहां पर अभी माननीय मुख्य मन्त्रीजी मौजूद नहीं और वित्त मन्त्रीजी मौजूद नहीं। मैं आपके जरिये इन दोनों को अपना संदेश पहुंचाना चाहता हूं।

पहले तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने उनको जवाब दिया वह हम आपके सामने क्वोट करेंगे उन्हीं के शब्दों में कि वहां के

(श्री कुमारानन्द)

जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनको राजस्थान में मिलने के बाद कम नहीं कर सकते हैं, उनको यह बराबर एश्योरेन्स दिया है, वह हम क्वोट करेंगे। दूसरा, हमारे वित्त मन्त्रीजी आज भी भूख हड़ताल करने को तैयार हो जायं नौकरी छोड़ कर, तो मैं भी उनके साथ में भूख हड़ताल करने को तैयार हूँ।

परन्तु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शिक्षा की तो इतनी बुरी हालत है, स्वामी विवेकानन्द ने कहा है :

"Education is the manifestation of perfection already in a man."

आज शिक्षा क्या है ? जिन आचार्यों के चरणों के नीचे बैठ कर राजा राममोहन राय, विवेकानन्द, डॉ. जे. सी. बसु, डॉ. पी. सी. राय, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, प्रेमचन्द, शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे महान् व्यक्ति पैदा हुए वे आचार्य लोग ४०,५०) रु० की तनख्वाह पर गुलामी करने के लिए मारे मारे फिरते हैं। यही हालत हमारे अजमेर-मेरवाड़ा की शिक्षण संस्थाओं की है। अजमेर-मेरवाड़ा के राजस्थान में मिलने के बाद और इससे पहले वहां के कर्मचारियों की और वहां की शिक्षण संस्थाओं की और वहां के टीचर्स की क्या हालत थी, पहले ग्रेड था उनका ११८) रु० का और राजस्थान में मिलने के बाद अब उनका ग्रेड मुश्किल से सब मिला कर ५०) रु० मिलता है। पहले मिलता था ११८) रु० और अब मुश्किल से मिलता है ५०) रु०। अब जब पूछा गया तो सरकार ने जवाब दिया है राजस्थान की सरकार ने सर्विस प्रोटेक्शन रूल्स बनाये हैं और उसके मुताबिक इनकी तनख्वाह में कमी कर दी है। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, स्टेट्स रीऑर्गेनिजेशन एक्ट के सेक्शन ११५ (७) में यह है "Nothing in this section shall be deemed to affect after the appointed day the operation of the provisions of sub-section (1) of section 15 of the Constitution in relation to the determination of the conditions of service of persons serving in connection with the affairs of the Indian State. Provided that the conditions of service applicable immediately before the appointed day to class of persons referred to in sub-section (1) or sub-section (2) shall not be to disadvantage except without reference to Central Government."

और तब सेन्ट्रल गवर्नमेंट की बिना परमिशन के वे कोई सर्विस रूल्स चेन्ज नहीं कर सकते और फिर सेक्शन ११७ कहता है :

"The Central Government may give such direction to any State Government as may appear to be necessary for the purpose of giving effect to the following provisions and the State Government shall comply with such directions."

अब आपकी सरकार, राजस्थान सरकार कहती है कि हमने सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट की पर्मिशन लेकर सर्विस प्रोटेक्शन रूल्स बनाये और उनके मुताबिक हमने कानून बनाया जिसमें उसकी तनख्वाह कम कर दी गई। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब पूछा गया

(श्री कुमारानन्द)

आपको, डी. सी. शर्मा, एम. पी., आॅल इन्डिया टीचर्स एसोसियेशन के प्रेसीडेन्ट द्वारा कि राजस्थान सरकार ने क्या सेन्ट्रल सरकार से पर्मिशन लेकर सर्विस रूल्स बनाये हैं ? तो उसका जवाब क्या देते हैं :

"Government of India have not issued any direction under rule 117 of the States Reorganisation Act."

गवर्नमेन्ट आॅफ इन्डिया ने ऐसा कभी नहीं कहा । उसके बाद अजमेर-मेरवाड़ा के राजस्थान में मिलने से पहले अजमेर में एक शिक्षा मेला हुआ था उसमें हमारे तीनों मन्त्री जो उस समय थे माननीय श्री हरिभाऊ उपाध्याय, माननीय श्री बृजमोहनलाल शर्मा और माननीय श्री बालकृष्ण कौल, तीनों ने एक साथ आश्वासन दिया है कि अजमेर—मेरवाड़ा के राजस्थान में मिलने के बाद केन्द्रीय सरकार को जो तनख्वाहें हैं, चाहे कोई किसी भी डिपार्टमेन्ट में काम करता हो; शिक्षा में, पुलिस में या और किसी डिपार्टमेन्ट में सरकारी कर्मचारी काम करता है, उसकी तनख्वाह किसी भी प्रकार कम नहीं होगी । तो इस प्रकार हमारे अजमेर—मेरवाड़ा में आज भी इस बात के लिये आन्दोलन है, शिक्षकों में आज भी असंतोष है और मैं पूछना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से, माननीय वित्त मन्त्रीजी से और माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से, तीनों से, तीनों के तीनों इस समय यहां होते तो अच्छा होता क्योंकि तीनों के पास कोई जवाब नहीं है देने को ।

और एक बात आपको बता देना चाहता हूं पेप्सू के हाईकोर्ट ने और मैसूर के हाईकोर्ट ने सेक्शन ११५ क्लॉज के मुताबिक यह फैसला दिया है, शिक्षकों और कर्मचारियों के फेवर में । पेप्सू जब पंजाब में मिला तो वहां के कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी और हाईकोर्ट ने उनके फेवर में डिसीज़न दिया है कि जो तनख्वाह पहले कर्मचारियों को मिलती थी वही मिलनी चाहिये । मालूम नहीं सरकार क्या कर रही है ? मैं तो अजमेर—मेरवाड़ा के बारे में सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके सामने क्या जवाब है ? प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की हालत क्या है ? उनकी हालत यह है कि अभी १-१०-५६ को प्राथमिक शिक्षा को पंचायतों के अधिकार में कर दिया है । पंचायत क्या करती है ? उनको कहती है कि जानवरों के मेले में काम करो, पशुओं की गिनती करो, पंचायतवालों के अपने घर में काम करो, गुटबन्दी में फंसो । इस तरह के हैं प्राथमिक शालाओं में काम करनेवाले । महिलाओं की हालत क्या है ? डिप्टी इन्सपेक्टर के पास जयपुर आना पड़ेगा, ऐसी खबर मिली है । शिक्षा मंत्रीजी जवाब देंगे, अजमेर—मेरवाड़ा के डिप्टी इन्सपेक्टर को जयपुर आना पड़ेगा अजमेर से । इसमें मुश्किल पड़ेगी ।

दूसरी बात यह है कि मुदालियर कमेटी ने फैसला किया पेन्शन, बीमा और प्रोविडेन्ट फंड के लिये; लेकिन यहां ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है । इसलिये मैं आज बहुत समय नहीं लेकर खास कर यह कहना चाहूंगा कि अजमेर-मेरवाड़ा के शिक्षकों को ये दीजिये ।

इसके अलावा यह है कि प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाह यदि १००) रू०

Page No.40

(श्री कुमारानन्द)

होती है तो १००) रू० पर साइन करा कर उनको ५०) रू० देते हैं। इस बात का केरल में झगड़ा हुआ था। केरल सरकार ने कहा कि कम से कम गवर्नमेन्ट जैसी पे देनी चाहिये। प्राइवेट स्कूलों में भी इसका झगड़ा हुआ था। अब आज हमारी राय में प्राइवेट स्कूलों में इस तरह से तनख्वाह देते हैं तो सरकार अपने कब्जे में ले ले, नहीं तो क्या होगा कि १००) रु० पर साइन करायेंगे और ५०) रू० तनख्वाह देंगे, ६०) रू० पर साइन करायेंगे और ३०) रू० तनख्वाह देंगे। यह उनके लिये बड़ी मुश्किल बात है।

मैं ज्यादा नहीं कहता हुआ आपके सामने अजमेर-मेरवाड़ा के कर्मचारी, खासकर शिक्षकों को जो देते हैं उस पर ध्यान दें क्योंकि उनका तो मर्जर नहीं हुआ; बल्कि मर्डर हुआ है। इसलिये कहना चाहता हूँ कि पे स्केल्स की ओर माननीय शिक्षा मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय वित्त मन्त्रीजी ध्यान दें और जवाब दें। हम जानते हैं कि उनके पास जवाब नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि पे स्केल्स के बारे में सोचें। राजस्थान के शिक्षकों से अजमेर के शिक्षक काफी एडवान्स हैं और वे अभी प्राईमरी स्कूल्स में वैसे ही काम कर रहे हैं। यहां तो नॉन मैट्रिक या मैट्रिक पास करके प्राईमरी स्कूलों में जाते हैं लेकिन अजमेर-मेरवाड़ा में बी. एड. एम. एड. आदि अब भी प्राईमरी स्कूलों में पड़े हुए हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आपके जरिये खींचता हूँ कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी, माननीय शिक्षा मन्त्रीजी और माननीय वित्त मन्त्रीजी इस बारे में सोचें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कटौती-प्रस्ताव हैं जिनमें से पहला अलवर जिले में उच्च शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता के सम्बन्ध में है। अध्यक्ष महोदय, हमारे अलवर जिले में आजादी आने से पहले, सन् १६४७ से पहले, जब रजवाड़े का राज्य था उस समय से एक डिग्री कॉलेज राजऋषि कॉलेज के नाम से चलता था और आज चौदह वर्ष के बाद वह ही एक डिग्री कॉलेज वहां पर मौजूद है। उससे ज्यादा न उस कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाया गया है, न कोई और दूसरा कॉलेज खोला गया है, न कोई लड़कियों के लिए अलग डिग्री कॉलेज बनाया गया है, न कोई टैक्निकल कॉलेज अलवर जिले में खोला गया है। अध्यक्ष महोदय, इस दौरान में, इन चौदह वर्षों में हमारे जिले की जनता यह भी देखती रही है कि दूसरे जिलों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, दूसरी जगह क्या किया जा रहा है और इसी सदन में हमने बहस की, देखा कि उदयपुर में एक एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी कायम करने के लिए बिल सदन में पेश किया गया, जोधपुर में एक और युनिवर्सिटी कायम करने के लिए इस सदन में बिल पेश किया गया और उसके पीछे यह बात जाहिर है कि एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी के लिए यह जल्दी इसलिए की गई कि कोई एड विदेश से आ रही है, उसका उपयोग हमें करना चाहिए और इसलिए हमें देर न करके और जल्दी से उस युनिवर्सिटी को कायम करना चाहिए।

इसी प्रकार की दलील जोधपुर की युनिवर्सिटी को कायम करने के लिए दी गई कि केन्द्रीय सरकार की ओर से, युनिवर्सिटी-ग्रान्ट

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कमीशन की ओर से, अगर कोई नई युनिवर्सिटी राजस्थान में कायम हो जाय तो उसके लिए इस प्रकार की मदद मिल सकती है और सरकार ने उसके लिए व्यवस्था की और वे बिल इस सदन में पेश हुए। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि अलवर जिले के विद्यार्थियों की ओर से, वहां के जिम्मेदार संगठनों की ओर से बारबार बहुत मॉडरेट सी मांग यह की गई कि राजऋषि कॉलेज में एलएल., बी. और एम. ए. क्लासेज़ खोल दी जायं। उस मांग को बहुत कंटेम्पचुअस तरीके से राजस्थान सरकार ने ठुकरा दिया। इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, बल्कि सन् १६४८ में, जब अलवर जिला मत्स्य राज्य का हिस्सा था, वहां पर राजऋषि कॉलेज में एलएल., बी. क्लासेज़ चलती थी। आजादी आने के बाद यह मिला हमारे जिले को कि वह एलएल., बी. की क्लासेज़ भी डिस्कन्टीन्यू कर दी गई। यह हमदर्दाना रुख राजस्थान सरकार से शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे जिले को मिला है। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने भी अपने भाषण में इमोशनल इन्टीग्रेशन होना चाहिए, इस ओर हमारा ध्यान दिलाया। बजट पर जनरल बहस में भी इस प्रकार की सरकारी बैंच की तरफ से बात कही गई और यह कहा गया कि हमारे अन्दर क्षेत्रीय भावनायें नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं यह सदन को बताना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी ने हमेशा रीज़नेलिज्म के खिलाफ संघर्ष किया है, भारी मुसीबतें सह कर भी संघर्ष किया है। जहां और पार्टियां प्रान्त के बंटवारे के बारे में एक एक गांव में, एक एक जिले में मुख्तलिफ राय रखती रही हैं, हमारी पार्टी ने उस बारे में कभी भी परस्पर विरोधी मत न रख कर एक मत रख कर संघर्ष किया है। महाराष्ट्र और गुजरात का फैसला, जिसको भारत सरकार नहीं कर सकी, आपको यह मानना पड़ेगा कि वहां के मुख्तलिफ जिलों की जो पार्टी थी। उसने एक राय होकर फैसला किया। इसलिए मैं जब आपके सामने अलवर जिले की समस्या रख रहा हूँ, मैं उम्मीद करूंगा कि आप अवश्य ध्यान देंगे कि इसमें कोई क्षेत्रीय भावना की बात नहीं है बल्कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि यदि वास्तविकताओं को नहीं देखा गया और प्रान्त के विभिन्न छात्रों के साथ न्याय नहीं किया गया तो इमोशनल इन्टीग्रेशन की बात है वह एक हवाई बात बन कर रह जायगी, एक हिपोक्रेसी रहेगी। मैं यह कहूँ, यह उन लोगों का नारा है जो आज सत्ता में हैं, जो उस बात को हर तरीके से करना चाहते हैं और दूसरे लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। आखिर अलवर जिले में कांग्रेस को पार्लियामेन्ट की सीट खोनी पड़ी, दोनों मंत्री कांग्रेस के हार गये, दो और बड़े नेता हारे। यही वजह थी, क्योंकि अलवर जिले की जनता में यह अहसास है कि आखिर इन पन्द्रह वर्षों में हमें क्या मिला? हमने कांग्रेस को लगातार जितवाया और इसके बावजूद हमारे जिले में नहर नहीं है, हमारे जिले में बिजली नहीं है,

(१२.५५ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह सभापति, पदासीन)

हमारे जिले में कारखाना नहीं है और हमारे जिले में शिक्षण संस्थाओं का कोई स्थान नहीं है। सभापति महोदय, इस तरीके से आप यह खयाल करेंगे कि जो अलवर जिला भारत के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

केन्द्र के नजदीक होने के कारण आगे बढ़ा हुआ जिला राजस्थान में मिलने पर था, धीरे धीरे उसकी और उसकी विकास की समस्याओं की ओर दुर्लक्ष्य होने के कारण आज वह पिछड़ता जा रहा है। आज उसकी समस्याओं के बारे में केवल यह कह कर मुंह बंद किया जा रहा है कि आपके यहां के दो मन्त्री ले रखे थे, आपकी समस्याओं को वे हल करें। हमारे जिले की जनता ने आपकी वह सौगात दो मन्त्रियों की आपको लौटा दी। हम काम चाहते हैं, हमारे जिले की जनता विकास चाहती है। वह मन्त्रियों के होने से हो या बगैर मन्त्रियों के होने से हो, लेकिन हम प्राथमिकता अपने काम को देना चाहते हैं। सभापति महोदय, इसलिए इस जिले में, जहां पर कि तीस से अधिक हायर सेकिन्डरी स्कूल्स हैं, जिससे कि लड़कों का फ्लो कॉलेज में काफी है, यहां तक कि राजऋषि कॉलेज में १,५०० से अधिक छात्र हैं। उस जिले के जितने लड़के हायर एजूकेशन में जाना चाहते हैं, वे ठीक तरीके से उसमें आ नहीं सकते। इसलिए इस जिले में एक, दो दूसरे कॉलेजों की आवश्यकता और है। यह अच्छा है कि इस बजट में प्रोवाइड किया है लेकिन वह पिछले साल भी था और वह लैप्स हो गया। पता नहीं वह काम पूरा क्यों नहीं हो सका। वहां कॉलेज के लिए प्रावधान अवश्य किया गया है।

अब दूसरी बात, जो मॉडरेट बात है, एलएल., बी. और एम. ए. क्लासेज़ राजऋषि कॉलेज में जारी करने की, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए। हमारा जिला कोई बहुत बड़े सेठों का जिला नहीं है, मामूली साधारण मध्यमवर्गीय और गरीब लोगों का वह जिला है। तो जो लड़के ग्रेजुएट हो जाते हैं उनके लिए एम. ए. और एल. एल., बी में पढ़ने के लिए जयपुर का भारी खर्चा बर्दाश्त करना नामुमकिन है इसलिये बहुत से लड़के आगे एम. ए., एल एल.,बी. आदि में स्टेडी करने से महरूम रह जाते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जावे जहां आप और जगह युनिवर्सिटी की बात सोचते हैं, और जगह ज्यादा शिक्षण संस्थाओं की बात सोचते हैं वहां हमारे यहां मिडिल स्कूलों की जरूरत के लिये पिछले १० सालों से लगातार कहा जाता रहा है, उस पर ध्यान नहीं दिया गया, उस पर ध्यान देने की जरूरत है।

इसके अलावा हमारे जिले में लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं है। लड़कियों के लिये यह बड़ा मुश्किल होता है कि वे जयपुर या और किसी जगह जाकर अपनी शिक्षा प्राप्त करें क्योंकि बहुत कम ऐसे परिवार हो सकते हैं जो दूसरे स्थानों पर अपनी लड़कियों को भेज कर पढ़ाने लिये खर्चा कर सकें। इसके अलावा बहुत से लोग अपनी लड़कियों को दूसरी जगह भेजना भी पसन्द नहीं करते। इसलिये अलवर में लड़कियों के लिये कॉलेज हो तो लड़कियें वहां पर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं। इस बात की जरूरत को जब हमारे यहां डॉ० राधाकृष्णन पधारे थे उस समय म्युनिसिपैलिटी की ओर से उनको अभिनन्दन-पत्र दिया गया था उस समय भी आवेदन-पत्र दिया गया और अलवर के सभी नागरिकों की तरफ से इसके लिये कहा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गया, मगर अब तक लड़कियों का कॉलेज मंजूर नहीं किया गया है ।

तीसरी बात है टैक्निकल कॉलेज की । यह बहुत अर्से से मांग की जा रही है कि हमारे यहां टैक्निकल कॉलेज होना चाहिये । सभापति महोदय, यह जरूरियात हमारे जिले की है । मैं आशा करूंगा कि सरकार सिम्पेथेटिक तरीके से इस पर विचार करेगी ।

दूसरा मेरा कट–मोशन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशनों को मदद दी जाती है उसके सम्बन्ध में है सभापति महोदय, इन इन्स्टीट्यूशनों में जिस तरीके से एड दी जाती है वहां पर उस एड का सदुपयोग नहीं होता और आप देखें तो मालूम होगा कि किस तरीके से इस एड का दुरूपयोग किया जाता है । ये दोनों ही प्रश्न बड़े गम्भीर प्रश्न हैं और इन पर गम्भीरता से सरकार को विचार करना चाहिये । सभापति महोदय, यदि मैं यह अर्ज करूं तो गलत नहीं होगा कि जो तरीका इन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशनों को एड देने का है और जो घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, मामूली तौर पर उसका नतीजा यह है कि कांग्रेस द्वारा या कांग्रेसजनों द्वारा चलाये गये इन प्राइवेट इन्स्टीट्यूशनों की एक एड की मोनोपोल बन गई है । सभापति महोदय, हमारे बजट में एक करोड़ रुपया प्राइवेट इन्स्टीट्यूशनों को एड देने का प्रोविजन रखा गया है । लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जितने प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स चलते हैं उनमें आम तौर पर मेनिपुलेटेड एकाउन्ट्स मेन्टेन किये जाते हैं । टीचर्स से बढी हुई तनख्वाहों पर दस्तखत कराये जाते हैं । २५०) रु० पर दस्तखत कराये जाते हैं और १५०) रु० दिये जाते हैं और बाकी के बचे हुए पैसे उनको अपने परसेन्टेज के रूप में दिखाये जाते हैं । बिल्डिंग का खर्चा तथा और किस्मों का खर्चा, इमेर्जेनरी खर्चे दिखा दिये जाते हैं । इमेजिनरी फर्म से खरीदा हुआ माल दिखा दिया जाता है और इस तरह से जाहिरा तौर पर बढ़ा हुआ बजट बताकर उसमें पर्सेन्टेज ले लिया जाता है । जिन इन्स्टीट्यूशन्स में रूलिंग पार्टी का हाथ हो उनके लिये रूलिंग पार्टी इस बात को जानते हुए आंखों पर पट्टी बांधे हुए है । इस तरह की बातों को रूलिंग पार्टी एनकरेज करती है जिसका नतीजा यह है कि इन इन्स्टीट्यूशनों को चलाने वाले लोग राजनैतिक तौर पर कांग्रेस के गिरवे रखे हुए हैं । उनकी हिम्मत नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज उठ सकें । अगर सरकार किसी प्रकार की गड़बड़ करें । तो, उनको हर समय यह डर रहता है कि उनकी एड बन्द कर दी जावेगी । क्योंकि सरकार भी इस बात को जानती है कि किस तरह से उन्होंने एकाउन्ट्स मेन्टेन किये हैं । उधर वे लोग भी यह देखते हैं कि जरा भी सरकार की आलोचना की तो तुम्हारी एड बन्द हो जानेवाली है । मुझे हमारे यहां के एक इस प्रकार के इन्स्टीट्यूशन का तजुर्बा है । हमारे यहां सैनिक हाई स्कूल चलता है ।

(समय–समाप्ति–सूचक घन्टी)

इस स्कूल को चलानेवालों ने पिछले इलेक्शन में चुनाव लड़े और सरकार की मुखालफत की । फिर सरकार ने उनको आंखें

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिखाई कि तुम्हारी एड बन्द करदी जावेगी। जब उनको आंख दिखाई तो वे फिर कांग्रेस में आ गये।

अध्यक्ष महोदय, मदनगंज की के. डी.-जैन हाई स्कूल की घटनाओं की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां के स्कूलों के मास्टरों ने सरकार को शिकायत की कि ऐसे टीचरों की सेलेरी यहां से ड्रॉ होती है जो दुनिया में नहीं हैं। मेनेजमेंटवाले गलत, फिक्टीशियस दस्तखत करके शिक्षा विभाग से एड लेते हैं। किशनगंज में और दूसरे टीचरों ने एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट में सूचना दी। एन्टीकरप्शन विभाग ने शिक्षा विभाग को लिखा। शिक्षा विभाग ने ऑडिटिंग कराया और वहां ३०.८.६१ को ऑडिट करने वाले रिपोर्ट दे चुके हैं और उसमें उन्होंने इन सभी आरोपों को सही माना है कि इस प्रकार वास्तव में जो टीचर्स नहीं हैं उनकी सेलेरी दिखा कर एड लेते रहे हैं। इस स्कूल के मेनेजमेंट करनेवालों ने फर्जी फर्म बनाये। उनमें एक का नाम राजनलाल एन्ड सन्स दिल्ली और दूसरा नेशनल साइन्टिफिक कॉरपोरेशन, आगरा, इन फर्मों के नाम के पेड छपवाये और यह कहा जाता है कि इन फर्मों के जरिये काम कराया जाता है और बड़े बड़े खर्चे दिखा कर उसके नाम से सरकार से ऐड लेते हैं। इतना होते हुए भी मुझे ताज्जुब यह है कि ३०. ८. ६१ को इस सरकार के पास शिक्षा विभाग के द्वारा ऑडिट कराने पर ऑडिट रिपोर्ट आ चुकी है मगर फिर भी सरकार की तरफ से मेनेजमेंट के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो ऐड दी जाती है वह अभी तक वैसी की वैसी पुराने समय से एड दी जाती थी उसी तरह से दी जा रही है। शिकायत करने का नतीजा यह हुआ कि उन टीचरों को वहां से हटा दिया है।

(१. ० म. प.)

उन टीचरों को डिसिप्लिन के आधार पर नौकरी से निकाल दिया है। उनको कहा गया कि तुमने हमारी स्कूल के कॉन्फिडेन्स को बाहर जाहिर क्यों किया? कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जिनको ५ महीनों से सस्पेन्ड कर रखा है और कुछ को अभी तक तनख्वाह नहीं मिली है और हमारा शिक्षा विभाग तो इस मामले में कानों में तेल डाले हुए है और हमारे टीचर्स तो साफ तौर से यह कहते हैं कि हमारे शिक्षा मन्त्री हैं उनका वहां के मेनेजमेंट को आशीर्वाद प्राप्त है, उनको किसी किस्म की सजा नहीं मिल सकती।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा) : उनकी एड इसीलिये बन्द कर दी कि उन्होंने उन टीचरों की सर्विसेज टर्मीनेट कर दी। उनको कहा गया कि जब तक वे उनको वापिस नहीं लेंगे तब तक उनको एड नहीं दी जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप अपना उत्तर दें, उस समय वह बात बतावें। अगर हमको भी उत्तर देने के बाद कुछ कहने का मौका दें तो हम भी कह कते हैं। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस का उनको सपोर्ट है। वे सब ऑर्डरों को फ्लोट कर सकते हैं। वे समझते हैं कि सरकार हमारी है, जो कुछ करेंगे उसके खिलाफ कोई नहीं सुनेगा। मैं

Page No.45

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यह कहूँगा कि अगर कोई दूसरा होता तो उसको जेल की हवा खानी पड़ती। उसके खिलाफ सीधा ४०६ और ४२० का केस बन सकता था। पर अब तक न पुलिस कार्यवाही करती है, न कोई केस रजिस्टर किया गया है और न एज्यूकेशन डिपार्टमेंट उनके खिलाफ कोई एक्शन ले रहा है। यह रवैया है हमारे एज्यूकेशन डिपार्टमेंट का। खुले तौर से टीचर्स का, प्राइवेट टीचर्स का एक्सप्लोइटेशन है। इसलिए सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति है, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स को एड देने के बारे में, न केवल इससे राजस्थान के धन का दुरुपयोग होता है बल्कि इससे गलत परम्पराएं पड़ रही हैं। इससे प्रजातन्त्र का सही विकास नहीं होता, इससे आप बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा पैदा नहीं कर पा रहे हैं जो एक इन्कलाबी हो, जो आपके जुल्मों और अत्याचारों को सह न सके, बेईमानी का मुकाबला करने को निर्भीक होकर तैयार हो सके, बल्कि आप इस तरह के तरीके अपना कर टुकड़े फैंक कर ऐसा बुद्धिजीवी वर्ग तैयार कर रहे हैं जो आपके टुकड़ों के पीछे मुंह लपलपाता, जीभ लपलपाता फिरता रहे और आप खुश हों कि ये हमारे रहम पर निर्भर हैं।

इस तरह मैं निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी राजस्थान सरकार कोई स्वस्थ शिक्षा की परम्परा नहीं डाल रही है, बल्कि शिक्षा के अन्दर भ्रष्टाचार पैदा कर रही है।

इसलिये मैं यह कटौती प्रस्ताव आपके समक्ष पेश करता हूं।

श्री सभापति : श्री श्योपतसिंह।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव प्राइमरी स्कूलों के बारे में है। आज राजस्थान के हजारों गांवों में हमको सबसे ज्यादा रचनात्मक काम दिखाई देंगे, हर गांव में हजारों रुपया गांवों के सारे लोग मेहनत, मसक्कत की कमाई में से स्कूलों पर लगाते हैं और अपने पैसों से स्कूलें बना कर गांवों को आगे बढाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज करोड़ों रुपया राजस्थान के इस सूखे इलाके के लोगों ने, गरीबी से मुसीबतजदा लोगों ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के खयाल से चन्दा दे दे कर स्कूल बनाये हैं पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारी प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षा की हालत हो रही है उसका स्तर बहुत ही नीचे गिर रहा है। यह हमारे लिये एक बड़ा चिन्ता का विषय है। मंत्री महोदय शिक्षा शास्त्री हैं, हमें इस बात की खुशी है। वे अवश्य इस ओर ध्यान देंगे, मैं उन्हें इनवाइट करता हूं कि वे गांवों में जाकर देखें कि वहां प्राइमरी स्कूलों में तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा के छात्रों की क्या हालत है, उनका शिक्षा स्तर कितना नीचे गिरा हुआ है। बड़ी मेहनत मसक्कत से पैसा कमा कर गरीब लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया स्कूलों की बिल्डिंगें बनाने में खर्च किया है। हमें बड़ा दुख होता है देख कर कि शिक्षा का स्तर नीचा होने के कारण लड़के अच्छी तरह पास न होकर बड़े कमजोर रहते हैं और आगे अच्छे स्कूलों में नहीं जा सकते, इन्जीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में व इसी तरह के टैक्निकल कॉलेजेज में नहीं जा सकते और

(श्रीश्योपतसिंह)

पढाई का स्तर नीचा होने के कारण पीछे ही रह जाते हैं। और अपने नीचे गिरे हुए शिक्षा के स्तर को देख कर दुख महसूस करते हैं।

जिसके पास अच्छा पैसा हो जाय वही अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सकता है, जहां अच्छी पढाई का, खाने का प्रबन्ध हो। आज राजस्थान में जहां पब्लिक स्कूल हैं वहां साधन सम्पन्न लोग ही अपने बच्चों को पढने के लिये भेज सकते हैं और इसका नतीजा आज हमारे सामने है कि जितने भी कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज, इन्जीनियरिंग कॉलेज और दूसरे टैक्निकल कॉलेज, इन कॉलेजेज में साधन सम्पन्न तबके के लड़के ही मिलेंगे। गांवों में लाखों लड़के पढ़ते हैं पर उनमें से इन कॉलेजेज में नहीं मिलेंगे। इनमें उन्हीं के बच्चे मिलेंगे जो अच्छे खाते पीते हैं और अच्छे पैसे वाले हैं।

सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी को और किसी बात पर नहीं कहते हुए इतना ही अर्ज करूंगा कि आज गांवों में जो प्राइमरी स्कूलों की दशा है, वहां पर जो शिक्षा का स्तर है उसको देखें। हमारे राजस्थान की तरक्की की नींव ही नहीं हमारे सारे देश की तरक्की की नींव प्राइमरी स्कूलें हैं। अगर हमारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चे अच्छे इन्टेलिजेन्ट निकलेंगे तो वे आगे जा कर अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त कर तरक्की कर सकेंगे। अगर शुरू से ही उनका स्टेन्डर्ड अच्छा नहीं रहा तो आगे बिल्कुल तरक्की नहीं कर सकेंगे। मैं इसके लिये दो सुझाव देना चाहता हूँ। एक तो यह है कि गांवों में जहां लड़कों की संख्या ज्यादा है वहां मास्टरों की संख्या भी बढाई जाय ताकि वे प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अच्छी तरह से पढा सकें।

मेरा दूसरा सुझाव है कि जहां इन प्राइमरी स्कूलों की फाइनल क्लासेज हैं इनके इम्तिहान बड़े स्ट्रिक्ट रूप से लिये जायं और जो इम्तिहानों में कमजोर पाये जायें उनको आगे नहीं बढाया जाय। मुझे आशा है कि इन दो सुझावों पर राजस्थान सरकार ध्यान देगी और प्राइमरी स्कूलों के शिक्षा स्तर को आगे बढाने का पूर्ण प्रयास करेगी।

श्री सभापति : श्री घासीराम यादव।

श्री घासीराम यादव (बहरोड़) : सभापति महोदय,........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : लाउड स्पीकर नीचा है।

श्री घासीराम यादव सभापति महोदय, मैं अपने इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब से राजाओं का राज हटा है तब से मैं इस बात को महसूस करता हूं कि स्त्रियों में उस हिसाब से शिक्षा नहीं फैल पाई है जितनी कि बच्चों में फैली है। मैं मिसाल के तौर पर अलवर जिले के बारे में ही कहता हूं। वहां लड़कों के १६४८ में ३ हाई स्कूल थे आज वहां ३६ हाई स्कूल हैं, पहले से लड़कों के हाई स्कूल १३ गुना बढ़े हैं पर लड़कियों के स्कूल दुगुने, तीगुने भी नहीं हुए हैं। ४८ में जब राजा का राज था तीन स्कूल थे लड़कियों के, आज केवल छः या सात हैं।

(श्री घासीराम यादव)

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब लड़कों की शिक्षा की तरक्की हुई है, गांवों में लोगों ने रुपया लगा लगा कर स्कूलों के लिए बिल्डिंगें बनवाई हैं, सत्तर सत्तर हजार अस्सी अस्सी हजार रुपयों की बिल्डिंगें लोगों ने स्कूलों के लिए बनवाई हैं तो आखिर क्या बात है कि लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूलें नहीं बढ़ी ? मेरे खयाल से प्राइमरी स्कूलों में लड़के और लड़कियां साथ साथ पढ़ें, यह जो सरकार की शिक्षा सम्बन्धी पॉलिसी है वही इसके लिए जिम्मेदार है। दोनों साथ पढ़ते हैं तो लोग पैसा खर्च कर के लड़कों के लिये तो मिडिल स्कूल बना देते हैं और लड़कियों के लिये नहीं बनवाते। लड़के और लड़कियों के लिये अलग अलग प्राईमरी स्कूल रखेंगे तो गांव वाले लड़के और लड़कियों के अलग अलग मिडिल स्कूल बना देंगे। लड़के और लड़कियों को साथ साथ शिक्षा देने की जो सरकार की पॉलिसी है यह लड़कियों की शिक्षा के लिये घातक सिद्ध हो रही है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लड़कियों के लिये अलग स्कूलें खोलें और अभी जो इस सम्बन्ध में नीति है उसको बदलें ताकि लड़कियों की भी स्कूलें बढे। आज देखा गया है कि गांवों में दकियानूसी ख्याल के लोग हैं वे भी अपनी लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं। वे लड़कियों की स्कूल के लिये अलग बिल्डिंगें भी बना देने को तैयार हैं। सरकार को चाहिये कि कम से कम हर तहसील में एक एक हाई स्कूल लड़कियों के लिये अपने खर्चे से बनाये। मैं जानता हूँ कि अलवर जिले में जितने हाई स्कूल खुले हैं और उनकी जो बिल्डिंगें हैं उनमें सरकार ने कभी रुपया नहीं दिया। गांव वालों ने बिल्डिंग्ज़ बनायी तब जाकर स्कूलें खुली हैं। इसलिए सरकार को लड़कियों के स्कूलों के लिए बिल्डिंग्ज़ बनानी चाहिये, होस्टल्स बनाने चाहिये और स्कूलों के लिए सरकार को रुपया देना चाहिये। बैराठ तहसील में सन् ४८ में मिडिल स्कूल था और आज भी मिडिल स्कूल है, जब कि लड़कों के लिये तीन हाई स्कूल और ७ मिडिल स्कूल हैं। जहां के लोगों में अपनी लड़कियों को आगे पढ़ाने के लिए चाह हो तो सरकार को अपने खर्चे से लड़कियों के लिए होस्टल, स्कूल बनाने चाहिये। एक साहब ने अभी बताया था कि लड़कियों को शहरों में भेजने में दिक्कत होती है और गांव वाले ऐसा चाहते नहीं हैं किन्तु वे चाहते हैं कि गांव में ही उनके लिए स्कूल हो। उनको दूर भेजने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माननीय सभापति महोदय, दो कटौती प्रस्ताव मैं उपस्थित कर रहा हूँ। एक प्रस्ताव अध्यापकों की सर्विस कन्डीशन्स पर बहस करने हेतु है और दूसरा पाठ्यक्रम की प्रणाली पर बहस करने हेतु है।

आज अध्यापकों की जो दशा है वह बड़ी ही दयनीय है, उतनी दयनीय है जितनी कि आज से काफी वर्ष पहले थी। मुंशी प्रेमचन्दजी का जब बनारस में देहान्त हुआ तो चार आदमियों ने उनके शव को घर से बाहर निकाला। घोर दुर्दशा, घोर दारिद्रय, घोर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

निर्धनता उस मृत्यु के चारों ओर भी डेरे डाले हुए थी। तब भारतवर्ष के महाकवि जयशंकर 'प्रसाद' वहां उपस्थित थे। उन्होंने पूछा एक व्यक्ति से कि यह कौन मर गया है तो उन्होंने कहा कि गरीब मास्टर मर गया है। आज भी प्राइमरी क्षेत्र के मास्टरों की वही सोचनीय और दयनीय दशा है। ६०–४–८० उसका ग्रेड है। ग्रेड रिविज़न के अनुसार ७५–३–९० वह प्राप्त करेगा। जहां २५) रु० डियरनेस अलाउन्स था वहां १०)रु० प्राप्त करेगा। बेसिक सेलेरी वही है जो पहले थी। लेकिन सरकार के कागज़ों में आशा व्यक्त की गई है कि मरने के बाद इस व्यक्ति को ज्यादा पेन्शन मिलेगी। मरने तक उसी प्रकार एड़ियां रगड़े जिस प्रकार वह भारतवर्ष के इस शिक्षा इतिहास में रगड़ता चला आ रहा है। न्युट्रिसियशली स्टार्व्ड, पीला चेहरा हमारे बच्चों के भविष्य का यह प्राइमरी शिक्षा का टीचर मालिक है, शिक्षा की नैया का खेवैया है। यह देश के भविष्य की नींव का पत्थर है, देश के भविष्य की इमारत का पत्थर रखता है। इसकी थोड़ी संख्या भी नहीं है। आज प्राइमरी स्कूलों का जो फिगर उप-मंत्री महोदय ने दिया था वह तो कहीं किताब को काफी देखने के बाद भी समझ में नहीं आया। १७ हजार बताया उन्होंने। प्राइमरी स्कूल संस्थायें खोली जावेंगी लेकिन काफी देखने के बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है उसके अनुसार १९५६ में ७,५८४ प्राइमरी स्कूलें थीं और १९६१ में १२,३८८ हैं। चार, पांच महीने में ज्यादा खींचा जाय तो पांच हजार स्कूलें खुल गयीं झटके के साथ।

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, शिक्षा): बिल्कुल सही है और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थी वह मैंने अर्ज कर दी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह अर्ज कर रहा हूँ लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट राजस्थान की है उससे। यह पढ़ डालिये।

एक माननीय सदस्य : कब छपी है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ६२ में। ६१ तक की रिपोर्ट इसमें दर्ज कर दी है। आंकड़े दिये हैं। इससे मेरा तात्पर्य नहीं है। ये झूठे आंकड़े देने की परम्परा रही है और यह प्रथा चली आ रही है।

श्री सभापति : बोलने की परम्परा रही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो खर्चा ६२–६३ में प्राइमरी स्कूलों पर होने जा रहा है वह ३ करोड़ ६६ लाख ६५ हजार है। विद्यार्थियों की संख्या अगर आप देखें तो करीब १२ लाख पहुंच गयी है सारी जोड़-जाड़ कर। प्रति वर्ष विद्यार्थी का खर्चा निकालें तो ३०) रु० प्राइमरी स्कूल पर खर्चा होता है। २५ हजार शिक्षक हैं। इसके अतिरिक्त अगर प्राइमरी शिक्षक की सही माने में दशा जानना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खत्म होने के बाद जिला परिषदें बनीं तो बीस-बीस साल से जिन्होंने नौकरियां की थीं वे टेम्परेरी नौकरियों में ही रहे और विकास समितियां बनने के बाद उनकी उन नौकरियों को कोई स्थान नहीं दिया गया, उनकी उन नौकरियों को गिना नहीं गया, लगातार रिप्रजेन्टेशन्स हुए हैं, लगातार मेमोरेन्डम पेश किये हैं, लगातार बातें की हैं लेकिन उनकी इस बात पर कोई

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

विचार नहीं किया गया । अब इसी दरिद्रता की हालत के अन्दर गांव की प्राइमरी शिक्षा संस्थाओं की वास्तविक दशा क्या है, यदि इसका चित्र देखें तो वह बड़ा दारूण चित्र है । परीक्षायें आती हैं । ये मास्टर पेट पर पट्टियां बांधे छोटे विद्यार्थियों को पास करने के लिए एक रुपया, दो रुपया लेते हैं । दाने लेते हैं ग्राम के अन्दर और हर प्रकार से जिन्दगी की जो आवश्यकतायें होती हैं उनको नीचे दर्जे तक जाकर पूरी करते हैं । मनुष्य उदार जीवन व्यतीत करना चाहता है । हर मनुष्य इज्जत की जिन्दगी बसर करना चाहता है । लेकिन मनुष्य नीच और कमीना बनता है, आवश्यकतायें उसको गिराती हैं, जिन्दगी की आवश्यकतायें उसको नीचे धकेल देती हैं । मनुष्य मजबूर होकर अपने जबड़ों में ले जाने के लिए दरिद्रता के कारण प्राइमरी शिक्षा के टीचर दो सेर, दस सेर दाने लेते हैं और विद्यार्थियों को इस तरह से पास करके उनके जीवन को बोझा बनाते हैं और राष्ट्र के लिए हानि का काम करते हैं । मेरी निगाह में उन टीचर्स की दशा सुधारने के लिए भागीरथ प्रयत्न करने की जरूरत है, यदि राष्ट्र को उन्नति पर ले जाना चाहते हैं तो ।

उसके बाद हायर सेकिन्डरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडल स्कूल और कॉलेज के टीचर्स की अवस्था पर कुछ कहना चाहूंगा । जोधपुर विश्वविद्यालय और उदयपुर विश्वविद्यालय दो विश्वविद्यालयों की योजनायें अब तक सदन में आ चुकी हैं । लेकिन राजस्थान युनिवर्सिटी के बजट पर एक नजर डालने के बाद आपको यह महसूस होगा कि जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय की पेट की आंतड़ियों को बाहर निकाल कर बनाया जा रहा है । यह राजस्थान विश्वविद्यालय की देह से मांस नोंच कर जोधपुर विश्वविद्यालय का निर्माण होगा । सदन में मैंने भी यह कहा कि बधाई देता हूँ सदन को दो, दो विश्वविद्यालय के बिल आज सदन में उपस्थित हैं । लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के बजट पर दृष्टिपात करता हूँ तो मैं इस अवस्था में नहीं हूं कि बधाई के पुष्प जोधपुर विश्वविद्यालय पर अर्पित करूं । प्राइमरी स्कूल टीचर्स की जिस दरिद्रावस्था को देखता हूं, शिक्षा की घोर निन्दनीय दशा को देखता हूं तो मैं अपने आपको नहीं पाता कि कोई पुष्प फैंक सकूं । २३ लाख का डेफिसिट बजट है राजस्थान विश्वविद्यालय का । वे योजनायें जिनके आंकड़े बहुत कुछ तय हो चुके थे, २८ लाख की थीं, बिल्डिंग्ज़ वे काट कर १६ लाख पर कर दी गई, लाइब्रेरी के फण्ड्स को हटा दिया गया, रिसर्च के फण्ड्स को घटा दिया गया । इसके अलावा आज ऐसी अवस्था है कि वाइस चान्सलर महोदय ने लेक्चरार्स को एक सर्कुलर जारी करके यह कहा है कि अपनी इनविजिलेशन फीस छोड़ दो । इस तरह की एक मार्मिक अपील लिख कर भेजी है जो लेक्चरार तीन घंटे तक अपनी टांगों पर खड़े रह कर पढ़ाते हैं उनके लिये तो कहते हैं कि आप त्याग करें लेकिन वाइस चान्सलर महोदय जो दो हजार रुपया लेते हैं और दो सौ रुपया प्रति कुत्ते पर खर्च कर देते हैं उनसे अपील करूंगा कि वे अपने....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): Mr. Chairman, it is a reflection on the Vice Chancellor of the University.

Page No.50

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : It is correct, may it be a reflection or not.

श्री निरंजननाथ आचार्य : He said that the Vice Chancellor is maintaining two dogs. That is his private affair. The Hon'ble Member is not expected to cast any aspersions on the private affairs of the Vice-Chancellor.

श्री सभापति : The Hon'ble Member will be careful to make any reflection.

श्री निरंजननाथ आचार्य : Whether it is correct or not, that is another question. But it is a private affair which the Hon'ble Members cannot probe into.

श्री सभापति : You can carry on.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप व्यथित न हों। मेरा तो यह निवेदन है कि वाइस चान्सलर महोदय चार सौ रुपया क्यों नहीं छोड़ देते ? आज वे इनवीजिलेटर्स से चाहते हैं कि अपनी इनवीजिलेशन फीस छोड़ दें। मैं उनसे अपील करता हूँ कि महापुरुष आप ही ५००) रुपया छोड़ दें, दो हजार रुपया तनख्वाह लेते हैं। आपको मकान की फेसिलिटी है, कार की फेसिलिटी है और उनके पास इनवीजिलेशन का काम नहीं, वैसी हालत में वे ५००) रुपया छोड़ दें तो फिर इससे भी अधिक मार्मिक अपील वे शिक्षकों को कर सकते थे। इससे मैं समझता हूं माननीय सदस्य के दिमाग में तरावट पहुंच गई होगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया है reflection on the persons in authority, and especially on Vice Chancellor who is maintaining an autonomous body should not be cast.

मेरे दिमाग और आपके दिमाग की तरावट का सवाल नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके दिमाग को तरावट पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): कुत्तों की जब बात आती है तो झगड़े होते ही हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो दिमाग पर आधारित है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके अलावा शिक्षकों की दशा यह है कि उनको जो शिक्षा प्राप्त है उसका उपयोग नहीं लिया जाता। मैं आपके सामने दिलचस्प मिसाल पेश करता हूँ। एन्युअल रिपोर्ट है युनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, उसमें लिखा है, सरदारशहर गवर्नमेन्ट कॉलेज के चेप्टर में उसको देखने से पता चलेगा कि सरदारशहर गवर्नमेन्ट कॉलेज में साइन्स की कोई फेकल्टी नहीं लेकिन उस सरदारशहर गवर्नमेन्ट कॉलेज में प्रिंसिपल हैं श्री बी० बी० रत्नम्, पीएच० डी० (यू० एस० ए०) जिनके लिये पचास हजार रुपया राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने खर्च किया। वे बोटोनी में स्पेश्यलाइज्ड होकर आये हैं तभी से वे सरदारशहर गवर्नमेन्ट कॉलेज में लगे हुए हैं। जहां पर साइन्स की फेकल्टी नहीं है। वहां पर उनकी

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

शिक्षा का कोई उपयोग नहीं। इस प्रकार के दुरुपयोग की कथायें पहले भी सुनी थी। राजस्थान सरकार के नहरी महकमे में एक सिविल इन्जीनियर थे जो एस. डी. ओ. इर्रिगेशन होते थे उनको मजिस्ट्रेट लगा दिया गया। यह भी उसी प्रकार की मिसाल है जिस व्यक्ति की योग्यता जिस सब्जेक्ट में है उसका सही माने में उपयोग नहीं किया जाता। इनका उपयोग बोटोनी की लेबोरेटरी में हो सकता है, उनकी उपयोगिता राजस्थान के किसी बोटोनी रिसर्च इन्स्टीट्यूट में हो सकती है। बोटोनी के प्रोफेसर के रूप में उनका फायदा उठाया जा सकता है, ये वे ही शख्स हैं जिनके लिये पचास हजार रुपया स्टेट एक्सचेकर द्वारा खर्च किया गया। इसका सही उपयोग तभी हो पाता जब कि वे बोटोनी के संबंध में शिक्षा देते। वे सरदारशहर गवर्नमेन्ट कॉलेज के प्रीन्सिपल हैं, कुछ नहीं पढाते। सरदारशहर कॉलेज के अन्दर पहले मि० सहेल प्रिन्सिपल थे, उनको डिग्रेड कर दिया गया; यह इसलिये कि उन्होंने उस विद्यार्थी को भर्ती करने से इन्कार कर दिया जिसने उनके सिर पर चोट पहुंचाई थी। वह लड़का श्री चन्दनमल वैद एम० एल० ए० का रिश्तेदार था। वे उनको लेकर साथ आये, लेकिन फिर भी प्रिन्सिपल ने उनको लेने से इन्कार किया इसलिये उनको डिग्रेड कर दिया गया। वे अभी तक उस केस के लिये लड़ रहे हैं। आज यह स्थिति है हमारे कॉलेज की शिक्षा की।

अब मैं हायर सेकिन्डरी एजुकेशन की दशा की ओर आता हूं। सभापति महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में हो रही दुर्दशा के कई उदाहरण मैं और भी आपके समक्ष रख सकता हूँ जिनको सुन कर आप हैरान होंगे। मुझसे पहले श्री रामानन्दजी ने आपके सामने एक मिसाल पेश की और वह थी किशनगढ और मदनगंज की। उसके बारे में सबूत के लिये मैं एक लिस्ट लाया हूं। यह उन अध्यापकों की लिस्ट है जिनका जन्म इस धरती पर हुआ ही नहीं और उनके नाम से तनख्वाह ले ली जाती है। आप इस पर गौर फरमाइये....

श्री सभापति : Hon' ble member will not please repeat what has been already said.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं सिर्फ उनके नाम ही बता रहा हूं। श्री अभयकुमार ९५) रुपये मासिक, इस तरह साल के ११४०) रुपये। श्री उम्मेदसिंह, श्री श्यामप्रसाद शर्मा, श्री सुनीलकुमार भार्गव, श्री आसकरण, श्री हरिश्चन्द्र। वहां के हैड मास्टर हैं श्री सरदारसिंह। उनसे हलफनामा लिया जाय कि जिनके नाम से आप तनख्वाह ले रहे हैं वे व्यक्ति मौजूद भी हैं या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : ये जो फैक्ट्स हैं वे सरकार ने एडमिट कर लिये हैं; पिछले सेशन में इस प्रकार का क्वेश्चन आया था।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : डेढ़ लाख का गबन सीधा-सादा ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है जो टी०डी०ए० २३५।६४.६२। इस ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है, डेढ़ लाख का गबन बताया गया है। इसके अलावा....

श्री सभापति : I suppose the Hon'ble Member is going out of the purview of this discussion.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं इसकी दुर्दशा ही बता रहा हूं। जिनका जन्म नहीं हुआ उन शिक्षकों के नाम से तनख्वाह दे रहे हैं !

इसके अलावा १२,०००) रुपये की लाइब्रेरी की किताबों में दीमक लगी हुई बता दी और बाद में वही किताबें नम्बर लगा कर दाखिल कर दी गईं। गरीब मास्टर का क्या कसूर, उसे तो हुक्म उठाना पड़ा। श्री गिरधारीलाल पुरोहित ने भूख हड़ताल का नोटिस दिया था, श्री धन्नारामजी बज्ज, श्री राजेन्द्रकुमार गुप्ता, श्री विरदीचन्द जैन सहित इन सब को तंग किया गया। इनमें से दो तो संस्था छोड़ कर चले गये। श्री गिरधारीलाल और श्री बज्ज को सस्पेन्ड कर दिया गया। उसके ऊपर शिक्षा विभाग द्वारा उनको दुबारा लेने के लिये लिखा गया, लेकिन आज तक उनको नहीं लिया गया। इससे उन्होंने सिविल केस दायर किया है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सिर्फ पांच मिनट। वहां के जो हैडमास्टर थे उन्होंने लड़कों को औंधा लटकाया, उनको बुरी तरह से मारा गया। दोष था, केवल वे चाहते थे उनसे झूठी रसीदें बनवाना। उनमें से एक विद्यार्थी जो यूनियन का सेक्रेटरी था उससे सरदारसिंह हैडमास्टर चाहते थे कि वे उससे अंगुठा लगवा लें। यह है हमारे शिक्षकों का नैतिक स्तर।

दूसरा कट मोशन है पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में, जिस बारे में अर्ज करूं। समय बहुत तंग है, आज जिस प्रकार का पाठ्यक्रम चल रहा है फर्स्ट ईयर टी० डी०सी० सेकिन्ड ईयर टी० डी० सी०, थर्ड ईयर टी० डी० सी० इनके नतीजों को इन्टर, बी० एससी० के मुकाबले में देखें तो फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० का पिछले साल जो नतीजा रहा वह पच्चीस प्रतिशत रहा। हायर सेकिन्डरी का नतीजा मैट्रिक और इन्टर से मिलाते हैं पिछले दस साल में जहां ७०–७५ प्रतिशत रहा करता था वहां घट कर ३०–३५ प्रतिशत तक रह गया है। कारण इसका स्पष्ट है कि जिस प्रकार का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है वह उनके अनुकूल नहीं है। हायर सेकिन्डरी में जिस प्रकार के पाठ्यक्रम की प्रणाली चल रही है इसके अन्दर पांच सबजेक्ट्स अनिवार्य होते हैं; हिन्दी, इंगलिश, जनरल एज्यूकेशन, सोशियल स्टेडीज़, क्राफ्ट–टेलरिंग वगैरह, और एलीमेन्टरी मैथेमेटिक्स। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमेटिक्स, बोटेनी, जूलोजी, हिस्ट्री, जोग्राफी, सिविक्स, इकॉनोमिक्स, लोजिक। यह क्रम है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का। दसवीं क्लास के अन्दर परीक्षा ली जाती है उसमें चार कम्पल्सरी सब्जेक्ट्स का इम्तिहान लिया जाता है। ११वीं क्लास की परीक्षा ली जाती है और २ कम्पलसरी और ३ ऑप्शनल पेपर्स उसमें होते हैं। स्पष्ट है कि स्टूडेन्ट्स इन ऑप्शनल विषयों को न नवमीं में, न दसवीं में और न ग्यारहवीं में पढ़ते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर टी० डी० सी० में ऑप्शनल सब्जेक्ट लेता है तो उसकी बुनियाद इस सब्जेक्ट में कमजोर होती है और वह बुरी तरह उसमें फेल होता है और नतीजा

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

इस तरह इसका यह होता है कि २६ परसेन्ट रिज़ल्ट इसका रहा है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि इसमें कहीं न कहीं कुछ बुनियादी खराबी है और वह खराबी है पाठ्यक्रम की। इस पाठ्यक्रम को बड़ी आसानी से तब्दील किया जा सकता है। मेरी राय में इसके दो सैक्शन बनाये जा सकते हैं। ए और बी। दसवीं क्लास में दो कम्पलसरी सबजेक्ट रखिये, तीन रखिये और ऑप्शनल का ए सैक्शन रखिये। ग्यारहवीं क्लास में बी सैक्शन रखिये और ३ कम्पलसरी सब्जेक्ट रखिये। इस तरह वह ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को नवमीं, दसवीं और ग्यारहवीं में पढ़ता रहेगा और इसका पूरा लाभ उठा सकेगा और उसका औसत रिज़ल्ट भी ठीक रहेगा।

इसके अतिरिक्त मैं अर्ज करूं कि अगर आप फिगर्स देखें कॉलेज में विद्यार्थियों के, तो वह हैं ४५,००० और इसको मैं पूरा चैक तो नहीं कर सका, चलिये, मैं इसको सच मान कर ही चलता हूं, इसमें सारे ही साइन्स के और कॉमर्स के विद्यार्थी ले लें और फिर पर स्टूडेन्ट फेसिलिटी को केलकुलेट करें तो पर स्टूडेन्ट वह फेसिलिटी आज बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई है। यह भी एक कारण है जिसका प्रभाव नतीजों पर पड़ा है।

इसके अतिरिक्त अगर आप और देखें तो आज ट्यूटोरियल कॉलेजों का सिस्टम प्रैक्टिकली छिन्न-भिन्न है। एक प्रोफेसर आज बहुत कम विद्यार्थियों पर अपना पर्सनल अटेन्शन दे सकता है। इसमें क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना जरूरी है, अगर देश के और राष्ट्र के भविष्य को हमें बनाना है और उसका निर्माण अच्छे स्तर पर करना है तो।

इसके अतिरिक्त मैं आपसे अर्ज करूं कि इस पाठ्यक्रम में मैं एक ऐसी चीज सजेस्ट करूंगा जो बड़ी महत्वपूर्ण होगी। हायर सेकिन्डरी परीक्षा देने के बाद फर्स्ट ईयर टी०डी० सी०, सेकिन्ड ईयर टी० डी० सी० और थर्ड ईयर टी० डी० सी० में थर्ड ईयर विद्यार्थियों का बाहुल्य होता है जो बी० ए० और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षाएं पास करते हैं और बाद में यू० डी० सी० और एल० डी० सी० के रूप में क्लर्क बनते हैं। इनकी जिन्दगी एक फ्रस्ट्रेटेड इन्सान की जिन्दगी होती है और यही फ्रस्ट्रेशन इनके दिमागों में रहता है जिसकी छाया आज हमारे सारे एडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ती है और इससे वह मनोवृत्ति पनपती है जिसकी वजह से जिसके आधार पर आज सरकारी दफ्तरों की सारी फाइलें अटक अटक कर चलती हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिर्फ एक मिनट।

इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि इस किस्म के बोर्ड कायम किये जावें, इस किस्म की स्पेशल इन्स्टीट्यूशनें कायम की जावें जो यह देखें कि वह विद्यार्थी जो आगे कॉलेज की पढ़ाई के योग्य नहीं है, उसे पोलीटैक्निक में भेजा जावे। इस प्रकार की मल्टी फैकल्टी इन्स्टीट्यूशन्स, एग्रीकल्चरल, हार्टिकल्चरल, पोलीटैक्निक सब की इन्स्टीट्यूशन्स हों। इसके प्रति राजस्थान सरकार के रुख को और रुचि को देखें तो पांच सालों में इस तरह की ६ इन्स्टीट्यूशन्स आई हैं। एक साल में एक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आई है। मैं प्रार्थना करूंगा कि विद्यार्थियों को हायर सेकिन्डरी स्टेन्डर्ड के बाद इस प्रकार से इनर्जी को डाइवर्ट कर दिया जावे कि जो योग्य हों उनको तो एकेडेमिक क्षेत्रों में आगे बढ़ने दिया जावे और आरम्भ से ही उनको एडमिनिस्ट्रेशन सम्बन्धी ज्ञान भी देना शुरू कर दिया जावे ताकि आगे चल कर वे योग्य शासक, आई० ए० एस०, आर० ए० एस० के लिये मिल सकें और ऐसे व्यक्ति अगर शासन में आवेंगे तो जनता को काफी राहत और आराम दे सकेंगे।

श्री सभापति : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : सभापति महोदय, मेरा कट मोशन इस प्रकार है : "To discuss the sad plight of employees of the dissolved District Boards in regard to their seniority and pay-scales."

श्री सभापति : The Members will please be careful that they don't take more than 15 minutes. There are so many cut motions to be moved and the time is very short.

श्री केदारनाथ : आज तक सरकार के शिक्षा विभाग ने डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के एम्पलॉइयों के प्रति जो नीति अपनाई और उससे जो उनकी आर्थिक व्यवस्था पर, सामाजिक इज्जत पर और दिमागी बैलेन्स पर असर पड़ा, मेरे पास इतने शब्द नहीं कि मैं उनकी उस बेचैनी और परेशानी का बयान कर सकूं और इतना भी समय नहीं कि उनकी उचित ग्रीवेन्सेज़ को कह सकूं। कारण, जिन मास्टरों से हम आशा करते हैं कि वे हमारे बच्चों में सेंस ऑफ डिसिप्लिन लावें, हमारे बच्चों के फ्रेम ऑफ माइन्ड को ऐसा बनावें कि आने वाले वक्त में वे हमारे राष्ट्र निर्माण में और समाजवादी समाज के बनाने में और इसकी व्यवस्था में उचित सहयोग दे सकें और सहायक हो सकें, वे मास्टर हमारी सरकार की उनके प्रति घोर उपेक्षापूर्ण और अनुदार नीति के कारण अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहां तक सफल हो सकते हैं ? इसमें मैं नहीं समझ सका कि आज सरकार की यह नीति कहां तक ठीक साबित हुई है।

पोइन्ट एट इश्यू यह है कि जब डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रलाइजेशन स्कीम लागू हुई तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड उससे पहले से काम किया करते थे। उन बोर्डों में काम करने वाले मास्टरों की कन्डीशन ऑफ सर्विस के एग्जिस्टेन्स को हमारी सरकार ने माना और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को डिज़ॉल्व करने के बाद उनके टीचर्स को एब्जोर्ब किया, अलग अलग विभागों में। पर जो उनका पीरियड ऑफ सर्विस पहले का था किसी का पांच साल का था, किसी का दस और किसी किसी का बीस साल का भी था वह नहीं माना उनकी सीनियोरिटी क्लेम में। जब नये विभागों में समापन किया गया तो उस सम्बन्ध में सरकार के एक सर्कुलर को मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

"I am directed to say that so long as separate sets of Rules are not framed, the Panchayat Samitis and Zila Parishad's service is governed by the R. S. R. in view of Rule 34 of the Rajasthan Panchayat Samitis and Zila

(श्री केदारनाथ)

Parishads Service Rules, 1959. Rule 179 of the R. S. R. does not contemplate recognition of non-Government posts unless specifically ordered by the Government. As such District Board, Municipality, Tehsil Panchayat and Panchayat's service cannot be counted for seniorty".

इसके साथ-साथ एक लैटर और है जिसे मैं सारा तो नहीं पढ़ता, क्योंकि समय नहीं है, पर उसका सारांश सुना देता हूं कि they will be taken as new entrants in Government service from the date of absorption.

जिस दिन वे एब्ज़ोर्ब किये गये उस दिन से वे नये एन्ट्रेन्ट्स माने जावेंगे। इसलिये मेरा सब्मिशन यह है कि जिन्होंने आठ साल, दस साल तक सर्विस की, स्कूलों में पढाते रहे, उन दिनों में बड़ी परेशानी और बेचैनी का सामना किया उस वक्त की हालत को देखते हुए मास्टरी करना आसान नहीं था, बड़ी मुश्किल चीज थी तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि आज जब कि सरकार दूसरी हमारी अपनी आ गई है तो उनके सीनियोरिटी क्लेम को अवश्य ध्यान में रखना चाहिये। अगर वे क्वालिफिकेशन में, सर्विस में बराबर हैं तो क्यों नहीं उनकी सीनियोरिटी मानी जाती? उनकी डेट ऑफ अपोइन्टमेंट तब से माननी चाहिये जब से वे सर्विस में आये, चाहे वह डिफन्क्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी क्यों न रहे हों।

दूसरा मेरा सब्मिशन यह है कि राजस्थान सरकार ने पे स्केल लागू किये हैं वे उनसे भी डिबार किये गये हैं। कारण, कि उनकी सर्विस सीनियोरिटी के बेसिस पर नहीं मानी गई थी। जो लोग इनमें से गवर्नमेंट विभागों में एब्जॉर्ब किये गये उन पर तो स्केल लागू कर दिये गये १-४-५६ से, पर २-११-५६ से जिनको सर्विस मानी गई उन पर इसलिये नहीं लागू की गई। इसलिये मेरा सब्मिशन पेश है कि सीनियोरिटी क्लेम के बारे में, पे स्केल लागू करने के बारे में-दोनों में उनके पुरानी सर्विस पीरियड को आप अपने कन्सीडरेशन में रखें और साथ साथ यह भी ध्यान में रखें कि अगर यही हालत रही, उनके साथ ऐसा ही अनसिम्पेथेटिक एटीट्यूड रखा गया तो स्कूलों का डिसिप्लिन ठीक नहीं रह पावेगा, एजूकेशन पर, बच्चों के दिमाग पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि जब वहां काम करनेवाला मास्टर, बच्चों को पढाने वाला टीचर, बेचैन है परेशान है और उसकी आर्थिक हालत बुरी है तो स्वाभाविक ही उसका असर इन बातों पर पड़ेगा, वह अपने कर्त्तव्य को पूरी तरह नहीं निभा सकेगा, उसका दिमाग अपनी आर्थिक उलझनों में फंसा रहेगा। तो ऐसी हालत में मैं नहीं समझ सकता कि अध्यापक अपने बच्चों के दिमाग में कोई अच्छे सेन्टीमेन्ट इनक्लकेट कर सकेगा। इस सब्मिशन के साथ मैं अपना कट मोशन रखना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री जोधसिंह चौहान।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : माननीय सभापति महोदय, मैंने आपके समक्ष प्राथमिक शालाओं के जो शिक्षक हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कटौती प्रस्ताव पेश किया है। मेरा निवेदन है कि जब तक राष्ट्र में शिक्षकों की स्थिति अच्छी नहीं होगी हमारा राष्ट्र ठीक प्रकार से फलफूल नहीं सकेगा। राष्ट्र के भावी निर्माताओं का उत्थान उन्हीं टीचर्स के ऊपर रहेगा। मैं आपको अर्ज करूं कि किस प्रकार की हमारे यहां के प्राथमिक शालाओं के टीचर्स की स्थिति है। मैं जिस कॉन्स्टीटुएन्सी से जीत कर आया हूं वह बिल्कुल ही पहाड़ी स्थान है जहां जंगली लोग रहते हैं; बल्कि कुछ दिन पहले तो वहां नंगे व्यक्ति रहा करते थे। आज कुछ पहिनने के लिए धोती है लेकिन वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां के लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। वहां जो टीचर्स भेजे गये हैं न तो उनके लिए सुविधायें हैं, न रहने के लिए उनके स्थान हैं, न खाने के लिए अन्न मिलता है। वहां पर प्राथमिक शालाओं के टीचर्स को ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के अधिकार में रखा है; तो न तो उनकी कोई कद्र करता है, न उनको सुविधायें ही देते हैं। तो सबसे पहले मेरा निवेदन है कि हमारी प्राथमिक शालाओं के टीचर्स हैं उनको पंचायत समितियों के अधिकारों से निकाला जाये। यह हमने हमारे जनसंघ के घोषणापत्र में विशेष रूप से कहा है कि जो प्राथमिक शालाओं के टीचर्स हैं उनको पंचायतों के अधिकारों से निकालना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो इनका उत्थान नहीं हो सकेगा और अगर उनका उत्थान नहीं होगा तो जो हमारी आने वाली भावी सन्तान है उसको ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं मिल सकेगी। आज गांवों में ६० प्रतिशत बल्कि मैं तो कहूंगा कि मेरी कॉन्स्टीटुएन्सी म ६६ प्रतिशत आदमी अशिक्षित हैं। वह शिक्षकों की किस प्रकार से कद्र कर सकते हैं, किस प्रकार उनका ध्यान रख सकते हैं ? आज भी यह स्थिति है कि जो पिछड़े हुए स्थान हैं उनमें शिक्षक ठीक प्रकार से नहीं होंगे तो हमारे बालकों की स्थिति कैसे ठीक हो सकेगी ? मैं तो कहूं कि हमारा पहाड़ी स्थान है गिरवा, खेरवाड़ और डूंगरपुर यह ऐसे ऐसे स्थान हैं कि जहां हमारी सरकार द्वारा स्कूलों के बारे में ध्यान नहीं दिया गया और इसी कारण वहां पर मिशनरीज ने स्कूल्स खोल दिये हैं और वह हमारे भाइयों को, हमारे अपढ लोगों को पढाते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की शिक्षा वह बराबर देते रहेंगे तो हमारे देश में जिस प्रकार नागालैण्ड की स्थिति पैदा हुई है एक नयी स्थिति हमारे राजस्थान में पैदा हो जायेगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां प्राथमिक शालाओं के जो टीचर्स हैं उनकी स्थिति ठीक करके वहां पर बढ़िया टीचर्स भेज कर उनकी स्थिति को सुधारें। मेरा निवेदन है कि वहां पर हमारी ओर से भी जल्दी ही स्कूल खोले जाने चाहिए। वैसे डेमोक्रेटिक कन्ट्री में हर आदमी को अधिकार है कि वह स्कूल खोले इसी प्रकार हमारा भी अधिकार है कि हम लोगों को शिक्षा दें। आज वहां पर कई आदमी ऐसे हैं कि जिन लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए सबसे पहला कदम यह आवश्यक होगा कि हमारे नर्सरी स्कूल, छोटे छोटे

Page No.57

(श्री जोधसिंह चौहान)

स्कूल काफी गांवों में मौजूद हैं पर हर गांव में उन मिशनरीज से ज्यादा अच्छी शिक्षा देने-वाले मौजूद होंगे तो वह लोग इस बात को महसूस करेंगे कि हमारी भारतीय शिक्षा में भी कुछ गुण हैं; वर्ना क्या होगा कि शिक्षा की स्थिति खराब होती जायेगी और इससे हम लोगों को बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा। इस प्रकार पंचायत समितियों के अधिकारों में स्कूलों के होने से किस प्रकार हमारे पैसों का भी दुरुपयोग होता है, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। पंचायत समिति बरगांव जो हमारे उदयपुर के पास है वहां पर २०० टाट पट्टियों का ऑर्डर दिया गया। जब कि सरकार का इस प्रकार का नियम बना हुआ है कि टाट पट्टी ३ रुपया में मिलनी चाहिये उन्होंने राजसमन्द के आदमी से ८ रु० में एक पट्टी खरीदने का निर्णय लिया और ३ अप्रैल या २१ अप्रैल को निर्णय करके पट्टियां खरीद ली गई। इस प्रकार पंचायत समिति अपनी मनमानी कर रही है। उनका न तो टीचर्स की तरफ ध्यान है और न कोई बात है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं कहूंगा कि पंचायत समितियों के अधिकारों में जाने से मास्टर अपनी उन्नति नहीं कर सकते, न आगे बढ़ सकते हैं, न आगे परीक्षा दे सकते हैं। यही नहीं; बल्कि एक पंचायत समिमि का टीचर है वह दूसरी पंचायत समिति में नहीं जा सकता, उसका ट्रान्सफर नहीं हो सकता, जब तक कि दूसरी पंचायत समिति का अधिकारी मन्जूर न कर ले। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि अगर हमको राष्ट्र बनाना है उसका उत्थान करना है तो हमारे राष्ट्र के उत्थान के लिए जो प्राथमिक शालाओं के टीचर्स हैं उनको अधिक सुविधायें दी जायें। क्वालिफाइड टीचर्स हों जिससे हमारा जो पौधा पैदा होता है उसकी जड़ें ठीक प्रकार से जा सकें और हमारे राष्ट्र की उन्नति ठीक प्रकार से हो सके। आप विदेशों में देख लें, जो भी देश उन्नत हैं वहां पर पहले ही पौधा ठीक तरह से जड़ ले लेता है। वहां के बड़े बड़े....

(२.० म. प.)

प्राइमरी स्कूलों में मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स भेजे जाते हैं। हमारे यहां पर आठवीं क्लास के लड़के को जगह मिल जाती है, दसवीं क्लास के लड़के को जगह मिल जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी प्राथमिक शालाओं का स्टेन्डर्ड बहुत गिरा हुआ है। उसको सुधारने के लिए मेरा केवल यही सुझाव है कि वहां पर क्वालिफाइड टीचर्स रखे जायें जो कि ट्रेण्ड हों. जिससे हमारे पौधे की जड़ें ठीक तरह से मजबूत हो सकें और आगे जाकर अच्छा फल दे सके। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मांग पर १११ कट-मोशन्स आये हुए हैं और उस दृष्टि से जितना समय कम लिया जा सके उचित होगा, ताकि सभी माननीय सदस्य जो कटमोशन्स पर बोलने वाले हैं वह बोल सकें। पहले भी सदन में इसी प्रकार की व्यवस्था रही है कि जिसका एक कटमोशन है वह ५ मिनट का समय ले और एक से ज्यादा, ३–४–५ कटमोशन्स हैं

(श्री सभापति)

तो १०–१५ मिनट तक का समय लें। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए यदि अब मूवर्स इस प्रकार का सहयोग देंगे कि वे कट-मोशन्स को देखते हुए कम से कम समय लें तो अच्छा रहेगा ताकि यह मांग आज ही पारित हो सके।

श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम (तिजारा) : समर्थन के लिए किसी को टाइम मिल सकेगा ?

श्री सभापति : समर्थन का अवकाश नहीं मिल सकेगा।

श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित)

श्री महेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मीचन्द।

श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : माननीय सभापति महोदय, प्राथमिक शालाओं के लिए मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है। इस विषय पर मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूँ। राजाओं का राज्य था और हमारी प्राथमिक शालायें शिक्षा विभाग के अधिकार में थी; अब इसके बाद जब से हमारा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण हुआ तब से प्राथमिक शालायें पंचायत समितियों के अधिकार में कर दी गई। इन शालाओं के पंचायतों के अधिकार में होने से बहुत से अध्यापकों को कठिनाइयां अनुभव होने लगी। इसका कारण सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जब हमारे चुनाव आते हैं और हमारी कांग्रेस सरकार की ओर से जो सदस्य खड़े होते हैं वे हमारे प्राइमरी अध्यापकों को परेशान करते हैं और उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि आप हमारा प्रचार करो। कई जगह ऐसी समस्यायें आती हैं चुनावों में जब कि कांग्रेस की सरकार होने की वजह से अध्यापक बेचारे प्रचार करते हैं। जो अध्यापक इन्कार हो जाते हैं तो चुनाव में कांग्रेस सरकार की पार्टी के जो सरपंच चुन कर आते हैं वे उन पर दबाव डालते हैं। इसका कारण यह है कि सरपंच अपने प्रधान को चुनते हैं और प्रधान जिस पार्टी का आ जाता है वह इनको नाजायज़ नुकसान पहुंचाता है। और मैं आपसे, सभापति महोदय, निवेदन करूं कि ऐसी समस्या लक्ष्मीपुरा गांव का एक अध्यापक था उसके साथ हुई। जब चुनाव हुए तो उन्होंने इन्कार कर दिया कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ इसलिए प्रचार नहीं कर सकता। ईश्वर की कृपा से जो सरपंच कांग्रेस की तरफ से खड़ा हुआ था वह विजयी हो गया और विजयी होने के बाद में जब कि अध्यापक का तबादला मई और जून में होना चाहिए था, उस बेचारे अध्यापक को नाजायज परेशान करने की वजह से उस अध्यापक का तबादला अगस्त में किया गया। मैं आपसे निवेदन करूं कि सरकार का यह निर्णय है कि कोई भी अध्यापक या सरकारी कर्मचारी किसी जगह पर कम से कम २ साल या १२ महीने रहना चाहिये, लेकिन उसकी वजह यह थी कि प्रधान भी उस पक्ष का था तो उस नियम की अव-हेलना की गई और उस अध्यापक को बेचारे

(श्री लक्ष्मीचन्द)

को-जहां बरसात में कच्चा रोड है और आने जाने का साधन नहीं है ऐसी जगह वहां से २५ मील दूर भेजा गया । उस बेचारे अध्यापक ने और मैंने भी चूंकि मैं उस पंचायत समिति का सदस्य था एप्लीकेशन दी और प्रधान महोदय से निवेदन किया, लेकिन उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया । अध्यापक ने एप्लीकेशन दी लेकिन पंचायत समितियों में पक्षपात चलता है । पंचायत समिति में जिस गुट का प्रधान चला जाता है उसी का काम होता है । सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि इस तरह से अध्यापकों की व्यवस्था होती है । तो मेरा निवेदन यह है कि प्राथमिक शालायें जो पंचायत समितियों के अधिकार में हैं उनको पंचायत समितियों से हटाया जाय और शिक्षा विभाग में उनको वापिस लिया जाय और मैं निवेदन करूं कि ग्राम गोगुन्दे में जो कि जनता ने रुपया इकट्ठा कर रखा था अपनी प्राथमिक-शाला बनाने के लिए, वहां का सरपंच किसी दूसरे गुट का था । उन्होंने रकम के लिए बार बार एप्लीकेशन दी लेकिन उसकी एप्लीकेशन मन्जूर नहीं की और न अब तक रुपया दिया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करूं कि वहां छात्र और टीचर्स बरसात में बाहर बैठते हैं और इसलिए उनको छुट्टी दे देनी पड़ती है और गर्मियों के दिनों में भी ३, ४ घन्टे पढ़ाई होती हैं । धूप आ जाती है तो कोई पेड़ नहीं है । क्या कारण है कि जब सरकार की यह योजना है कि ५० प्रतिशत जनता लगाये और ५० प्रतिशत सरकार दे तो मैं नहीं समझता हूँ कि जब जनता ने ५० प्रतिशत इकट्ठा करके बिल्डिंग बनादी फिर भी सरकार रकम क्यों नहीं दे रही है ? मैं निवेदन करूंगा कि इसका यही कारण है कि प्रधान उस पक्ष का है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसलिए मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राथमिक शालाओं को पंचायत समितियों के अधिकार से हटाया जाय और शिक्षा विभाग के अधिकार में दिया जाना चाहिए ।

श्री सभापति : श्रीमती नगेन्द्रबाला ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज के प्रस्तुत विषय में मेरा कटमोशन है कोटा जिले के शिक्षा-भवनों की हो रही दुर्दशा पर बहस करने के लिए । माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में प्राइमरी, मिडिल व हाई स्कूलों की संख्या कुछ सालों से निरंतर बढ़ती हुई चली जा रही है और मनुष्य-जीवन के बौद्धिक विकास के लिए यह परमावश्यक है, क्योंकि देश की प्रत्येक समस्या विद्यार्थियों के शुद्ध जीवन पर आधारित है । यह भी सत्य है कि मानवता ज्यों ज्यों मुखरित होगी देश के विकास और सुख-शान्ति में सहज गति आती चली जायगी । लेकिन, सभापति महोदय, केवल बढ़ती हुई स्कूलों और छात्रों की संख्या से ही शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि जैसे-जैसे शिक्षा के फैलाव में वृद्धि हुई है विद्यार्थियों के दिल और दिमाग कमजोर होते चले जा रहे हैं । यहां तक कि अधिकांश में विद्यार्थियों के पास शारीरिक शक्ति का भी

Page No.60

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

अभाव प्रतीत होता है और इसका एक मोटा, मूल कारण है जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूं।

सिद्धान्तत: यह सत्य है कि बाल-जीवन सदैव प्रकृति से संचालित रहा है। इसलिये ऐसे छोटे छोटे बच्चों के प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल खुले मैदान में जहां हवा और रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिले, होने चाहिए। स्कूलों में सफाई होनी चाहिये तथा साथ ही छोटे-मोटे उद्यान तथा खेल के साधन भी पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए। मैं तो यहां तक कहना चाहती हूँ कि यदि जहां तक ऐसे खुले व उद्यानपूर्ण शिक्षा-भवन नहीं बनें तो बालक और बालिकाओं को उन अन्धेरी कोठरियों में जाकर नहीं बैठना चाहिए, जहाँ केवल किताब की रटन्त से उनके बौद्धिक विकास की कल्पना की जाती हो। ऐसे दम घुटने वाले स्कूलों में बुद्धि कुंठित भले ही हो सकती है, विकसित होने की बात समझ में नहीं आती। सरकारी कोष से इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इमारतों का बनाना अवश्य कठिन है, जब तक कि जनता का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं हो। लेकिन माननीय सभापति महोदय, जैसा कि सवेरे एक प्रश्न के दौरान में आज चर्चा हुई और एक माननीय सदस्य ने अपने कटौती के प्रस्ताव में भी चर्चा की, समय बहुत कम है लेकिन मैं थोड़े से तथ्यों पर जाना चाहती हूं। कोटा में गुमानपुरा मिडिल स्कूल की बात चल रही थी। उस स्कूल को आज से करीब ५-७ साल पहले चम्बल की मेन केनाल के कारण तोड़ दिया गया और चम्बल विभाग ने इसका मुआवज़ा जो करीब ४०,०००) रु० की लागत का था, शिक्षा विभाग को दे दिया। इस बीच में उस रकम को कोटा के भीमगंज मंडी के स्कूल में खर्च करने की बात उठी तो वहां की जनता ने ऐतराज किया कि जहां स्कूल बनने की जरूरत है और जहां की बिल्डिंग तोड़ी गई है पहले वहां के बारे में सोचना चाहिए, नये स्कूल की बात आप क्यों करते हैं? उस पर ध्यान दिया गया और रकम रोक दी गई और उसके बाद इस साल और कुछ रकम इस बात के लिए स्वीकृत हो गई कि गुमानपुरा में मिडिल स्कूल बनना चाहिए। इस बीच में जनता ने यह सोच कर कि गुमानपुरा के विकास को देखते हुए इस प्रकार का मिडिल स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि इस एरिया में इन्डस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है इसलिए ऐसी जगह बनाया जाय जहां खेल के मैदान हों और आवश्यकता पड़े तो मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तित किया जा सके, इसलिए कोशिश करके वहां के नागरिकों ने कोटा की नगरपालिका से ४०० बाई ५०० स्कावायर फीट भूमि प्राप्त करली। इस समय जमीन है और सरकार के पास में रकम है और फिर भी स्कूल नहीं बनता!

इधर दूसरी तरफ देखिये गांवों में कई जगह स्कूलों की हालत ऐसी है कि वर्षाऋतु में छात्र और शिक्षक इस बात की ओर ध्यान रखते हैं कि कहीं बिल्डिंग गिर तो नहीं जायगी। कभी एक दीवार गिरती है तो कभी दूसरा हिस्सा टूटता है। छबड़ा की प्राइमरी स्कूल भी इसी तरह चल रही है। विद्यार्थी

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

शिक्षा पाते हैं वहां एक कमरे की छत टूटी हुई है, दूसरा कोना टूट रहा है और एक दरवाजा टूट चुका है। उसमें पढ़ने वाले बच्चों का क्या हाल होगा? इसी तरह से शाहबाद में स्कूल बना, पूरा हुआ और धराशायी हो गया। यदि उस समय बच्चे पढ़ रहे होते तो उनके माता पिता का क्या हाल होता जिनके बच्चे उस स्कूल के नीचे दब जाते।

सभापति महोदय, कहां तक ऐसे उदाहरण दिये जायं। देखने की बात तो यह है? कि क्या इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स या डाइरेक्टर ऑफ स्कूल्स, या डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन जो इस जिले के जिम्मेदार कर्मचारी हैं उनका क्या यह फर्ज नहीं हो जाता है कि वे ऐसे स्थानों की देखरेख करें और शीघ्र ही सुरक्षा का उचित प्रबन्ध करें? एक ओर 'स्कूल चलो' अभियान चल रहा है दूसरी ओर विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये ऐसे वीभत्स स्थान हैं जहां विद्यार्थी जाते हुए डरते हैं, उनका मन प्रफुल्लित नहीं होता है। यदि सरकार के पास रकम का अभाव है तो मेरा सुझाव है कि स्कूलें कम बनायी जायं लेकिन जो भी बनें वे पूरी हों, अच्छी हो।

सभापति महोदय, मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि सदन में होने वाली शिकायतों और दिये जाने वाले सुझावों को केवल मंत्रीगण सुनने मात्र का विषय न बनायें, बल्कि उनकी ओर विशेष ध्यान देकर उन कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करें। यह कह कर मैं अपना कटौती प्रस्ताव पेश करती हूं।

श्री सभापति : श्री माधोलाल।

(अनुपस्थित)

श्री जुंझारसिंह।

श्री जुंझारसिंह (चेचट) : सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस आशय का है कि गांवों में रेजिडेन्शियल स्कूल्स का प्रोविजन नहीं होने से शिक्षा स्तर नहीं बढ़ रहा है।

राजस्थान का विलीनीकरण होने के बाद से हम यह महसूस करते हैं कि राजस्थान में शिक्षा की प्रगति हुई है और आज हमारे बजट का २५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी महसूस करते हैं कि शिक्षा का स्तर जिस तरह से बढना चाहिये, लड़कों में जिस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिये और शिक्षा से पढ़नेवालों लड़कों में जो शिक्षा आनी चाहिये वह नहीं आ रही है। इसका मूल-कारण यह है कि हमारी स्कूलों में क्वान्टिटी बढाई जा रही है लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा की क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हर साल राजस्थान में हजार, डेढ हजार प्राइमरी स्कूल्स, वन टीचर स्कूल्स बढ़ा दिये जाते हैं। एक मास्टर गांव में छोड़ दिया जाता है और लड़कों की तादाद ज्यादा होने की वजह से और गांवों का फासला दूर होने की वजह से और प्रोपर चैकिंग नहीं होने से शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता। अक्सर देखा जाता है कि 'एक मास्टर तीन, तीन क्लासों को पढ़ाता है सुबह से शाम तक ८ घंटे तक स्कूल में बैठता है। और जब एक क्लास को पढ़ा रहा होता है तो दूसरी क्लास के लड़के हल्ला मचाते हैं। ऐसी

(श्री गुंभारसिंह)

हालत में शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। यह सिस्टम ठीक नहीं है क्योंकि तीन क्लासेज में एक साथ पढ़ाया जाना सम्भव नहीं। तीसरी क्लास में यदि वह मास्टर पढ़ा रहा हो तो पहली और दूसरी क्लास के बच्चे तो बाहर चले जायेंगे या उनको बाहर नहीं जाने दिया जायगा तो वहीं पर बैठ कर अपना टाइम खराब करेंगे।

वन टीचर (one teacher) शिक्षा प्रणाली जो चल रही है उसमें डिसिप्लिन नहीं आता। मास्टर शिक्षित आदमी होता है और उसे देहात में भेज दिया जाता है वहां न कोई उसके जैसा दूसरा आदमी होता है जिसके साथ बैठ कर वह उससे बातचीत कर सके, विचारों का आदान-प्रदान कर सके या समय निकाल सके। इसलिये अक्सर वह डिससेटिस्फाइड रहता है और वह गांव का वातावरण शुद्ध नहीं बना सकता, बल्कि बिगाड़ता है। उस पर निगरानी नहीं होने से ऐसा भी देखा जाता है कि मास्टर अक्सर स्कूल में नहीं होकर पास के किसी कस्बे में चला जाता है, सुबह घंटा दो, घंटा लेट आता है और शाम को स्कूल का समय खत्म होने से पहले उसको इस बात की फिक्र होती है कि नजदीक के कस्बे में कितना जल्दी जाया जाये। इस तरह से बहुत इन डिसिप्लिन हो गया है जिसे सुधारने की आवश्यकता है। मेरा सुझाव है कि राजस्थान में शिक्षा का १३ करोड़ का बजट है, उसमें से इस प्रकार का प्रयोग किया जाय कि एक्सपेरिमेन्टल तौर पर रेजिडेन्शियल स्कूल्स का प्रबन्ध हो जिसमें सभी तरह की सुविधाएं हों, पढ़ने के लिये लाइब्रेरीज़ हों, खेलने के लिए मैदान हों, तीन, चार मास्टर हों, जो आपस में बैठ कर बात-चीत कर सकें, स्कूल में डिसिप्लिन रख सकें। मैं महसूस करता हूं कि इससे शिक्षा पर खर्चा बढ़ जायगा, लेकिन इससे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, डिसिप्लिन आयेगा और प्रगति होगी, जो अच्छे समाज में जरूरी है। इस कमी को अभी महसूस नहीं करेंगे तो एक समय आयेगा तब इस पर अमल करना पड़ेगा। खाली छात्रों की तादाद बढ़ाने से देश की उन्नति नहीं होगी। तादाद के साथ साथ शिक्षा की क्वालिटी और विद्यार्थियों में सामाजिक भावना बढानी जरूरी है और ये बातें रेजिडेन्शियल स्कूल्स में ही पूरी की जा सकती हैं। इसके लिये बजट में प्रोविजन नहीं किया है।

बहुत सी प्राइवेट रेजिडेन्शियल स्कूल्स चल रही हैं और लोग चाहते हैं कि ऐसी और खुलें। हमारे यहां बकानी ग्राम में एक स्वामीजी ने रेजिडेन्शियल स्कूल चलाया है जो काफी फेमस है। आसपास के लड़के अपना खर्चा देकर वहां पढ़ने आते हैं। अफसोस की बात है कि ऐसी स्कूल को राजस्थान सरकार ने कई बार लिखने के बाद नीचे से इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स की सिफारिश के बाद और डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन के पास एप्रोच करने के बाद भी ग्राइन्ट-इन-एड नहीं दी है। किसी ने बात मंजूर कर ली है तो भी रुपये नहीं पहुंचाये गये। सरकार की तरफ से तो रेज़िडेन्शियल स्कूलों का प्रोविज़न नहीं किया गया, लेकिन यदि कोई प्राइवेट तौर पर चलाने की कोशिश करता है तो अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि प्रोपरली एनकरेजमेन्ट नहीं मिलता है। यह

Page No.63

(श्री जुझारसिंह)

एक ऐसा अभाव है जिसको पूरा करना आवश्यक है। तो मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे यहां रेजिडेन्शियल स्कूलें चाहे एक्सपेरिमेन्टल तौर पर, चाहे पंचायत समितियों के स्तर पर, चाहे हर तहसील में एक या दो हों, होनी चाहिये। किसी न किसी तरह से इनकी शुरूआत करनी चाहिये जिससे कि हमारे यहां शिक्षा के स्टेन्डर्ड का ऑल राउन्ड डेवलपमेन्ट हो सके। किसी को लिट्रेट करने से ही स्तर नहीं बढ़ेगा। लोग प्रोपरली एजुकेटेड होने चाहिये और इसके लिये प्रोपर मैथड यह है कि रेज़िडेन्शियल स्कूलों का प्रोविजन किया जाय।

श्री सभापति : श्री हरिप्रसाद शर्मा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : सभापति महोदय, आज कटौती प्रस्ताव के द्वारा इस शिक्षा की मांग पर मुझे बोलने का अवसर मिला है। यह तो मुख्य विषय है। आज बच्चे ही राष्ट्र की आधारशिला हैं, जैसी शिक्षा उन को मिलेगी उसी तरह का समाज बनेगा।

अध्यक्ष महोदय, सब की शिकायत है कि जब से प्राइमरी शिक्षा पंचायत समितियों के सुपुर्द हुई हैं पार्टीबाजी अधिक चल रही है। आज जो स्कूलें खोली जाती हैं वे नेताओं के आधार पर खोली जाती हैं; कौन से गांव का नेता कौनसी पार्टी का साथ देता है, कहां खोलना आवश्यक है। कहां खोलना आवश्यक नहीं है, इस बारे में विचार नहीं किया जाता है। मैं निवेदन करूं कि मेरे नजदीक पाटन तहसील में जाड़ला, कांकरा, चम्पावली आदि ऐसे गांव हैं जिनमें दो, दो सौ घर हैं। इतनी आबादी होते हुए भी इनमें से एक में भी स्कूल नहीं है जब कि गांववाले श्रमदान देकर स्कूल बनाने को तैयार हैं लेकिन वहां स्कूल नहीं खोले जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि पंचायत समितियों के द्वारा शिक्षा चालू रही, नेतागिरी के आधार पर शिक्षा चालू रही तो बच्चों का उत्थान नहीं हो सकता, बल्कि बच्चों का भविष्य अन्धकार की ओर चला जायगा। मैं अर्ज करुं कि लाखेरी एक औद्योगिक क्षेत्र है। वहां की आबादी बीस हजार की है। वहां पर दो हजार मजदूर काम कर रहे हैं। लेकिन वहां नयापुरा की पूरी बस्ती में एक भी स्कूल नहीं है। वहां से चार-पांच मील दूर पर लाखेरी में एक स्कूल है। नन्हें नन्हें बच्चों को खानों में होते हुए जाना पड़ता है। मैं निवेदन करुं कि कई बार साल में ऐसे वक्त आते हैं कि चार-पांच बच्चे मर जाते हैं। अभी कुछ दिनों की बात है कि नन्हें नन्हें बच्चे स्कूल जा रहे थे। रास्ते में वे खेलने लग गये और खान में डूब कर मर गये। इस बारे में कई प्रार्थना-पत्र दिये हैं, मजदूरों की ओर से प्रार्थना-पत्र दिये गये हैं, यूनियन की ओर से और पंचायत की ओर से निवेदन किया गया है कि यह औद्योगिक बस्ती है, जहां मजदूर रहते हैं, पिछड़ी हुई जाति के लोग रहते हैं, अछूत जाति के लोग रहते हैं—सरकार ढोंग करती है कि पिछड़े हुए लोगों को उठाना चाहते हैं। मुझे अफसोस है कि शिक्षा जैसी चीज में भी पक्षपात हो रहा है और उनको धोखा दिया जा रहा है। वहां पर एक कम्पनी का स्कूल है, जिसके रूल्स और रेगुलेशन्स के अनुसार उस स्कूल में मजदूरों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वहां कोई दूसरा स्कूल नहीं है। वहां की आबादी के उद्धार के

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

लिए इस प्रकार के स्कूल का होना आवश्यक है।

इसी तरह से बूंदी जिले में एक हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलने की स्वीकृति हुई है। यह नेतागिरी के आधार पर हुई है। जहां स्कूल में सौ, डेढ़ सौ छात्र हैं वहां स्कूल खोले जा रहे हैं ! मैंने आज कहा था कि कापरेन, करवल, देई में स्कूल की इमारतें हैं, वहां पर चार सौ, पांच सौ लड़के मौजूद हैं, पर वहां पर हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं खोला जा सकता। सभापति महोदय, नेतागिरी को शिक्षा से अलग रखना चाहिए। इसके साथ ही साथ आज कल जो छात्रावास खोले जाते हैं उनमें भी पक्षपात होता है और उनमें नेतागिरी घुसी हुई हैं, खास तौर से आदिवासी छात्रावासों में, जिनमें लाखों रुपया सरकार की ओर से दिया गया है। आज हमारे लोकनायक सबसे बड़े नेता हैं, उनके अधीन में कई नेता पलते हैं और उन छात्रावासों में इस प्रकार के छात्रों को सुविधा दी जाती है जो नेताओं के सिफारिशी होते हैं। इनमें से एक आदिवासी छात्रावास का मैं अर्ज करुं कि उसमें ऐसे पटेल लोगों के लड़कों को लिया जा रहा है जिनके पास दो सो, तीन सौ बीघा जमीन है। लेकिन ऐसे गरीब छात्र हैं, जो लूले-लंगड़े हैं, अपंग हैं, जिनके पास जमीन का अभाव है और जिन्होंने एप्लीकेशन्स दी हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां गरीब छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के लिए बजट में पैसा रखा जाता है उनमें भी पक्षपात किया जा रहा है और उसमें भी लोकनायक नेता हैं उनकी शिफारिश के आधार पर........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): Mr. Chairman, a reference about a person who is not in the House...

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप हिन्दी में समझाइये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिस व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है, वह माननीय व्यक्ति इस सदन के सदस्य नहीं हैं........

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आदिवासी छात्रावास के लिए कह रहा हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य :.... और सदन की ओर से ऐसे प्रश्नों पर निर्णय दिये जा चुके हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में नामजद न किया जाय, आप डिपार्टमेंट का नाम ले सकते हैं, न कि व्यक्तियों का।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : चोर की दाढ़ी में तिनका', क्योंकि आप यह सुन कर खड़े हो गये। मैंने लोकनायक का नाम लिया है वह कोई भी हो सकता है। इसके साथ ही मैं अर्ज करूं कि एक गाड़िया लोहार छात्रावास खोला गया है, उस गाड़िया लोहार छात्रावास का उद्घाटन पंडित जवाहर लाल नेहरू से कराया गया। करोड़ों रूपये उनके सुपुर्द किया गया। उस रुपये का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया गया है, उसकी सदन के सामने जांच की जाय। इतना सब जानते हैं कि वहां सब काम नेतागिरी के आधार पर होते हैं। लेकिन मेरा विषय

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

यह नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि छात्रावासों की बात है, यह शिक्षा की बात है, उसमें किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिये। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि बूंदी की यह दुर्दशा है। वहां पर कॉलेज की घोषणा कई बार की गई है। जब वहां पर मन्त्रिमन्डल का दौरा हुआ था उस समय मुख्य मन्त्रीजी ने आधार शिला रखी थी और कॉलेज चालू करने की घोषणा की थी। लेकिन उसको दो साल बीतगये, अभी तक उस पर ध्यान नही दिया है। इसी प्रकार मजदूरों की बस्तियों में स्कूल नहीं हैं, वहां पर भी स्कूल खोले जाने चाहिये। इसी प्रकार जहां जहां की आबादी इस काबिल है कि वहां बच्चों का स्कूल बनायें तो उस स्थान पर एक स्कूल खोला जाना चाहिए। इसी प्रकार लड़कों के स्कूल के लिए, लड़कों की शिक्षा के लिए जोर देते हैं तो मैं समझता हूं कि कन्याओं के स्कूलों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। मैं निवेदन करूं कि पाटन तहसील में दो लाख की जनता में एक भी कन्या स्कूल नहीं है! इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये।

सभापति महोदय, जहां हम इस बात को महसूस करते हैं कि पढ़ाई अच्छी हो, वहां अध्यापकों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया कि मास्टरों के साथ पक्षपात होता है, मैं अर्ज करुंगा कि गत चुनावों में खुले रुप में आदेश दिये गये कि अध्यापक चुनाव में प्रचार करें। मैं नाम बता सकता हूं कि जिन मास्टरों ने ऐसा नहीं किया उनको परेशान किया जा रहा है और उस वक्त भी परेशान किया गया था। तो जहां उच्च अधिकारियों का पार्टी के आधार पर यह रवैया रहा है वहां शिक्षा का स्तर गिर रहा है और उनके दिल और दिमाग में बेचैनी भर रही है कि वे बच्चों को शिक्षा नहीं दे सकते। इस प्रकार जो पक्षपात है और जो इनमें भ्रष्टाचार बढ़ने लगा है इस पर रोक लगानी चाहिये। इन शब्दों के साथ जो मैंने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनकी पूर्ति की आशा करता हूँ और अपना आसन ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल (सराड़ा) : सभापति महोदय, मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला है, तहसील सराड़ा-चावण्ड हायर सेकिन्डरीस्कूल में साइन्स क्लॉसेज़ खोलने के लिए और दूसरा कट मोशन है तहसील सराड़ा और खेरवाड़ा के बीच आदिवासी क्षेत्र ऋषभदेव में एक कॉलेज की स्थापना करने के लिए। सभापति जी, सराड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहां अधिकांश आदिवासी निवास करते हैं। उस क्षेत्र में चावण्ड एक सेन्टर का ग्राम है, जिसमें हायर सेकिण्डरी स्कूल है। वहां पर आदिवासी छात्र काफी मात्रा में पढ़ाई करते हैं। उन छात्रों को यदि साइन्स की पढ़ाई साइन्स खोल कर नहीं पढ़ाई जाय तो उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वे उदयपुर या दूसरे शहरों में जा करके साइन्स पढ़ नहीं सकते और साइन्स के बिना वे कुछ कार्य कर नहीं सकते और अन्य नोकरियों पर लग नहीं सकते और वे उद्योग आदि कामों में जाने के लिये इच्छुक हैं। लेकिन साइन्स की पढ़ाई में वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं; इसलिए मेरा निवेदन है

(श्री देवीलाल)

कि वहां पर साइन्स की क्लासेज़ खोलने की व्यवस्था की जाय। साथ ही उन क्लासों के लिये वहां कोई भवन की व्यवस्था नहीं है इसलिए भवन के बारे में भी उचित व्यवस्था करें।

साथ ही ऋषभदेव में एक कॉलेज की स्थापना करने के लिए मैंने आपको निवेदन किया है, जो उस क्षेत्र में सराड़ा और खेरवाड़ा दोनों के बीच में है, जिसके चारों तरफ आदिवासी बसते हैं। वहां पर विशेष कर आदिवासी पढ़ते हैं। वे उदयपुर में जाकर और इतना बड़ा खर्चा करके पढ़ नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऋषभदेव में एक कॉलेज की स्थापना की जाय ताकि गरीब और बैकवर्ड क्लॉसेज़ या अदर बैकवर्ड क्लॉस के विद्यार्थी हैं वे गरीब स्थिति में हैं, वे वहां पढ़ सकें। बस, मेरा इतना ही कहना है और इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रावतराम।

श्री रावतराम (सादुलपुर-सु.): माननीय सभापति, मेरा कटौती प्रस्ताव राजगढ़, जिला चुरू की अनिवार्य शिक्षा स्कूलों के अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है, उस पर बहस करने के लिए है। माननीय सभापति, बीकानेर डिवीजन में बीकानेर स्टेट के टाइम से कुछ कस्बों में अनिवार्य शिक्षा चालू की गई थी और उसके लिए एक एक्ट १६२६ में बना था, जिसके तहत उनका सुपरविज़न वहां की नगरपालिकाओं को दिया गया था। उस समय एक परिस्थिति थी और उस समय की नगरपालिकाओं ने अच्छा काम किया और उनका सुपरविज़न अच्छे ढंग से चला। धीरे धीरे उन स्कूलों की हालत गिर गई, क्योंकि आज नगरपालिकाओं में दलबन्दी है और उस दलबन्दी के कारण वहां के अध्यापकों को बहुत परेशानी होती है। उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है, उनको समय पर जो और सुविधायें है, जो और दूसरी शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध होती हैं वे उनको नहीं मिल पा रही हैं और इस कारण आज उन स्कूलों की स्थिति बहुत गिर चुकी है। मैं उदाहरण के तौर पर राजगढ़ साइड का जिक्र करूंगा। राजगढ़ में अनिवार्य शिक्षा स्कूल हैं वे संख्या में चार हैं और उनमें लगभग चौदह, पन्द्रह अध्यापक हैं। आज वहां की नगरपालिका में आपसी वैमनस्य के कारण या और कमी के कारण, जो राज्य सरकार से उन स्कूलों को ७० प्रतिशत सहायता मिल जाती है और केवल ३० प्रतिशत सहायता नगरपालिकाओं को देनी पड़ती है, इतना होते हुए भी आज चार-पांच महीने हो गये हैं, लेकिन उन अध्यापकों को वेतन नहीं मिल रहा है। आप ही सोचिये कि आज एक अध्यापक को या कर्मचारी को लगातार वेतन नहीं मिलता और उसको ठीक समय पर वेतन मिलने की व्यवस्था का नहीं होना और उस व्यवस्था की कमी से वेतन नहीं मिलना, यह एक बहुत बुरी बात है। इससे हमारी शिक्षा संस्थाओं का जो स्तर है वह दिनों-दिन गिरता जा रहा है। इसलिये सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह राजगढ़, जिला चुरू की अनिवार्य शिक्षा स्कूलें हैं, बीकानेर में, खास कर इनमें अच्छी तरह से व्यवस्था हो और अध्यापकों को दूसरी स्कूलों में जो सुविधायें मिलती हैं उसी तरह से मिलती रहें इसका कोई न

(श्री रावतराम)

कोई प्रबन्ध करना चाहिये । इस सम्बन्ध में एक डेपुटेशन भी माननीय मंत्री के पास गया था । उन्होंने उनकी दो तीन महीनों से रुकी हुई तनख्वाह को किसी तरह से हस्तक्षेप करके दिलाया । मगर फिर भी दो महीने की तनख्वाह अध्यापकों को नहीं मिली है । पिछले साल भी यह निवेदन किया गया था कि हमारे यहां जो स्कूल हैं उसकी वही व्यवस्था होनी चाहिये जो और शिक्षा विभाग के स्कूलों की है । हो यह रहा है कि नगरपालिका में दलबन्दियों के कारण जो भी खर्चे की बात उनके सामने रखते हैं उसको टाल देते हैं और उस पर विचार नहीं करते । इस कारण वहां पर पढाई अच्छी तरह से नहीं हो पाती और अध्यापकों को वेतन समय पर नहीं मिल पाता । यही वजह है कि वहां पर पढनेवाले लड़कों की संख्या कम हो गई है । मास्टर लोगों का व्यवहार भी ठीक नहीं हैं, क्योंकि नगरपालिका बार बार उनके कामों में हस्तक्षेप करती है । इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि यह मामला तीन, चार वर्षों से चल रहा है इसको ठीक करें और ऐसी व्यवस्था करें ताकि अध्यापकों को ठीक समय पर पे मिले और दूसरी उनकी जो भी शिकायतें हों वे दूर हों और उनको जल्दी से जल्दी दूसरी स्कूलों के स्टेन्डर्ड के समान ग्रेड आदि मिलें ।

अत: मैं आपके द्वारा मेरे मोशन के बारे में माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट की राजगढ, जिला चुरू की अनिवार्य शिक्षा स्कूलों पर ध्यान देकर उनमें सुधार लाने की कोशिश करें । मैं इतना ही कहना चाहता हूँ ।

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय सभापति, मैंने तीन कटौती प्रस्ताव रखे हैं । एक का सम्बन्ध है जिन लोगों की आमदनी कम हो या औसतन जिनकी आदमनी १००) रुपये माहवार तक की हो उन लोगों के बच्चों को पढाने में छात्रवृति दी जाए । दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव अध्यापकगण पंचायत समितियां, जिला भरतपुर को अन्य राजकीय शालाओं की तरह ग्रेड व प्रमोशन दिये जाने के सम्बन्ध में है । वहां के अध्यापकों को दो दो, तीन-तीन साल हो गये हैं, ग्रेड नहीं मिल रहे हैं इसलिए उनको भी ग्रेड व दूसरी सुविधायें मिलनी चाहिये ।

तीसरा मेरा कट मोशन मंडिया ललताल सरसेना, छतोकंवाडा ग्रामों की प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों में बदलने के सम्बन्ध में है । यहां के प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में परिणित नहीं करके ऐसी जगह स्कूल खोल दिये गये हैं जहां पंचायत समिति और जिला परिषद ने स्कूलें खोलने की सिफारिश नहीं की थी । इसलिये इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देते हैं ।

सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा नीति का सम्बन्ध है, मैं यह कहूँगा कि शिक्षा नीति पूर्णतया दोषपूर्ण है । मैं ही इसके लिये नहीं कहता बल्कि बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री और सरकार के बड़े बड़े नेता भी इस शिक्षा व्यवस्था को उचित नहीं समझते । इसलिये हमें इस पर विचार करना चाहिये जिससे छोटे लोग भी पढ कर फायदा उठा सकें और कॉलेजेज़ और उच्च शिक्षा में भाग ले सकें । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जिन लोगों की आमदनी १००) रु. माहवार तक है उनके बच्चों को

(श्री रामकिशन)

पढाने के लिये शिक्षा विभाग छात्रवृति दे ।

शायद इस मांग की पूर्ति के सम्बन्ध में सरकारी पक्ष के लोग यह कहेंगे कि इसमें बहुत खर्च होगा और इतना पैसा कहां से आएगा ? मैं यह कहूँगा कि राजस्थान में जितने विद्यार्थी पढते हैं उनमें से पांच या ६ लाख ऐसे होंगे जिनके पिता की १००) रु. से ज्यादा आमदनी होगी । मैंने वर्गीकरण तो नहीं किया है लेकिन ५० परसेन्ट के करीब परिवार ऐसे होंगे जिनकी आमदनी १००) रु. माहवार से अधिक होगी । ५० परसेन्ट लोगों के लिये सरकार को७० या ८०,लाख का इन्तजाम करना होगा । यह एक माने में बहुत बड़ी राशि है, राजस्थान जैसे प्रान्त के लिये । लेकिन अगर सरकार समझदारी से काम ले और हमारे शासक पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के आसमान से हट कर हिन्दुस्तान की जमीन पर आ जावें तो मैं समझता हूँ कि यह सब कुछ हो सकता है । इसके लिये मैं यह सुझाव रखना चाहता हूँ कि राजस्थान में नये भवन निर्माण के लिये दो करोड़ रुपये रखे गये हैं । आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पुराने रियासतों के समय में बहुत भवन बने हुए हैं और इतने भवन हैं कि १० साल तक यदि कोई नया मकान नहीं बनाया जाये तो काम चल सकता है । इसलिये अगर बहुत ही जरुरी हो कहीं भवन बनाना तो बनायें, अन्यथा भवन बनाने की जरूरत नहीं है । केवल इसको कम करने से ५-६ लाख छात्रों को वजीफा दिया जा सकता है, जिनके मां-बाप की आमदनी १००) रु. माहवार से कम है । सरकारी पक्ष के लोग आम तौर पर कहते हैं कि उन सब को छात्रवृति देते हैं जो मेट्रिक में जाते हैं । मैं यह कहूँगा इस प्रकार कि हर आदमी पढ़ने पढता है और वही पढ सकता है जिसके पास पैसा होता है । जो ५०) रुपये का कर्मचारी है वह अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकता है ? इसलिए उसके बच्चों को कभी भी समान अवसर बगैर पढे प्राप्त नहीं होगा । इसलिये गरीबों के बच्चों को आगे बढने के लिये विशेष अवसर प्राप्त नहीं होगा जिससे कि वे राज काज के मालिक बन सकें । न वे राज काज के मालिकबन सकेंगे, न व्यापार में भी आगे बढ सकेंगे । इसलिये मेरा यह विचार है कि इस पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी और विचार नहीं करे तो उनको कुछ माहवारी बढाएगी । लेकिन इस पर विचार जरूर किया जावे । मद्रास और बम्बई सरकारों ने इस पर विचार किया है और बम्बई सरकार ने कुछ वजीफे दिये भी हैं ।

अब मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव भरतपुर जिले में पंचायत समितियों में अध्यापकगण का ग्रेड राजकीय शालाओं की तरह से नहीं होने और प्रमोशन आदि न दिये जाने के संबन्ध में है । मैं बताना चाहता हूं इस मामले में कितने रिप्रेजेन्टेशन्स दिये मुख्य मंत्रीजी को जो कि शिक्षा मंत्री भी थे, उनसे लगातार मिले । २४ अध्यापक तो ऐसे हैं जिनको न तो ग्रेड ही मिला है, न उनका फिक्सेशन ही हुआ है । उनके पास कुछ काम अधिक था मगर अब मैं समझता हूं कि नये शिक्षा मंत्रीजी बुजुर्ग हैं और उनके डिप्टी हैं वे जवान हैं । बुजुर्गों के अनुभव और जवानी का जोश दोनों मिल जावें तो इसको ठीक करने में कोई समय नहीं लगेगा । पहलेवाले शिक्षा मंत्रीजी से जो

Page No.69

(श्री रामकिशन)

कोरस्पोन्डेन्स हुई है उसकी पूरी फाइल मेरे पास है। आपने १०–१५ बार जवाब दिया उनमें यही लिखा है कि आपका मामला बहुत जल्दी तय कर दिया जावेगा। कभी लिखते हैं कि यह मामला विचाराधीन है और जल्दी ही तय कर दिया जावेगा। ऐसा मालूम होता है कि एक ही आदमी से बार बार उसी प्रकार की चिट्ठियां लिखवा देते हैं, कुछ हेर फेर के साथ और वे पत्र बराबर अध्यापकों के पास पहुंच जाते हैं। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में जल्दी कदम उठावें और जल्दी एक्शन लें। इसमें पैसे रुपये का प्रश्न नहीं है। इसमें तो शिक्षा विभाग की एफिशियेन्सी का प्रश्न है। इससे लोगों के दिलों में यह भावना पैदा हो गई है कि शिक्षा विभाग वक्त पर काम नहीं कर सकता है। नये रिप्रेजेन्टेशन शिक्षा मंत्री के पास आवेंगे उन पर उनको जल्दी विचार करना चाहिये। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। जब पंचायत समितियों या जिला परिषदों के अध्यक्षों के पास जाते हैं तो वे कहते है कि हमारे पास क्यों आते हो, हमारे पास जो प्रस्ताव आते हैं उनको सरकार के पास भेज देते हैं। मगर भरतपुर में पिछली बार हमने जो सरसेना आदि प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूल में बदलने के संबन्ध में प्रस्ताव भेजा; सरकार ने उनको मिडिल स्कूल में परिवर्तित नहीं किया और कुछ ऐसी जगह हैं जिनके लिये न तो पंचायत समिति ने लिखा न जिला परिषद ने लिखा और वहां पर स्कूल खुल गये। मैं इसका विरोध नहीं करता कि वहां पर क्यों स्कूल खोले गये। राजनैतिक कारणों से वोट लेने के लिये जिन किन्हीं कारणों से खोले गये हों उसका मैं विरोध नहीं करता, मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां पर प्राथमिक शालाओं को मिडिल स्कूलों में बदलने के लिये प्रार्थनापत्र सरकार के पास भेजे गये और जिला परिषद और पंचायत समिति ने जिनके लिये सिफारिश की, वहां पर नहीं खोले गये। इसी प्रकार सरसेना, छोंकड़वाड़ा, भूड़िया ललता आदि ग्रामों में प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूल में नहीं बदला गया। मैं आपको अभी एक ताजी घटना बताऊं। इसी ३० मार्च को भरतपुर जिला परिषद ने एक प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजा है, उसमें जिला परिषद की तरफ से लिखा गया है कि जब तक पिछले प्रस्तावों पर अमल नहीं हो जाता, जितनी सिफारिशें पहले की हैं उनको पूरा नहीं कर दिया जाता तब तक हम नये प्रस्ताव भेजने को तैयार नहीं हैं। एक प्रकार से इस प्रस्ताव में सरकार की निंदा की गई है। लिखा है कि जब हमारी सिफारिशों पर अमल नहीं किया जाता, हमारे प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता तो इस प्रकार की सिफारिशें करने से क्या लाभ है? यह बात पूरी तरह सही भी है।

तो जो जिला परिषदों और पंचायत समितियों के मंत्री हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे प्रस्ताव आवें जो जिला परिषदों द्वारा पास किये गये हैं। उन प्रस्तावों को कार्य रूप में परिणित करने के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से पूछ ताछ कर जल्दी ही उन सिफारिशों को अमल में लाने के लिये लिखें। भूंड़िया, ललता, सरसेना, छोंकड़वाड़ा ऐसे गांव हैं जहां ८० वर्ष से प्राथमिकशालायें

(श्री रामकिशन)

हैं और जहां की १२०० से २००० तक की आबादी है, इतना होते हुए भी इन गांवों की प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलें नहीं बना कर जहां से कोई विशेष सदस्य चुन कर आया हो या जिससे कोई पोलिटिकल मकसद हल करना हुआ, वहां मिडिल स्कूल खोल दिये गये हैं। पर यहां लोगों ने मिडिल स्कूलों के लिये मकान बना लिये, जमीनें दे दीं और यह लिख कर दे दिया कि होस्टल बना देंगे, जमीन दे देंगे वहां पर स्कूल नहीं खोले गये हैं। तो मैं शिक्षा मंत्री और उपशिक्षा मंत्री से जो कि दोनों नये हैं, जोश वाले हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जो मकान बना देते हैं उन्हें लाभ नहीं हो पाता, वहां वे ध्यान दें।

भरतपुर के बारे में कई बार शिकायतें की गई हैं, वहां एक कॉलेज १६४७ से चल रहा है, कई प्रार्थनापत्र दिये, उसके बाद के कई कॉलेज को डिग्री कॉलेज कर दिया, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कर दिया, पर उस कॉलेज को पोस्ट ग्रेजुएट नहीं किया गया। पिछले साल मुख्य मंत्रीजी वहां दावत में आये थे, हमने तो दावत का विरोध किया था कि इस तरह की दावत में पैसा खर्च न किया जाय, इस दावत में जो खर्च किया जाने वाला है उस पैसे से कॉलेज में कमरे बना दें। पर दावत हुई, कॉलेज के कमरे नहीं बन सके। औपचारिकता पर ही सरकार उतर आई है कि विरोधी पक्ष वाले कितना ही कहते रहें हम सुनने वाले नहीं हैं, तो यह २५० रुपया और भत्ता बेकार खर्च करने की क्या आवश्यकता है ? इन रुपयों से ही कॉलेज के कमरे बनवा दें तो अच्छा है। तो अगर आपको न्याय करना है तो आपको राज-नैतिक वातावरण से कुछ ऊपर उठ कर, मैं पूर्ण रूप से ऊपर उठने को नहीं कहता, इस प्रकार जो सुझाव दिये गये हैं उन पर विचार कीजिये।

ऐसा नहीं लिख भेजें कि जल्दी ही कार्यवाही की जाएगी और वास्तव में हो कुछ भी नहीं। तीन साल बाद फिर पूछें तो यही लिख दिया जाय कि बहुत जल्दी कार्यवाही की जायगी। आखिर इस बहुत जल्दी की भी कोई निश्चित अवधि होनी चाहिये। पर हमारी सरकार इस तरह के गोलमाल शब्दों की अभ्यस्त हो गई है। वैसे तो हिन्दुस्तान की राजनीति समूची ही अस्पष्ट है पर अब जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं वे गांधीजी के नजदीक रहे हुए हैं और उप मंत्री जवान हैं, जरूर इन बातों पर ध्यान देंगे। पहले शिक्षा मंत्री जी की तो यह हालत थी कि दो चार अफसर सुबह शाम उनके बंगले पर बात कर आते थे और दो चार जगह स्कूलें खोल देते थे, बाकी प्रार्थनापत्र पड़े रहते थे। जिला परिषदों और ग्राम पंचायतों की सिफारिशें होती हैं, उनकी सिफारिशें मंगाई जरूर जाती हैं पर उन पर अमल नहीं होता, जब सिफारिशें मंगाई जाती हैं तो कम से कम ८० प्रतिशत सिफारिशों पर तो अमल करना चाहिये, नहीं तो कागजों पर और स्याही पर बेकार क्यों खर्च किया जाता है।

इतना ही कह कर तीनों कटौती प्रस्ताव स्वीकार करने के लिये या इन पर विचार करने के लिये सरकार से निवेदन करता हूं।

श्री सभापति : श्री मुकुटबिहारीलाल।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री दयाचन्द ।

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह झाला ।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूलाल करोल ।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : माननीय सभापति महोदय, मेरे ४ कटौती प्रस्ताव हैं । चाकसू पंचायत समिति के ग्राम तितरिया व कादेड़ा में मिडिल स्कूल खोलने हेतु, चाकसू हाई स्कूल में साइन्स एन्ड कॉमर्स क्लासेज खोलने हेतु, सांगानेर पंचायत समिति के बिलवा ग्राम में मिडिल स्कूल खोलने के लिये और चौथा सांगानेर पंचायत समिति के तहत पंचायत जैतपुरा के ग्राम कुन्दनपुरा में मिडिल स्कूल खोलने के बारे में ।

मैं निवेदन करूंगा कि चाकसू कस्बे में हाई स्कूल चल रहा है वहां पर काफी अर्से से साइन्स और कॉमर्स की क्लासेज खोले जाने के लिये मांग की जा रही है पर अभी तक नहीं खोली गई हैं । साइन्स क्लास खोलने की तो सेंक्शन आये हुए भी ढाई साल हो गये, सामान भी पहुँच गया है पर अभी तक वहां पर साइन्स की क्लास नहीं खोली गई है । मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि साइन्स क्लास खोलने में वहां क्या डिफीकल्टी आई है जो इतना विलम्ब किया गया है । जब कि पब्लिक की ओर से पैसा दिया गया है, म्युनिसिपैलिटी की ओर से पैसा दिया गया है । दो कमरे कम पड़ रहे थे उनको पब्लिक ने और म्युनिसिपैलिटी ने तैयार करवाया । साइन्स का सामान भी वहां सरकार की तरफ से पहुंचा पर अभी तक साइन्स क्लास वहां पर चालू नहीं हुई है और न ही कॉमर्स क्लास खोली गई है । अतः मैं निवेदन करूंगा कि यहां चाकसू हाई स्कूल में साइन्स और कॉमर्स क्लासेज खोली जायं ।

मिडिल स्कूलों का जो क्राइटेरिया सरकार की तरफ से रखा गया है उसको बदलना चाहिये । ५ मील के रेडियस में मिडिल स्कूल खोलने का रखा है, यह ठीक नहीं है । मिडिल स्कूल के लिये कम से कम ३ मील का रेडियस रखना चाहिये । जब कृषि युनिवर्सिटी और जोधपुर युनिवर्सिटी के बिल पास कर रहे हैं तो मिडिल स्कूल्स की तरफ भी ध्यान देना चाहिये क्योंकि ग्रामीण जनता मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूलों से ही आगे तरक्की कर सकती है क्योंकि गांवों के लड़के बहुत से तो मिडिल पास करके छोड़ देते हैं और कुछ हाई स्कूल करके छोड़ देते हैं, बहुत कम हाई स्कूल जोइन करते हैं । गांवों के लोग किसान हैं ज्यादातर काश्त करने वाले हैं, इतना ही जानते हैं कि मिडिल स्कूल पास कर लेवें या ज्यादा से ज्यादा हाई स्कूल पास कर लेवें और फिर अपने काम में लग जाते हैं । इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि मिडिल स्कूल का जो क्राइटेरिया है इसको जरूर चेन्ज करें तो अच्छा होगा ।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव पंचायत समिति चाकसू में ग्राम तितरिया व कादेड़ा में मिडिल स्कूल के लिये है । जो क्राइटेरिया सरकार ने मुकर्रर कर रखा है उस क्राइटेरिया में ये आते हैं । बिल्डिंग भी बनी हुई है और

(श्री नाथूलाल करोल)

लड़कों की संख्या भी काफी है। एक एक हजार जन संख्या के ये दोनों कस्बे हैं। गत वर्ष से इन दोनों जगहों पर मिडिल स्कूल बनाने की पुकार की जा रही है लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए निवेदन करूंगा कि दोनों पंचायतों में मिडिल स्कूल शीघ्र ही खोले जावें।

दूसरा मेरा निवेदन है पंचायत समिति सांगानेर के तहत ग्राम बिलवा में मिडिल स्कूल खोलने के बारे में। वहां पर लड़कों की काफी तादाद है, बिल्डिंग भी तैयार है फिर भी अब तक मिडिल स्कूल नहीं खोला गया है इसलिए वहां जल्दी से जल्दी मिडिल स्कूल खोलने की कृपा करें। पंचायत समिति सांगानेर के तहत पंचायत जैपुरा के ग्राम कुन्दनपुरा में भी मिडिल स्कूल खोलने के लिए मेरा कटौती का प्रस्ताव है। यह हरिजन कालोनी है और उसको बसे हुए पांच छः वर्ष हो गये हैं। प्राइमरी स्कूल है जो कि चल रहा है। लास्ट इयर भी मैंने अर्ज किया था कि कुन्दनपुरा कालोनी में मिडिल स्कूल होना जरूरी है। करीबन सौ लड़कों की तादाद है। छः मील के रेडियस में कोई भी मिडिल स्कूल नहीं पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूं कि उस स्कूल को अगर मिडिल स्कूल में परिवर्तित कर दें तो अच्छा होगा। मेरा इन चार कटौती प्रस्तावों के अलावा और एक कटौती प्रस्ताव है जो कि गोनेर के मिडिल स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल में तब्दील करने हेतु है। बिल्डिंग अच्छी है। बड़ा भारी गढ़ है। हायर सेकेन्डरी स्कूल चल सकता है। लास्ट ईयर भी माननीय मंत्रीजी से निवेदन किया था कि गोनेर में हायर सेकेन्डरी स्कूल होना जरूरी है। कोई आसपास हायर सेकेन्डरी स्कूल नहीं पड़ता है। यहां पर होना जरूरी है और इसको इस साल अवश्य स्थापित कर दिया जाय। बस, इतना कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री हरिकिशन।

(अनुपस्थित)

श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : माननीय सभापति महोदय, मेरा कटौती प्रस्ताव इस बिना पर है कि गांव में जिस प्रकार से प्राइमरी एजुकेशन, मिडल स्कूल्स और हायर सैकन्डरी स्कूल्स का बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार प्रबन्ध करती है उसी प्रकार से बच्चियों की शिक्षा के लिए ठीक प्रकार से सरकार की ओर से व्यवस्था नहीं हो रही है। इस सम्बन्ध में मैं अपनी तहसील के बारे में निवेदन करना चाहता हूँ। जब कि हमारा उद्देश्य यह है कि गांवों में कम्पलसरी एजुकेशन करके सब बच्चों को स्कूलों में दाखिल किया जाय। इस ओर प्रयास बराबर करते रहे हैं, अभियान भी गांवों में चलाये जाते हैं ताकि छः से ग्यारह साल के बच्चे स्कूलों में दाखिल हों और उनके लिए पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाय। हम यह भी चाहते हैं कि लड़कियों की शिक्षा के लिए भी प्रबन्ध उसी तरह से हो जिस तरह से लड़कों की शिक्षा के लिए करते हैं। गांवों में यह देखा गया है कि लड़के और लड़कियों की अलग अलग पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन सरकार की यह नीति है कि ६ से ११ साल तक के लड़के और लड़कियां एक ही साथ एक स्कूल में पढ़ें। जहां तक

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

गांव वालों का कहना है वह यह है कि बच्चे और बच्चियों के लिए अलग अलग स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन उस सम्बन्ध में हमारी सरकार की ओर से इसमें कोई प्रबन्ध नहीं हुआ है ।

जब से कम्पलसरी एजुकेशन का नारा राजस्थान सरकार ने लगाया है तब से बच्चियों के लिए प्राइमरी स्कूलें खुलना प्रायः बन्द हो गया है । जहां तक मिडल स्कूल का सवाल है, शायद ही जिलेवाइज़ मिडल स्कूल बच्चियों के लिए खुल पाया हो । बच्चियों की शिक्षा के लिए यदि एक मिडल स्कूल भी न खुल सके तो किस प्रकार से शिक्षा के माने में आगे बढ़ सकेंगे और देश को आगे बढ़ा सकेंगे । मैं अपने तहसील की बात कहता हूं । मेरी तहसील में आसीन्द और बदनोर दो बड़े कस्बे हैं जहां पर तहसील और नायब तहसील का हैडक्वार्टर है । हायर सैकन्डरी स्कूल भी आसीन्द और बदनोर में है । बच्चियों के लिए मिडल स्कूल की काफी समय से आवाज होने पर भी उस ओर अब तक सरकार की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया गया है जब कि गांव वालों ने दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपया लगा कर मिडल स्कूल खोलने के लिए बिल्डिंग्स बना दी हैं और बराबर यहां मिडिल स्कूल खोलने के लिए मांग की जा रही है । जो सरकार का क्राइटेरिया है कि सो लड़कियां होनी चाहिये उन सब क्राइटेरियाज़ को पूरा किया गया है लेकिन फिर भी कोई मिडिल स्कूल गर्ल्स के लिए नहीं खोला गया । उन जगहों पर गर्ल्स मिडिल स्कूल होना नितान्त जरूरी है । पांचवीं कक्षा के बाद लड़कियों का लड़कों के साथ उनके वाल्देन बैठाना कतई पसन्द नहीं करते । यदि अलग से इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई तो गांवों में लड़कियों की शिक्षा

(३ म. प.)

की व्यवस्था नहीं हो पायेगी और जहां हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लड़के और लड़कियां पढ़ें तो हम इस उद्देश्य में विफल रह जावेंगे । इसलिए जल्दी से जल्दी इन दोनों जगहों पर गर्ल्स मिडल स्कूल्स खोले जाने की व्यवस्था की जानी चाहिये । यदि गांवों और शहरों का मुकाबला किया जाय तो शहरों में धड़ाधड़ स्कूल पर स्कूल खोले जाते हैं । उनको किसी चीज़ पर भी एक पैसा नहीं खर्च करना पड़ता है और सरकार सब तरह का उन स्कूलों को अनुदान भी देती है । जब कि गांव वाले श्रमदान करने पर भी, अपने पैसे से बिल्डिंग्स आदि बना देने पर भी, सारी व्यवस्था जो होनी चाहिये वह कर देने के बाद भी, डेपुटेशन्स के मिलने पर भी, हर तरह का प्रयत्न करने के बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिलती है, जहां सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लड़के और लड़कियां शिक्षा पायें । उन गांव वालों की ओर से हर तरह से श्रमदान आदि से बिल्डिंग्स आदि बना देने के बावजूद भी वहां पर यदि मिडिल स्कूल्स नहीं खुलें तो यह एक बड़ा सोचनीय विषय है ।

दूसरा हायर सैकन्डरी स्कूल्स के लिए जो सब्जेक्ट्स रखे गये हैं उसके विषय में निवेदन है । गांवों में जो हायर सैकन्डरी स्कूल्स खुलते हैं तो वहां आर्ट्स वगैरह ऐसे सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं जिनके कारण जो लड़के आगे टेक्निकल

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

एजुकेशन लेना चाहते हैं वे ले नहीं पाते हैं। गांवों में जो शिक्षा होनी चाहिये यह टैक्निकल शिक्षा होनी चाहिये, ऐसे सब्जेक्ट्स स्कूलों में होने चाहिये कि जिससे बच्चे आगे जाकर एक्सपर्ट्स बन सकें और देश के काम में आ सकें। आज की एजुकेशन तो ज्यादातर बाबू और क्लर्क बनाती है। इससे बच्चों को फायदा नहीं मिलता। हम आज यह चाहते हैं कि हमारे देश में खूब ओवरसियर्स हों, डाक्टर्स हों, इन्जीनियर्स हों, एकाउन्टस के अच्छे जानकार हों, कॉमर्स के अच्छे जानकार हों जिससे देश का निर्माण किया जा सके। आज इनकी बड़ी भारी देश में कमी है। इसके लिए यह जरूरी है कि गांवों की इन स्कूलों में सब्जेक्ट्स को बदला जाये। मैं अपनी तहसील के लिए अर्ज करना चाहता हूं। तहसील आसीन्द में आसीन्द और बदनोरे दो बड़े कस्बे हैं। साइन्स क्लासेज़ के लिए गांव वालों ने दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपया लगाकर कमरे बनाये, इसके लिए निवेदन भी किया गया कि साइन्स की आज्ञा प्रदान की जाय, एग्रीकल्चर और न ही कॉमर्स के लिए कोई अब तक आज्ञा प्रदान की गई है। आर्ट्स पढ़ कर आगे टैक्निकल लाइन में नहीं जा सकते। ऐसी ही व्यवस्था रही तो हालत वही होगी कि लड़के शहरों में आकर खर्चे के कारण पढ़ नहीं सकते और वे बिना टैक्निकल एजुकेशन के ही रह जाते हैं। हायर सेकन्डरी एजुकेशन के बाद वहां पर ही बैठे रह जाते हैं और जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए गांवों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे गांवों में टैक्निकल सब्जेक्ट्स. के स्कूल हों, एग्रीकल्चर, साइन्स कॉमर्स आदि। आगे की क्लास में उन लड़कों को दाखला मिल सके ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये।

इस प्रकार से एक पोइन्ट और है वह यह कि जहां भी हम हायर सेकन्डरी स्कूल चलाते हैं वहां पर बोर्डिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिये। गांवों में दूर दूर से लड़के आते हैं, गरीब काश्तकारों के बच्चे भी आते हैं वे इतना खर्च नहीं कर सकते कि अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा के लिये उनको शहरों में भेज सकें। इसलिये गांवों में हायर सेकन्डरी स्कूलों के साथ साथ वहां बोर्डिंग हाउस की भी व्यवस्था होनी चाहिये। मेरे क्षेत्र में दो हायर सेकन्डरी स्कूल्स हैं वहां के लोगों ने श्रमदान करके बोर्डिंग हाउस की व्यवस्था की है वे उसके लिये चन्दा देते हैं उसके सम्बन्ध में कुछ सरकार मदद करे। बोर्डिंग के खर्च खाते के लिये बोर्डिंग के सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि के लिये मदद की जाय ताकि बोर्डिंग हाउस ठीक तरह से चले। ऐसा प्रबन्ध होने पर लड़कों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जायगी, लोगों को उससे बड़ा फायदा मिलेगा; इस प्रकार की व्यवस्था स्कूलों में की जाय। इससे बच्चों में शिक्षा का विस्तार होगा और इसके साथ साथ वे देश को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।

श्री सभापति : श्री संपतलाल।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : सभापति महोदय, इस शिक्षा की मांग पर

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

कटौती प्रस्ताव द्वारा सर्विसेज की जो कन्डीशन्स हैं उनको बताकर मैं सदन का और सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आज शिक्षा के लिए दो तरह के विचार सामने आते हैं। एक सरकार व संचालकों की ओर से शिक्षा के विस्तार की तारीफ की जाती है। दूसरी ओर से शिक्षा के स्तर के अन्दर जो गिरावट हो रही है उसकी आवाज गूंजती है। अब देखना यह है कि क्वालिटी और क्वान्टिटी के अन्दर जो लड़ाई है उसके लिए विचारों की जो दलीलें आती हैं आपके सामने, आपको देखना यह है कि उसमें वजन किसका है ? यह तथ्य है कि आज क्वालिटी और क्वान्टिटी में सामंजस्य रखा नहीं जाता। एक तरफ आंकड़े बताकर, स्कूलों की तादाद बताकर, लड़कों की बढ़ोतरी बताकर यह साबित किया जाता है कि शिक्षा का बड़ा लम्बा चौड़ा विस्तार हो रहा है।

दूसरी ओर यह आवाज है कि अध्यापकों स्थिति ठीक नहीं है। अध्यापकों में जो असन्तोष है वह शिक्षा के गिरावटों के अनेक कारणों में से एक कारण है। मानना पड़ेगा जो गांवों के अन्दर, स्कूलों के अन्दर देखने को मिलता है वाकई एक अध्यापक और सर्विसेज़ में जो असन्तोष है जिसके कारण नेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अन्दर अधिक दिलचस्पी के साथ देखने का मौका नहीं मिलता। उनसे बातचीत करने पर जवाब मिलता है। शिक्षा विभाग के अन्दर हमको क्या मिलता है ? पांच-पांच, चार-चार साल हो जाते हैं सिनियोरिटी मेरिट्स के आधार पर कन्सीडर नहीं होती, उसके अनुसार निर्णय नहीं होता। आज पंचायत समितियों का विकेन्द्रीयकरण हुआ। १९५९ के अन्दर लिस्ट बनी, कुछ अध्यापकों को उनके मेरिट्स के आधार पर प्रोमोशन देने के लिए ऑर्डर्स निकले। थोड़े ही दिनों बाद उनको स्थगित कर दिया जाता है और वे उसी तरह से पंचायत समितियों और प्राइमरी स्कूलों के अन्दर काम करते रहते हैं। आज देखने को यह मिलता है कि प्राइमरी स्कूलों के अन्दर बी० ए० और एम० ए० पास व्यक्ति बैठे हुए हैं वे ये देख रहे हैं कि ग्रेड मिलकर उनको प्रोमोशन मिल सकता है और वे मिडिल स्कूल या हाई स्कूल में चले जायेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से ये रोक दिये जाते हैं। आज तक उन पर निर्णय नहीं होता, ग्रेड नहीं मिलते उनको अवसर नहीं मिलता प्रोमोशन के जरिये आगे काम करने का। प्रश्न यह है कि पंचायत समिति के जो अध्यापक हैं, प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं वे शिक्षा की नींव डालने वाले अध्यापक हैं उनको ग्रेड न मिलने की वजह से, उनका फिक्सेशन नहीं होने के कारण उनमें बड़ा भारी असन्तोष है। आप चाहते हैं कि उनका असन्तोष दूर हो तो आपको उनकी सिनियोरिटी को ध्यान में रखते हुए उनको संतोष दिलाना आपका परम और आवश्यक कर्त्तव्य है। आज देखने को यह भी मिलता है कि फिक्सेशन का कोई आधार नहीं। किसी जिले के अन्दर किसी इलाके के अन्दर सिनियोरिटी के आधार पर फिक्सेशन होना चाहिये लेकिन आज तक नहीं हो पाया। जब एक विभाग है, जहां नियमों का एक आधार है उसके अन्दर भी इस प्रकार के पक्षपात और ढिलाई क्यों ? आज हम देखते हैं कि एक जिले के अन्दर ऑर्डर प्रोमोशन के हो

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

जाते हैं और किसी जिले में ऑर्डर होने पर भी उनको स्थगित कर दिया जाता है। मिसाल की तौर पर निवेदन करूं भरतपुर, कोटा डिविज़न के अन्दर लिस्ट बनायी गई, ऑर्डर्स जारी किये गये लेकिन चार-पांच महीने बाद वे स्थगित कर दिये गये। ऑर्डर मौजूद है लेकिन उस पर विचार नहीं। क्या कारण है जब अध्यापकों के लिए एक दफा विचार कर लिया फिर प्रोमोशन नहीं देना, ग्रेड नहीं देना क्या मायने रखता है? इस तरह से मैं तो यह भी अर्ज करूंगा पब्लिक सर्विस कमीशन से लेक्चरर्स का सिलेक्शन हो जाता है, ग्रेड मिल जाना चाहिये लेकिन उसको भी चार पांच साल हो जाते हैं पी० एस० सी० के सलेक्टेड ग्रेड के लिए उनके लिये कोई अवसर नहीं दिया जाता है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में काम करने का। इस तरह की लंबी लिस्ट है, कई मिसालें हैं; मंत्री महोदय यदि चाहें तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ।

(३.०७ म. प)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

इसके क्या कारण है? कारण एक है और वह यह कि इस विभाग के अन्दर जो उच्च अधिकारी हैं उनको यहां अपने ऑफिस में बैठकर स्कीमें बनाने, मीटिंग अटेन्ड करने के अलावा बाहर इन्सपेक्शन के लिए जाने का समय नहीं है। मैं अर्ज करूंगा—जब किसी स्टेन्डर्ड को एम्प्रूव करना चाहते हैं विभाग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वहां के जो उच्च अधिकारी हों, चाहे आप उसके लिये एडीशनल अफसर कायम करें, वे अपने हायर सेकन्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल्स का कम से कम साल में एक बार इन्सपेक्शन करें। उस इन्सपेक्शन पर वे जाकर स्कूलों की दशा, अध्यापकों को होने वाली असुविधाएं और उनमें किसी प्रकार की कमियां हैं, उनको देख सकते हैं। उदाहरण की तौर पर मैं आप से निवेदन करूं–जयपुर डिविजन के जो इन्सपेक्टर और डिप्टी इन्सपेक्टर हैं उनसे पता किया जाय कि उन्होंने इस साल में कितने स्कूलों का निरीक्षण किया और कितने स्कूलों में जाकर वहां के बारे में नोट तैयार किये और उनकी असुविधाओं को दूर किया। हो सकता है कि टी० ए०, डी० ए के लोभ में घंटा आधा घंटा के लिये चले गये हों और एक आध दिन वहां रहकर चले आये हों लेकिन मेरा तो यह कहना है कि वहां के अध्यापकों से कहना सुनना करके उस पर कभी विचार किया है या नहीं, यह बात देखने की है। इसी तरह से स्कूलें खोलने की बात की पॉलिसी की तरफ तवज्जोह दिलाऊं। स्कूल खोलना? दिखलाने के लिये वे बोर्ड बनाते होंगे, मीटिंगें उसकी होती होंगी, विचार होता होगा, पर उनका कोई आधार भी हो? कुछ इलाकों में, आपको बताऊं, आपके अफसर घूमकर उन जगहों की उपयुक्तता देखकर उन जगहों के लिये—सिर्फ उनके पास पंचायत समिति या जिला समिति की सिफारिशें होती हैं–उन मुकामी जगहों के लिये आप दिखलाने के लिये उनकी राय लेते हैं। पर जब पसन्द करने का मौका आता है तो आपके सामने अपना ही तरीका है, उनकी सिफारिशें ठुकरा दी जाती हैं। बल्कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उनकी सिफारिशों को वापिस किया जाता है और अपने मन मुता-

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

बिक जगहों के लिये दुबारा सिफारिशें उनसे मंगवाकर कोई नोट उन पर नीचे से तैयार करवाकर उन जगहों के लिये स्कूलें खोली जाती हैं और इस तरह से खानापूर्ति आप कागजों की कर लेते हैं। मैं अर्ज करूं कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां पर सिकन्दरों से मुश्किल से १।। मील बिछूपाड़े में मिडिल स्कूल खोली गई, दो मील उससे आगे हाई स्कूल है। मेनरोड पर है। मैं इसका विरोध नहीं करता, वहां मिडिल स्कूल या हाई स्कूल कर दिया जावे। पर बांदीकुई में बीस मील के रेडियस में पचासों प्राइमरी स्कूलें हैं उनके बीच में एक भी मिडिल स्कूल नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री महोदय का इस बात की ओर तवज्जोह दिलाऊंगा कि उक्त क्षेत्र को वे या उनके अधिकारी देखकर, घूमकर मालूम करें कि किस तरह से वहां के बच्चों को सवाई माधोपुर जिले में सातवीं आठवीं कक्षा के लिये जाना पड़ता है और वहां उनके बीच कोई मिडिल स्कूल नहीं है और उनकी दयनीय स्थिति किस तरह की है, यह भी आप देखें। मुझे उनके बीच घूमने का मौका मिला है इसलिये मैंने यह सब देखा है। तो मैं निवेदन करूं कि वे और उनके अधिकारी केवल यहां बैठकर या किन्हीं से अपने मन मुताबिक सिफारिशें लेकर या वायर पुलिंग के आधार पर कहीं अचानक मिडिल स्कूल खोल दें या हाई स्कूल खोल दें, यह रवैया बदलना चाहिये। इसमें भी अब कुछ सुधार होना चाहिये। इसमें वहां की स्थिति को उनकी आवश्यकता को और कठिनाइयों को तहसील के आधार पर देखते हुए कुछ निर्णय करना चाहिये।

अध्यापकों की भी बड़ी दयनीय स्थिति है। आपने किसी न किसी की सिफारिशों के आधार पर, या वायर पुलिंग के आधार पर स्कूलें तो खोल दीं पर आपके अध्यापक बी० ए०, एम० ए० सीनियर टीचर, हैड मास्टर आदि जो वहां जाते हैं वे उन स्थानों को पसन्द नहीं करते क्योंकि उनको वहां सुविधाएं नहीं मिलतीं। सौ–सौ और दो–दो सौ घरों की आबादी गांवों की होती है जिनमें एक भी मकान पक्का नहीं। तो वे जाते हैं वहां तो रहने को स्थान नहीं। उनको अपना स्तर बदलना चाहिये, कहा जा सकता है। पर आपकी ही दी हुई शिक्षा के स्तर की पेनल्टी के तौर पर या सजा के तौर पर उन स्थानों पर उनको भेजा जाता है। फिर एक बात और है। एक एक टीचर के ग्यारह-ग्यारह और सात-सात ट्रान्सफर आपके शासन में हो जाते हैं। आपकी ट्रान्सफर के बारे में कोई निश्चित पालिसी नहीं है। ट्रान्सफर या तो मे में होगा या जून में होगा। आपके ट्रान्सफर शुरू होते हैं अप्रेल से ले कर जनवरी, फरवरी तक। इससे शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ सकता है। आपके टीचर जनवरी और दिसम्बर में पहुंचते हैं। जनवरी-दिसम्बर में जाकर कोर्स किस तरह वे खतम करा सकते हैं। साइन्स का मास्टर दिसम्बर जनवरी तक नहीं पहुंच पाता स्कूलों में बाज वक्त। आखिर इसका भी कोई आधार होना चाहिये। एक इसका मापदंड होना चाहिये कि इस अवधि के बाद कोई ट्रान्सफर नहीं होगा। आपके लिये स्कूलों के अध्यापकों के बारे में हमेशा यह आधार रहता है कि किसी से लड़ लेगा, किसी को गलती होगी तो ट्रान्सफर हो जावेगा।

यही पंचायत समिति के अध्यापकों का

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

हाल है। विकेन्द्रीकरण के साथ साथ उनके पॉवर ऑफ ट्रान्सफर भी डिसेन्ट्रलाइज़ हो गये, पर मास्टरों के लिये अपने अपने स्थानों पर रहने के लिये तबादले करने की कोशिशों के सिवाय आज पढ़ाई की तरह कोई तवज्जोह नहीं है।

इसी तरह अर्ज करूंगा ट्रेण्ड टीचर्स के बारे में। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, पर केवल ग्रेड लेने के लिये। आप स्कूलों में घूम कर देखें कि वे केवल ग्रेड लेने के लिये एक साल या छः महीने के कोर्स में जाते हैं। पर जब स्कूलों में वापिस आते हैं तो उन आधारों और तरीकों पर अमल करके नहीं पढ़ा सकते। कारण यह है कि स्कूल का कोर्स इतना बड़ा होता है कि अगर उस तरह से वे पढ़ावें तो एक सैशन में वह कोर्स खतम नहीं करा सकते। एक तरफ कैरीकुलम आप ऐसा बनाते हैं और दूसरी तरफ आप उनको ट्रेनिंग देते हैं कि एक एक पैराग्राफ इस तरह पढ़ाओ उसकी अलग अलग डायरी बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, जो कि वे कर नहीं सकते, तो प्रेक्टिकल साइड इसका यह है। वे पुराने ढंग से ही सारे कोर्स को खतम कराने के लिये मजबूर होते हैं। तो फिर किस तरह से आपका पढ़ाई का स्तर बढ़ सकता है। स्कूलों के टीचर्स का यह दर्द भी सुनने को मिलता है कि समय पर उनके एरियर्स नहीं मिलते, टी.ए., डी.ए. के लिये उन्हें बार बार घूमना पड़ता है। मैं इस विषय पर

(समस-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपका काफी ध्यान दिलाना चाहता था, पर समयाभाव के कारण इतना ही अर्ज और करूंगा कि दौसा कॉलेज के बारे में बिल्डिंग बनाने के लिये जो रुपया आपने चाहा था वह जनता की ओर से दिया जा चुका है, पर अभी तक बिल्डिंग बनने का काम शुरू नहीं हुआ है। आज भी एक ही बिल्डिंग में कॉलेज और हाई स्कूल दो शिफ्टों में चल रहा है। मैं अर्ज करूंगा कि जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को बनाने की कार्यवाही करने की तरफ कदम उठाया जाना चाहिये और इस सैशन से कोई कार्यवाही होनी चाहिये।

इसी तरह से गुडाकटला जो बांदीकुई तहसील में है वहां हाई स्कूल का भवन बनाने की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। पब्लिक से बॉंड लिखवा लिया गया, बिल्डिंग वहां ठीक है। अब जल्दी इसी सैशन से आप शुरू कर दें और इसी तरह से इन्टीरियर हिस्सों में हाई स्कूल और मिडिल स्कूलें खोलने की तरफ इसी सैशन में कार्यवाही करें और इन आधारों पर इन्सपेक्शन नोट्स में सुधार अगर शिक्षा विभाग में हुआ तो मेरी ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में कुछ सुधार हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री सभापति : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, सदन के समक्ष मैं अपने पांचों कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

सभापति महोदय, शिक्षा के सम्बन्ध में इस सदन में अब तक जो चर्चा हुई है उसका यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकलता है कि विरोधी पक्ष हो, चाहें सत्तारूढ पक्ष के माननीय सदस्य हों, सरकार की शिक्षा नीति की

(श्री भैरोंसिंह)

आलोचना उन सब ने मिल कर की है और इस बात का प्रमाण है कि हमारे राज्य के मन्त्री चाहे शिक्षा सम्बन्धी नीति का किसी प्रकार भी विश्लेषण करें, कितने ही आंकड़े लगावें, लेकिन आज अपने प्रदेश का जिस प्रकार का वातावरण है वह इस बात का सबसे मोटा सुबूत है कि शिक्षा नीति में सरकार की कोई न कोई कहीं जबर्दस्त खामी है।

सभापति महोदय, यह तो अच्छा हुआ कि इस विषय पर सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये और यह विचार एक नये शिक्षा मन्त्री के समक्ष करने का उनको अवसर मिला—जो शिक्षा मन्त्री अब तक अपने को लक्ष्मी का पुजारी न होने का और सरस्वती का पुजारी होने का दावा करता था, सौभाग्य से वही विभाग उनको मिल गया है और हम यह आशा करके चलते हैं, हालांकि पिछले पांच साल के अनुभव से तो उनसे कोई आशा करना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, पर फिर भी यह आशा करके चला जा सकता है कि शिक्षा विभाग में कुछ सुधार होगा।

मैं ऐसा समझता हूं कि हमारे शिक्षा विभाग की प्राथमिक शालाओं से लेकर उच्च-स्तरीय शिक्षा तक के सारे विषयों पर सरकार की नीति का थोड़ा बहुत भी विश्लेषण किया जाये तो इससे स्पष्ट हो जायेगा कि यह शिक्षा वास्तव में लोगों का बौद्धिक विकास करने के लिए नहीं है; बल्कि इस शिक्षा के द्वारा सरकार के ऊपर कोई उत्तरदायित्व आया है उस उत्तर-दायित्व को निभाने के लिए एक कड़ी है।

सभापति महोदय, इस सदन को ध्यान होगा कि आज से कुछ दिन पहले लोक सभा के अन्दर हमारे भारत के शिक्षा मंत्री श्री कालू-लाल श्रीमाली ने इस बात को स्वीकार किया था कि नेशनेलाइज्ड टैक्स्ट बुक्स की जो स्कीम राज्य सरकारों ने अपने हाथ में ली है उसमें उनको सफलता नहीं मिल सकी है। उसमें सफलता मिले, इस संबंध में अब तक की जो हमने कार्यवाहियां की हैं वह कार्यवाहियां भी अधूरी हैं और अधूरी के साथ साथ उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए कि इन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में अमुक प्रकार की कार्यवाहियां और की जायें। लेकिन मैं अभी तक यह समझ पाया हूं कि हमारी सरकार की एक रट कि हम पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं इस रट में चाहे सरकार का कोई मतलब हो या नहीं, लेकिन एक बात इससे अवश्य निकलती है कि हमारी सरकार इन पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से लोगों का एक रेजीमेन्टेशन करना चाहती है और सरकार यह पसन्द करती है कि आज शिक्षाशास्त्री अपने अनुभवों के आधार पर स्वतन्त्र रूप में पुस्तकों का लेखन न करें और सरकार अपने एक विभाग के द्वारा कुछ अपने मनपसन्द लोगों को लिखाई का पुस्तकों के पृष्ठों के दरों से पैसा देकर उन लोगों से पुस्तकें लिखवा ली जायें और बच्चों में तकसीम कर दी जायें, जिन बच्चों का भविष्य उन पुस्तकों पर निर्भर करता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझ-कर चलता हूं कि राज्य सरकार के अधिकारी इस संबन्ध में ध्यान दें और यदि सरकार इस संबंध में थोड़ा ध्यान दे तो उनकी स्वयं की पुस्तकों में जो पुस्तकें राष्ट्रीयकृत पुस्तकें हैं या ऐसी पुस्तकें हैं जो स्वयं शिक्षा विभाग पढ़ाने

(श्री भैरोंसिंह)

के लिए प्रेस्क्राइब करता है, उनको देखें तो मालूम होगा कि ये पुस्तकें कितनी अधूरी हैं, इन पुस्तकों में कितनी गलत बातें लिखी हैं और इतना ही नहीं, बल्कि कई गलत बातें तो ऐसी लिख दी जो तथ्यों के बिल्कुल विपरीत हैं और यदि उन किताबों को दूसरे देशों में बताया जाये कि राजस्थान के अन्दर इस प्रकार की पुस्तकें हैं जो बच्चों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं तो शायद हमारे शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के जितने अधिकारी हैं वे स्वयं शर्म के मारे सिर झुकायेंगे कि ऐसी शिक्षा हमारे यहां पर दी जाती है। बच्चों की पुस्तक में जिसको सरकार राष्ट्रीयकृत पुस्तक कहती है उसमें 'बा' के लिए कहा गया है कि उसको 'बा' क्यों कहते हैं। माननीय मंत्री महोदय शायद इस बात से परिचित होंगे कि एक पुस्तक है जिस पुस्तक में बापू के संबंध में कुछ लिखा है। बापू के संबन्ध में कोई गलत जानकारी देना आज के दिन बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन सरकारी पुस्तक में ऐसी जानकारी दी जा सकती है कि बापू का विवाह १३ वर्ष की आयु में हुआ और उन्होंने देश की बहुत सेवा की, इसलिए आज हम सब उनको 'बा' कहते हैं। सवाल यह था कि 'कस्तूर बा' को हम 'बा' क्यों कहते हैं ? उसके लिए पुस्तक में लिखा है, जो कि एक राष्ट्रीयकृत पुस्तक है कि बापू का विवाह १३ वर्ष की आयु में हुआ और उन्होंने देश की बहुत सेवा की इसलिए आज हम सब उनको 'बा' कहते हैं ! वास्तविक स्थिति ऐसी है कि गांधीजी के खुद के जीवन की पुस्तक में और उनके संबंध में लिखी हुई कई पुस्तकों में हमारे शिक्षा मंत्री के शब्दों में 'बा' उनको केवल इसलिए कहते थे कि महात्मा गांधी उनको 'बा' कहते थे ; जब कि 'बा' शब्द के बारे में हमारी शिक्षा की पुस्तकों में इस प्रकार की बातें लिखी जाती हैं। यही नहीं; बल्कि पंचायत के संबंध में हम जानकारी देते हैं कि पंचायतों का चुनाव कैसे होता है। पंचायतों के सम्बन्ध में लिखा है कि सब पंचायतें मिल कर एक मुखिया का चुनाव करती है और उस मुखिया को सरपंच कहते हैं। माननीय मंत्री महोदय पंचायत के भी मंत्री रहे हैं, वे स्वयं मानेंगे कि इस प्रकार की पुस्तक में गलत सूचना दी हुई है। इस प्रकार से उसमें लिखा है कि १०—१२ गांवों में मुखिया चुन लेते हैं जिसको सरपंच कहते हैं और पंचों में से ही सरपंच होता है। मैं कहता हूं कि कोई भी किताब ऐसी नहीं बचेगी जिसमें गलत बातें न लिखी हों....

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (शिक्षा मंत्री): नाम बताइये।

श्री भैरोंसिंह : कक्षा ३ की सामाजिक ज्ञान की पुस्तक के पेज ६१ पर, कक्षा ७ की नवीन पाठमाला के पेज ३६ पर। आप यह देखें कि आखिर ये चीजें क्यों होती हैं। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यदि सरकार में थोड़ा बहुत भी दम है, थोड़ा भी साहस है और जिम्मेदारी है तो जिन लोगों ने उनको लिखा उनका तो उतना दोष नहीं लेकिन जिन्होंने एप्रूव किया उनका प्रोसीक्यूशन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से लड़कों के साथ खिलवाड़ की जाती है। उनको अच्छी सुविधायें दी जाती हैं, अच्छी अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं, बंगलों की सुविधायें दी जाती हैं और उनके दस्तखतों से इस प्रकार की किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं और हमारी सरकार

Page No.81

(श्री भैरोंसिंह)

मौन रह कर उनको प्रोटेक्ट करती है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि यदि बच्चों की शिक्षा के सम्बन्ध में थोड़ा सतर्क रह कर कार्यवाही करना चाहते हैं तो उन ऑफिसर्स को आपको इमीजियेटली सस्पेन्ड करना चाहिए, उनके खिलाफ इन्क्वायरी होनी चाहिए। चाहे वह एप्रूव करने वाला कोई भी अधिकारी हो; डाइरेक्टर हो, डिप्टी डाइरेक्टर हो, चाहे कोई भी अच्छी तनख्वाह पाने-वाला अधिकारी हो। इस बात की चिन्ता नहीं है; बल्कि उन लड़कों को गलत जानकारी इन पुस्तकों के द्वारा देकर उनके जीवन को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। यह एक प्रकार से नेशनल क्राइम है और उनको दण्ड देना प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था का धर्म होता है।

हमारी सरकार कह देती है कि इतने हायर सैकेन्डरी स्कूल खोल दिए, उसके लिए सदन में आंकड़े बताये जाते हैं। न जाने इतने स्कूल खोलकर कौन सा गजब कर दिया है। पर आप देखें कि आज हायर सैकेन्डरी के रिजल्ट्स क्या हैं? हायर सैकेन्डरी के रिजल्ट्स १९५८ में ४५ परसेंट थे, १९५९ में ३० परसेंट, १९६० में ४० परसेंट और १९६१ में २६ परसेंट थे। सन् ५८ में जहां ४५ परसेंट रिजल्ट था आज ६१ में जाकर उसका परसेन्टेज केवल २६ परसेंट रह गया है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारी शिक्षा में कितनी गिरावट आयी है। जिस शिक्षा के बारे में हम बहुत चर्चायें करते हैं और आपकी शिक्षा का परिणाम धीरे धीरे गिरता जा रहा है। यह इसका सुबूत है कि हायर सैकेन्डरी के अध्ययन के अन्दर कहीं न कहीं जबरदस्त कमी है। आज मैं यह कहूँ सभापति महोदय, कि हमारी सरकार ने हायर सैकेन्डरी कोर्स में जो किताबें प्रेस्काइब कर रखी हैं और जो किताबें लड़कों को स्कूलों में ले जानी होती हैं वे छोटे से बच्चे के सिर पर रख दी जायें तो मैं सच कहता हूँ कि उसे रिक्शे पर ही जाना पड़ेगा या किसी प्रकार ले भी जायेगा तो पन्द्रह दिनों में उसकी हैल्थ खराब हो जायेगी। पच्चीस पुस्तकों का भार यदि स्वयं मंत्री महोदय को दे दिया जाये तो वे स्वयं अपने बंगले तक नहीं जा सकते। आज आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वह गधे के भार के बराबर लेकर जाये? यदि उन किताबों को अच्छी तरह से देखा जाये तो ऐसा मालूम होगा कि वे किताबें क्या हैं। हम अंग्रेजी को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं, यह सरकार का डॉक्युमेन्टरी गार्ड है और अंग्रेजी की शिक्षा इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि छठी क्लास से ए. बी. सी.डी. के पढाने का काम शुरू किया है। छठी के बाद सातवीं और आठवीं के अन्दर अंग्रेजी का जो स्टेन्डर्ड है वह बिल्कुल कमजोर है और जिस समय वह लड़का हायर सैकेन्डरी की क्लासेज में आता है उस समय यदि उसकी किताबें देखें तो जो किताबें नवीं और दसवीं क्लास के लड़के को पढ़नी पढ़ती हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका अच्छे से अच्छा इन्सपेक्टर उन किताबों के बारे में उनको ठीक से प्रोनाउन्स नहीं कर सकता। एक अंग्रेजी की किताब 'मैन हू हैज चेन्जड दी वर्ल्ड' अगर आप उसका कोई भी लैसन निकाल अच्छी तरह से प्रोनाउन्स कर दें तो मैं कहूँगा कि वास्तव में न्याय किया गया है। मुझे मालूम है कि

(श्री भैरोंसिंह)

इसो किताब के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन ने लिखा है कि यह किताब हायर सैकेन्डरी के लिए नहीं है। लेकिन वह किताब प्रेस्काइब करके भेज दी। आप कहते हैं कि हम अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, नीचे की क्लासेज में इसलिए नहीं पढ़ाते कि लोग कहते हैं कि अंग्रेजी को प्रोत्साहन देते हैं। यदि आपको अंग्रेजी को प्रोत्साहन देना है तो नीचे से आइये। यदि अंग्रेजी को समाप्त करना है तो इसको एक ऑप्शनल सबजेक्ट बना दीजिए और फिर जिस प्रकार की पुस्तकें प्रेस्काइब आप करना चाहें कर दें। लेकिन अफसोस है कि आज इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। परीक्षाफल धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। मैं कहूँगा कि इसके लिए तुरन्त कोई उपाय नहीं किया गया तो हमारे सामने विकट समस्या पैदा हो सकती है।

इसी शिक्षा के संबंध में मैं कुछ बातें और कहना चाहता हूँ। आज एक अजीब दृश्य हमें देखने को मिलता है कि सरकार कहती है कि हम शिक्षा देते हैं और सरकारी किताबें कहती हैं कि सरकार को शिक्षा-नीति कैसी है। "भारतीय संविधान और नागरिक जीवन" जो हायर सैकेन्डरी स्कूल के सेकण्ड पेपर के लिए प्रेस्काइब करते हैं उस प्रेस्काइब्ड किताब के अन्दर क्या क्या लिखा है—"भारत को आधुनिक शिक्षा-प्रणाली में दोष" उसमें बताया गया है कि हमारे देश में जो पढाया जाता है उसमें क्या क्या कमियां हैं। उसमें बताया गया है कि हमारी शिक्षा अधिक किताबी है। (२) हमारी शिक्षा का सीधा सम्बन्ध जीवन से नहीं है। (३) हमारी शिक्षा मंहगी भी है (४) अंग्रेजी का माध्यम रहना भी असंगत है। (५) आज की शिक्षा उद्देश्य-रहित है। (६) आज की शिक्षा की एक बहुत बड़ी खराबी यह भी है कि विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच व्यक्तिगत सम्पर्क नहीं होता। इसी प्रकार से सभापति महोदय, इससे यह अन्दाज लगता है कि एक मास्टर एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है तो इस किताब के एक चेप्टर में यह भी पढाता है कि जो कुछ मैं पढा रहा हूँ उससे तेरा विकास नहीं होने वाला है, जो कुछ पढ़ा रहा हूँ वह बेकार पढ़ा रहा हूँ। आज इस प्रकार की किताब हमारी इसी सरकार के द्वारा प्रेस्काइब होकर चलती है और इसी प्रकार से इस किताब के अन्दर एक जगह न्याय–व्यवस्था के लिए लिखा है, यदि आप चाहें तो उसमें से भी पढ़ कर सुना दूं। उसमें लिखा है कि हमारे न्यायालय न्याय देने के लिए नहीं हैं; लेकिन यह तो भ्रष्टाचार के सेन्टर हैं। आप देखना चाहें तो बता दूं :

"हमारे न्यायालयों में वर्षों तक मुकद्मे पड़े रहते हैं और फैसले नहीं होते हैं। अन्त में यद्यपि लिखना तो नहीं चाहिये लेकिन लिखना ही पड़ता है कि हमारे न्यायालय और विशेष तौर पर छोटे न्यायालय भ्रष्टाचार के केन्द्र बने हुए हैं।"

जो न्याय-प्रशासन का ज्ञान हम अपने बच्चों को देते हैं, जुडीशियरी के प्रति एक आस्था निर्माण करने की बात करते हैं और आपके शिक्षकों के द्वारा इस प्रकार की आस्था उन बच्चों को दी जाती है। आज हमारी डेमोक्रेसी के लेजिस्लेटिव, जुडीशियरी और एक्जीक्यूटिव ये तीनों मोटे फन्क्शन्स हैं। उनमें से

(श्री भैरोंसिंह)

एक के प्रति हमारे बच्चों के दिमाग में इस प्रकार की आस्था निर्माण करते हैं कि जुडीशियरी कुछ नहीं है, जुडीशियरी भ्रष्टाचार का अड्डा है। अगर आप इस प्रकार की शिक्षा देना पसन्द करते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

इस प्रकार से सभापति महोदय, कुछ किताबें और भी हैं जिन किताबों में हमारी शिक्षा दोषपूर्ण है और हमारे न्यायालय भ्रष्टाचार के अड्डे हैं, वे किताबें इन स्कूलों में पढाई जाती हैं और उन किताबों के अन्दर मैं आपकी सूचना के लिए बता दूं कि इस वर्ष एक किताब पढाई जाती है "हमारा संविधान और नागरिक जीवन"....

श्री सभापति : थोड़ा समय का खयाल रखें।

श्री भैरोंसिंह : अभी खत्म करता हूं। उसके अन्दर इस वर्ष बच्चों को पढ़ाया गया है :

"कांग्रेस के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवालों में प्रमुख सर्व श्री जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्रप्रसाद, गोविन्दवल्लभ पन्त, कैलाशनाथ काटजू, सी. राजगोपालाचारी, सम्पूर्णानन्द, मुरारजी देसाई, के. एम. मुन्शी आदि हैं।"

इस वर्ष यदि लड़कों को यह कहा जाय कि श्री राजगोपालाचारी और श्री के. एम. मुन्शी यह कांग्रेस के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाले हैं तो मैं समझता हूँ कि लड़कों को चाहे यह कहा जाय कि श्री राजगोपालाचारी स्वतन्त्र पार्टी में चले गये तो लड़के यही कहेंगे कि स्वतन्त्र पार्टीवाले श्री राजगोपालाचारी दूसरे हैं और कांग्रेस के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करनेवाले दूसरे हैं। नाम एक है फिर भी आदमी अलग अलग हैं। ऐसी हालत में इस प्रकार से इस किताब में इस सारी शिक्षा पद्धति को किस प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया है माननीय मंत्रीजी यदि चाहें तो इस किताब में जो शिक्षा के सम्बन्ध में लिखा है वह पेज ४१२ पर है उसको अच्छी तरह से पढ़ लें और देखें कि आपकी शिक्षा सम्बन्धी नीति को किस प्रकार से क्रिटिसाइज़ किया है। जिस किताब को आप पढ़ाते हैं उसको देखने के बाद विचार करें कि किस प्रकार की शिक्षा आप देते हैं।

राजस्थान के एक बहुत बड़े लेखक हैं जिन्हें श्री मोहनलाल सुखाड़िया और श्री एस. के. डे. ने सर्टीफिकेट दिया है कि जिस प्रकार की किताब लिखी है उससे नेशन बिल्डिंग करने की बात बहुत अच्छी तरह से चल सकती है। उसमें मेवाड़ी के एक गीत में इस बात को स्वीकार किया है कि आज की पढ़ाई किसी प्रकार से ठीक नहीं है। सभापति महोदय, मैं गाकर तो नहीं, लेकिन पढ़ कर सुना दूं........

एक माननीय सदस्य : गाकर सुना दीजिये।

श्री भैरोंसिंह : जिन्होंने लिखो है वे गायेंगे। मैं तो पढ़ कर सुना देता हूं....

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमन्द): Point of information, Sir, as well as point of order, Sir. The point of order Sir, is that the book which the Hon-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

'ble Member is now citing here, is not a book prescribed by anybody or by the Department. It is a book which has been written by a person......

श्री भैरोंसिंह : Who is that person ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : and has no relation with the curriculum or with the Department itself. It has no authority. At the same time, Sir, I think, the Hon'ble Member just to humour the house is mentioning it. My submission is Sir, that such references should be made only of those persons who are authority on subject. I would now like to have a ruling. It is only an ordinary book of domestic nature.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, इसके ऊपर रूलिंग देने की कोई जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से यह गीत श्रीमान निरंजननाथजी आचार्य द्वारा लिखा गया है। इसलिए मैं इस किताब का रेफरेन्स देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस पढ़ाई के सम्बन्ध में........

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have raised a point of order, Sir.

श्री भैरोंसिंह : It is not a point of order. Under what rule, this is a point of order ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : This should not be taken into consideration by the House, Sir,

श्री सभापति : जिस पुस्तक के बारे में कहना चाहते हैं मेरे खयाल से वह राष्ट्रीयकृत पुस्तक नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : मैं जरूरी नहीं समझता कि वह राष्ट्रीयकृत पुस्तक हो और बच्चों को पढ़ाते हों, इस वक्त। इस विधान सभा के एक माननीय सदस्य ने लिखी है और विधान सभा के सदस्य की राय पर सरकार गौर करती है। उन सदस्य ने जो पुस्तक लिखी है वह कैसे ऑथेरिटी नहीं हैं? मैं नहीं कहता कि वे ऑथेरिटी नहीं हैं। वे खुद जानें कि वे ऑथेरिटी हैं या नहीं। मैंने तो गलती से ऑथेरिटी समझ लिया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने समझ लिया, वह प्रश्न नहीं है। व्यक्तिगत रूप से कोई किताब लिखी है उसका रेफरेन्स यहां नहीं आना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह: यह कोई कायदा नहीं है। यदि कोई किताब है तो उसका रेफरेन्स नहीं हो। मैं इस किताब को इसलिए रख रहा हूँ कि इस पर जो दो शब्द लिखे हैं वे मोहनलालजी सुखाड़िया जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे, उनके हैं। मैं इसलिए रखना चाहता हूं कि जो मंत्रीगण इस किताब को सर्टीफिकेट दे देते हैं वह किताब शिक्षा नीति के विरुद्ध चलती है। इस किताब का उदाहरण इसलिए दे रहा था कि माननीय सदस्य कितने होशियार हैं कि इस प्रकार की किताब भी लिख दी और मंत्री महोदय से तारीफ भी करा दी........

श्री निरंजननाथ आचार्य : There are so many ways to humour the House except this one,

श्री भैरोंसिंह : इसमें दिया हुआ है जिसका मतलब यह है कि जो आज की पढ़ाई है उसका काला मुंह हो जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : This is in context of those students who have disturbed the discipline. This is in that context, and my Hon'ble Member is losing context of the book, Sir.

श्री भैरोंसिंह : तो मेरे कहने का सारा तात्पर्य इन किताबों के रखने का यह था कि हमारी सरकार शिक्षा के सम्बन्ध में नीति के अन्दर जल्दी से जल्दी सुधार करने की चेष्टा करे।

इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस प्रकार का आश्वासन दिया कि मनोविज्ञान के तरीके से हम शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं, लेकिन आज तक रुचि किस प्रकार की लड़के की है, कौन से सब्जेक्ट्स को अपने आपको पढ़ने के लिए तैयार रख सकता है, उस प्रकार का मनोवैज्ञानिक सर्वे लड़कों का किया जाय। न तो वह होता है और इस कारण इस बात का पता नहीं लगता है कि कौन से लड़के की किस प्रकार की रुचि है और किस प्रकार की शिक्षा दी जाय। उसकी कई चीजें हमारे सामने एक दुविधा के रूप में पेश आई हैं।

प्राथमिक शिक्षा के टीचर्स के बारे में सदन के कई माननीय सदस्यों ने कहा, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि राजस्थान में सबसे बड़ा दुःख प्राथमिक शिक्षा के अध्यापकों को है। माननीय मंत्री महोदय स्वयं को याद होगा कि पिछली विधान सभा में इस तरह से प्राइमरी टीचर्स के मसले को उठाया था तो उन्होंने जोश में आकर कह दिया कि प्रमोशन के मामले के अन्दर कुछ नियम बना दिये हैं और वह लागू हो गये हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद सवाल पूछा तो राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि अभी कोई नियम नहीं बनाये हैं, नियम बनानेवाले हैं और जब मैं देखता हूं कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में टीचर्स के प्रमोशन धड़ाधड़ हो रहे हैं और प्राइमरी टीचर्स को प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं तो मैं सरकार के मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूँगा कि आप यह बता दें कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी वेकेन्सीज़ थीं और उन वेकेन्सीज़ पर किस किस प्राइमरी स्कूलों टीचर्स को प्रमोशन दिया तो कई डिस्ट्रिक्ट्स में प्रमोशन दिया हुआ नहीं मिलेगा। प्रमोशन प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स को नहीं देना इस बात को साबित करता है कि प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स की हत्या करना चाहते हैं और उस हत्या के द्वारा आप अपने डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन की सफलता चाहते हैं! मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तरफ टीचर्स के साथ अन्याय करना और दूसरी तरफ उन्हीं टीचर्स का राष्ट्रीय निर्माण में सहयोग लेना चाहें, तो यह दोनों बातें साथ साथ नहीं चल सकती। आपको टीचर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, कानून के द्वारा और जो उनका एक्सप्लॉइटेशन पंचायत समितियों के द्वारा हो रहा है उसको नहीं रोकेंगे तो प्राइमरी शिक्षा की जिम्मेदारी आप पर इतनी नहीं आयेगी जितनी उन ग्रामीणों पर आयेगी, क्योंकि आपके बच्चे तो सेंट ज़ेवियर स्कूल में पढ़ लेंगे, बाहर भी जाकर पढ़ लेंगे, लेकिन ग्रामीणों के बच्चे पंचायत समितियों के स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां सही प्रकार की शिक्षा देने के लिए और ग्रामीणों के साथ

(श्री भैरोंसिंह)

न्याय करने के लिए टीचर्स के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको रोकने की चेष्टा करेंगे। सरकार ने युनिफाइड पे स्केल, रेशनलाइज्ड पे स्केल सारे टीचर्स का कर दिया। नॉन-मैट्रिक की ग्रेड मैट्रिक के बराबर कर दी, उनको अपग्रेड कर दिया, उसके बाद ऐसा समझ कर चल रहे थे कि उनका भी होगा। लोग बड़ी उम्मीद कर रहे थे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपके विभाग के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर करते क्या हैं? एक एक इन्सपेक्टोरेट के अन्दर, जयपुर जिले के लिए मैं कह सकता हूँ, जयपुर जिले में टीचर्स की तीन लाख रूपयों की बकाया चल रही है। हमारी सरकार बार बार आश्वासन देती है लेकिन ये तीन लाख रूपये चुकाये नहीं जाते। शिक्षा मन्त्रीजी चित्तौड़ में अध्यापकों के सम्मेलन में आश्वासन देते हैं कि बकाया एरियर का भुगतान शीघ्र किया जायगा लेकिन भुगतान नहीं होता। इसके लिये जिम्मेदार कौन है? हमारे मन्त्रीजी, डिप्टी डाइरेक्टर और डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन की बातों पर ऐतबार न करें लेकिन निष्पक्ष जांच करावें कि जिसकी गलती से टीचर्स के एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया और स्वयं मालूम करके सदन में सूचना दें कि फलां फलां डिस्ट्रिक में कितना बकाया है और उस बकाया की भुगतान किस प्रकार कराया जायगा।

अन्त में एक प्रश्न है गवर्नमेंट एडेड इन्स्टीटयूशन्स का। मैं जानता हूँ कि यह इस प्रकार का विषय है कि एज्यूकेशन डिपार्टमेंट चाहे पूरा का पूरा शिक्षा मंत्रीजी को दे दिया जाय लेकिन एक अंग एडेड इन्स्टीटयूशन्स का उनके पास से निकाल लिया जाय। आज समाज के अन्दर दूसरों के उदाहरण लेते हैं। वास्तविकता के आधार पर उदाहरण सामने रखे जाते हैं। अब यदि शिक्षा मंत्रीजी से उदाहरण लें, गवर्नमेंट एडेड इन्स्टीट्यूशन का उदाहरण उनसे लें तो सब का दिमाग हट्टूंडी की ओर जायगा। शिक्षा मंत्रीजी जिसके ट्रस्टी हैं और संचालक हैं, मेम्बर हैं। हट्टूंडी की याद आती है तो यह सामने आता है कि गवर्नमेंट एडेड इन्स्टीटयूशन का मतलब यह है कि इस प्रकार के इन्स्टीटयूशन्स खोलें, सरकार से पैसा लें, अपना बिजनेस चल सकें। वहां शिक्षा का प्रश्न नहीं है। गवर्नमेंट एडेड इन्स्टीटयूशन्स बिजनेस फर्म के नाम पर चलाते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मामला इम्पोर्टेन्ट है।

श्री सभापति : आप काफी समय ले चुके हैं।

श्री भैरोंसिंह : दो-तीन मिनट में खत्म कर दूंगा।

मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि पिछली विधान सभा में ऊन के मामले को लेकर मैंने चार्जेज लगाये थे। इसलिये कम टैक्स किया कि ऊन वालों की आमदनी हट्टूंडी में जमा कराई, आपने इससे इन्कार किया। मैं सुबूत के साथ कहता हूँ कि विधान सभा में बहस हुई उसके थोड़े दिन बाद ऊन टैक्स ज्यादा कर दिया। ज्यादा इसलिये हुआ कि विधान सभा में आलोचना हुई। वहां जाकर पैसा जमा हुआ हट्टूंडी बालिका विद्यालय के

(श्री भैरोंसिंह)

लिये। यदि कोई इन्क्वायरी बैठाये तो मालूम होगा कि वहां पर एम्बेजलमेंट होता है, गलत डॉक्यूमेन्ट्स होते हैं, वहां पर करप्शन है; इस नीचे दर्जे का करप्शन है कि कोई उम्मीद नहीं कर सकता। इस प्रकार का करप्शन है, मेरे पास लैटर्स पड़े हैं........

श्री निरंजननाथ आचार्य (राजसमंद): I rise to point of order, Sir. The point of order, Sir, is that allegations of a defamatory or inciminatory nature can only be made through the permission of the Speaker and previous intimation is necessary to the Speeker and to the Minister concerned and Sir, the proviso to rule 273 is that the Chairman can disallow such allegations if they are derogatory to the dignity and prestige of the House. So I would refer rule 273 and base my point of order as laid down under rule 273. The Chair has the powers vested in itself to disallow the Hon'ble Member to cast such allegations. A previous notice was necessary to the Minister as well as to seek permission on the grounds.

Therefore, the allegations are of serious nature, when the Hon'ble Member is reforring to a document itself as he says that he has document with him, I would request the Chair to disallow such allogations as well, the document which he refers. If at all it is a document of a person, whose name is not disclosed and of incriminatory nature, I request that the document should be placad on the Table of the House.

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की जो आपत्ति है उस आपत्ति को मैं निराधार मानता हूँ और निराधार इस आधार पर मानता हूं कि अभी तक जो करप्शन के चार्जेज लगाये हैं वे व्यक्तिगत रूप से शिक्षा मन्त्रीजी पर नहीं लगाये गये हैं। मैंने कहा है कि इस हुर्ड़ंडी बालिका विद्यालय के अकाउन्ट्स में एम्बेजलमेंट होता है, रुपयों का एम्बेजलमेंट होता है, सरकार से जो एड मिलती है उसका दुरूपयोग होता है, टीचर्स को पैसों का चुकारा नहीं होता है, पैसा होता है उसका भुगतान नहीं किया जाता। भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से जो सहायता लेते हैं उसका दुरूपयोग होता है। ये चार्जेज मैंने विधान सभा में लगाये हैं और जिम्मेदारी के साथ लगाये हैं। इन्क्वायरी कराने को तैयार हूं। यदि सरकार इन्क्वायरी कमेटी सदन के माननीय सदस्यों की बैठाये, यदि उसके अन्दर माननीय सदस्य जो रूल्स कोट करते हैं उनको भी उसमें रखते हैं तो मैं उनके सामने डॉक्युमेंट रखना चाहूंगा, ऑडिट रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा, सदन में जो आदान-प्रदान हुआ है उससे साबित करूंगा कि जो सरकार से सहायता लेते हैं उसका दुरूपयोग होता है............

श्री निरंजननाथ आचार्य : I have placed my point of order.

आपने डॉक्युमेंट को रेफर किया है, जिन डॉक्युमेंट्स पर एलीगेशन्स बेस कर रहे हैं उन डॉक्युमेंट्स को कन्सील करके हाउस को

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

प्रेज्युडिस कर दिया है इसलिये सेक्शन २७३ पर........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : I feel, this is a point of disorder.

श्री सभापति : He was explaining his conduct.

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : The Chair has given a ruling......

श्री निरंजननाथ आचार्य : You are nobody to interfere.

श्री भैरोंसिंह : The Chair has already given a ruling that he should continue.

श्री सतीशकुमार शर्मा : आप जिम्मेदारी समझते हैं हाउस के अन्दर........

श्री भैरोंसिंह : माननीय सदस्य........

श्री सभापति : आपने काफी समय ले लिया है ।

श्री भैरोंसिंह : मैं खत्म कर रहा हूं । गवर्नमेंट एडेड इन्स्टीट्यूशन्स की चर्चा करने से पहले इस सदन के माननीय सदस्यों की, चाहे उसमें कांग्रेस के ही सदस्य हों, मुझे आपत्ति नहीं है, एक कमेटी बैठाई जाय, मैं उनके सामने सुबूत रखूंगा कि इस नेचर की रकम का दुरूपयोग हुआ है, अध्यापिकाओं के साथ न्यायोचित दृष्टि से जिस प्रकार का न्याय होना चाहिये वैसा न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी कई प्रकार की शिकायतें मेरे पास ही नहीं, बल्कि मुख्य मन्त्रीजी के पास पहुंची हैं रजिस्टर्ड लैटर्स पहुंचे हैं........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : As a matter of fact, according to the ruling of the Chair, if any Member produces some documents, these documents must be placed on the Table of the House.

श्री भैरोंसिंह : Under what rule ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : It has been the practice.

श्री भैरोंसिंह : There has been no practice.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : Then you should not refer any paper. you cannot mislead the House by telling that you have some paper and that you do not produce it on the Table of the House.

श्री सभापति: I think, the Hon'ble Member is not referring to a particular document.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : If he is referring to some paper......

श्री भैरोंसिंह : Why the Hon'ble Member is wasting time when there has been a ruling from the Chair ? He is simply wasting time.

श्री सभापति : The Hon'ble Member should finish it.

श्री भैरोंसिंह : मुझे मालूम हुआ है कि शिक्षा मन्त्रीजी के लिये आपके दिल में कितना दर्द है। इस लिए चाहता हूँ पूरा किभेद नहीं खोलूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : He is insinuating for nothing.

श्री भैरोंसिंह : अंत में मैं यह निवेदन करता हुआ हमारे शिक्षा विभाग के अन्दर सुधार लाने के लिये हमारे सरस्वती के पुजारी मन्त्रीजी आये हैं वे रद्दोबदल करके साबित करें और १० वर्षों से रद्दोबदल किये हैं उनमें इस कारण से शिक्षा की प्रगति नहीं हुई उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें, उसके स्थानपर कमियां क्रियेट नहीं होनी चाहिये थी। हमारे वित्त मंत्रीजी ने भाषण पेश किया हैबजट का उस बजट के भाषण को पढ़ लें और या तो जो बातें उन्होंने कही हैं, उनको सिद्ध करदें या उन्होंने गलत कही हैं, इस बात को सदन के सामने रख दें। मैं समझता हूं कि उसके अभाव के कारण यह बात कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और मैं एक बार रिपीट करता हूं कि मैंने वित्त मंत्रीजी के बालिका विद्यालय के बारे में जो बातें कहीं हैं, उनका प्रमाण देने के लिए मैं तैयार हूँ। वित्त मंत्रीजी सदन में कमेटी के निर्माण की घोषणा कर दें तो मैं सारे डॉक्युमेंट्स उस कमेटी के सामने दे दूंगा।

श्री सभापति : राव श्री नारायणसिंह।

राव श्री नारायणसिंह (मसूदा) : सभापति महोदय, इस माँग पर मेरे सात कटौती के प्रस्ताव हैं जो विभिन्न विषयों पर कुछ प्रकाश डालने की नियत से हैं और एक उनमें से खास तौर से इस विषय पर है कि जो स्कूलों प्रोविन्शियेलाइज की गई हैं, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स थी उनको राज्य सरकार ने लिया है, उनके अध्यापकों के विषय में कहना चाहता हूं कि वे आज भी अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित हैं। उससे काफी कुपरिणाम और असंतोष उन अध्यापकों में मौजूद है। आज हम हमारी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं और यह तो एक निर्विवाद बात है कि अगर प्रजातंत्र के ढांचे को हमने वैज्ञानिक रूप से ठेठ नीचे की जड़ें पकड़ाने की कोशिश की है तो प्रजातंत्री ढंग का मानस बनाने में शिक्षा का जो स्थान है उसे हम भूल नहीं सकते और वहां हमें जब यह देखने को मिलता है कि आज दिन विद्यार्थी वर्ग काफी अनुशासनहीन बनता जा रहा है और उससे कई शिक्षा शास्त्री और कई हमारे जो अन्य देश के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, विचारक हैं वे उससे चिन्तित हैं तो उस समय मैं तो यही कहूँगा कि अगर विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता आ रही है तो वह एक प्रकार से अध्यापक का नैराश्य का प्रतिबिम्ब ही कहा जाना चाहिए। मैं जो कह रहा था कि कई राष्ट्रीयकृत अथवा प्रोविन्शियेलाइज स्कूलों का अध्यापक वर्ग आज भी एक अनिश्चित स्थिति में झूल रहा है। उस विषय में मेरे स्वयं के अनुभवों के अनुसार मैं विजयनगर में जो स्कूल हायर सेकिण्डरी स्कूल है उसके राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में एक बात सामने लाना चाहता हूँ। १९५६ में वह स्कूल अजमेर राज्य के समय जिस समय कई स्कूलें राष्ट्रीयकृत हुई थी, उनके कारणों से और छोटे-मोटे और कारणों से राज्य ने यह उचित समझा कि प्राइवेट इन्स्टी-

Page No.90

(राव श्री नारायणसिंह)

ट्यूशन्स को राज्य से ही चलाये जायं। उस विचारधारा पर मैं अधिक नहीं कहना चाहता। इस समय उसके लिए अधिक अवकाश नहीं हैं। लेकिन उस समय उस दौर में जब कई स्कूलें राष्ट्रीयकृत हुई, इस स्कूल का भी राष्ट्रीयकरण किया गया और वहां के जो अध्यापक थे उनके पेंशन इत्यादि के केस चले और वे आज तक भी - १६५६ से लगा कर १६६२ तक-इस प्रकार से अनिश्चित अवस्था में चले आ रहे हैं। खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनमें से कई अध्यापक तो मर भी चुके हैं और इसी अनिश्चितता के अन्दर तड़पते हुए मर चुके हैं। लेकिन आज तक उनके बारे में कोई आखिरी निर्णय नहीं हो पाया है। कहीं प्रोविडेंट फंड के मामले अटक जाते हैं, प्रोविडेंट स्कीम ऐज बार (Age bar) के हिसाब से नहीं लग पाती है, कहीं दूसरे कारण से नहीं लग पाती है। इस प्रकार की उलझनों के अन्दर उनके मामले चले आ रहे हैं। यद्यपि इस विषय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिल्कुल निश्चित निर्णय होकर ऑर्डर आये हैं जिसके मुताबिक एन्टायर सर्विस को काउन्ट करने के बारे में स्पष्टीकरण कर दिया गया है। हमारे शिक्षा विभाग ने उसको अपने ही प्रपत्र ६ मई, १६६० में प्रसारित किया। उसके बाद तो यह बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए था कि इस प्रकार जो अध्यापक राष्ट्रीयकृत स्कूलों के हैं उनकी पेंशन इत्यादि चालू होगी और उस बारे में कोई अनिश्चितता भोगनी नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद भी पेचीदगियां रह गई और कुछ न कुछ अटकाव आते रहे, डिपार्टमेंटल तरीके से अथवा टैक्निकल कारण से अटकाव चालू रहे और आज भी मुझे जब वही हालत मालूम पड़ती है तब बड़ा खेद होता है कि किस प्रकार से सारे स्पष्ट आदेश होते हुए भी ए. जी. के यहां से अथवा और कहीं से ऑब्जेक्शन्स आ जाते हैं और वे मामले जमे जमाये पीछे उखड़ जाते हैं। वास्तव में आवश्यक यह था कि यदि राज्य सरकार ने इस विषय में निर्णय ले लिया था एन्टायर सर्विस को काउन्ट करने का तो उस निर्णय को न केवल वहां प्रसारित ही किया जाता, बल्कि जहां जहां जिन जिन डिपार्टमेंट्स से सम्बन्धित था, वित्त विभाग से ए. जी., सी. आर. इत्यादि से वहां वहां उस निश्चय को सूचित किया जाना चाहिए था जिससे कि उनको मालूम हो जाता और मामले अटक न पाते लेकिन कई रिटायर्ड टीचर्स हैं जिन्हें आज तक न ग्रेचुटी मिली है, न मेन्टीनेन्स अलाउन्स ही मिला है और उनके पेंशन के केसेज भी अनिश्चितता के अन्दर झूलते चले आ रहे हैं। अब हम ऐसी स्थिति में स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि किस प्रकार से ऐसी शिक्षण संस्थाएं जहां अध्यापक वर्ग को पूरी तरह से अपनी जायज सुनवाई का मौका नहीं या उसमें बेहद ढील है और उन्हें अनिश्चितता में झूलना पड़े, वहां अध्यापकों का किस प्रकार से सही ढंग से शिक्षण की ओर ध्यान रह सकेगा अथवा वे सुदृढ़तया बच्चों की पढ़ाई की तरफ अपने मानस को बना सकेंगे। इस विक्षुब्ध मानस का यह परिणाम होता है कि आज के अध्यापक केवल या तो अपने पे-स्केल्स की तरफ देखते रहते हैं या और चीजों की तरफ देखते हैं, या कन्फर्मेशन के बारे में सोचते हैं और इस सब के होते हुए जो अध्यापन का कार्य है, उसमें उनकी रुचि नहीं रहती और उसका

(राव श्री नारायणसिंह)

परिणाम यह होता है कि जो स्कूल में परीक्षा फल आता है उसमें गिरावट आती जाती है और विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के नजारे बढ़ते नजर आते हैं। तो मैं इस विषय में सरकार का ध्यान कई बार पत्रों के द्वारा और दूसरे तरीकों से आकर्षित कर चुका हूं और आज, सभापति महोदय, आपकी मार्फत सरकार से इस बात पर जोर देकर अर्ज करना चाहूँगा कि ऐसी इन्स्टीट्यूट, जो नेशनेलाइज या प्रोविन्शिलाइज की गई हैं और जिनके अध्यापकों के विषय में करीब करीब निर्णय हो चुका है उन निर्णयों के अन्दर अटकाव जो कुछ भी हों, वे दूर किये जाने चाहिए ताकि कोई निश्चित अवस्था प्राप्त हो।

इसके अलावा दूसरा जो कटौती प्रस्ताव है वह उच्चत्तर माध्यमिक शालाओं के बजाय जूनियर पोलीटैक्निकल विद्यालय खोले जायं, इस विषय में है। गत पांच वर्ष में यह दौर चल पड़ा था कि हर जिले से, हर स्थान से यह मांग आने लगी कि कहीं प्राथमिक शिक्षणालय था तो उसको उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षणालय बनाया जाय, कहीं मिडिल स्कूल थे तो उनको उच्चत्तर माध्यमिक शाला बनाने के लिए मांग पैदा हुई और इस सिलसिले में एक होड़ सी लग गई। मांग करने वालों की होड़ लगी और इधर से ऐसे शिक्षणालय को खुलवाने की भी होड़ लग गई और उसमें कुछ ऐसी अनुभूति भी हुई कि कई स्थानों पर कई शिक्षणालय खोल दिये गये तो कई स्थान सर्वथा पिछड़े रह गये। अब मुझे इस बात की खुशी है कि विभाग इस बात को पूरी तरह से अनुभव कर संतुलित दृष्टिकोण से हर जगह बराबर अपग्रेडिंग के हिसाब से ही नहीं लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की मांगों को कुछ उचित प्रकार का एक मोड़ दिये जाने की आवश्य-

(४.० म. प.)

कता को महसूस कर रहा है। आज हमारे देश में तकनिकी शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। और जिस समय हमारे यहां सोशियल एज्यूकेशन वैलफेयर कमेटी बनी थी उसमें सब-कमेटी में मैंने स्वयं ने चेयरमैन की हैसियत से काम किया था और उसके बारे में पहले के सत्र में मैंने प्रकाश डाला था कि आज हमें कॉन्स्टीट्यूशन की जरूरत के मुताबिक इस बात पर ही जोर देना नहीं चाहिये कि ६ साल से ११ साल के बच्चे सारे ही अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने लगें। एक तरह से यह लकीर की फकीरी कहिये, विद्वता कहिये या रूढ़ीवाद कहिये अथवा कुछ भी पूरा नहीं कर पाते, यह अलग बात है, मैं यह कहूंगा कि हमें यह मानना पड़ेगा कि अनिवार्य शिक्षा कायम करने में काफी दिक्कतें हैं। काफी कठिनाइया हैं। मैं यह कह कर इस बात की आवश्यकता को न्यून नहीं करना चाहता कि अनिवार्य शिक्षा का स्थान गौण और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के प्रसार पर ज्यादा जोर न दिया जाय, परन्तु इसके साथ साथ मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जो तकनिकी शिक्षा की आवश्यकता है वह आज अधिक जरूरी समझी जानी चाहिये।

आज हम यह चाहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में बढ़ते हुए रोजगार लोगों को मिले और लोग इंजीनियरिंग आदि पास करके केवल सर्विसेज की तरफ बाध्य न हों और इलक्ट्रीकल, मेकेनिकल इंजीनियरिंग आदि, आदि छोटे-छोटे धन्धों से वे

(राव श्री नारायणसिंह)

स्वयं अपने हौसले के धंधे में लग सकें। इससे सरकारी स्तर पर उनको रोजगार देने का भार हलका होता है और हमारी एम्पलॉयमेंट पोटेन्सियेलिटी बढ़ती है। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि हम केवल उच्चतर माध्यमिक शालाएं खोलते जावें। एक एक मांग के साथ। यह एक गलत कदम भी आगे चल कर माना जा सकता है। माध्यमिक शालाएं खोली जाती हैं, वे कुछ सिद्धांतों को लेकर खोली जाती हैं। लेकिन अगर वे ज्यादा से ज्यादा तादाद में खोली जायेंगी तो विभाग स्वयं इस बात को मानता है कि उनका चालू खर्चा ही बेतोल बढ़ता जावेगा। चाहे हम उनके लिये शर्तें भी रख दें और आज जो वह शर्त रखी जाती है वह गांव के लिये १५ हजार रु० प्राप्त करने की या कुछ कमरे बनादेने की होती है तो चालू खर्चा जो बढ़ेगा और इससे जो हमारे फाइनेन्स पर भार बढ़ेगा उस भार के अनुपात में एक एक उच्चतर माध्यमिक शाला में शिक्षा में क्या असल फायदा होगा या जो स्कूलों की संख्या होगी फिर वह भी पर्याप्त होगी या नहीं, यह समस्या हमें घूरने लगेगी, हो सकेगी। तो इस विषय में हमें यह भी करना चाहिये कि जो उच्चतर और माध्यमिक शिक्षालय खोली जाती हैं वहां कहीं कॉमर्स और कहीं साइन्स पर जोर दिया जावे और कहीं दूसरे विषयों पर भी जो स्थानीय जरूरत को पूरा करते हों, न कि एक ही यूनिफोर्म ढचरा सब जगह के लिये पकड़ लिया जाय।

मैं इस बात की प्रशंसा करूंगा कि तीसरी पन्चवर्षीय योजना में शिक्षा विभाग एक सेन्ट्रल स्कूल सिस्टम को भी चालू करना चाहता है और इससे कई प्रकार के विभिन्न विषय एक ही केन्द्रीय स्थान पर होने की हमें दिलासा मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह छोटी मोटी तकनिकी शिक्षा जो छोटे मोटे कार्यों के लिये जरूरी है, जिससे सेल्फ एम्पलॉयमेंट किसी भी व्यक्ति को मिल सके इसके लिये जूनियर पोलीटेक्निकल इन्स्टीट्यूशन्स पर जोर दिया जावे और विचार किया जावे यह जरूरी है। इस विषय में हम यह सोच सकते हैं कि जिला स्तर पर दो अथवा तीन जूनियर पोलीटेक्निक इन्सटीट्यूशन्स खोलने की तरफ नीति बनादें।

इसके आगे मेरा एक कटौती का प्रस्ताव पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में है। इस विषय में मेरे पूर्व वक्ता ने काफी प्रकाश डाला है और इस संबन्ध में हमारे जन लेखा समिति के २१ वें प्रतिवेदन में जो मौजूद है, मैं सबको दोहराना नहीं चाहता। परन्तु उससे यह स्पष्ट मालूम पड़ता है कि पाठ्य पुस्तकों में कहीं भाषा में त्रुटियें रह जाती हैं, तो कहीं कुछ बातें तथ्यविहीन होती हैं। जैसे कहीं पंचायतों की बात बताते और यह कहा गया है सब पंच मिल कर एक सरपंच बना लेते हैं, यह कितनी तथ्य से हट कर बात है। इस प्रकार की चीजों की तरफ से हम आंख मूंद लें तो हम स्वयं इस बात का विचार कर सकते हैं कि हमारे शिक्षा के स्टेन्टर्ड में किस हद तक गिरावट और आवेगी और शिक्षा का स्तर कितना और नीचा गिरने-वाला है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस विषय में मैं यह तो नहीं कहना

Page No.93

(राव श्री नारायणसिंह)

चाहता कि जिस प्रकार से मेरे पूर्व वक्ता महोदय ने कहा कि पुस्तकों का नेशनेलाइजेशन न हो । उन्होंने नेशनेलाइजेशन के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं यह नहीं चाहता कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण न हो। पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण हो लेकिन इसके साथ साथ यह आवश्यक है कि हमारा पाठ्यक्रम बने जिससे विद्यार्थियों में चरित्र–निर्माण, अनुशासन शीलता, राष्ट्रीयता की भावना और सामान्य ज्ञान जो विद्यार्थियों में होना चाहिये उस ओर ध्यान देने वाला बनाया जाना चाहिये । इस विषय में यू. एन. ओ. की शिक्षा के बारे में एक (यूनेस्को) UNESCO कमेटी है उसने जोग्राफी और हिस्ट्री किस प्रकार से पढ़ाई जावे; और दूसरे विषय किस प्रकार से पढ़ाये जावें; इस संबंध में महत्वपूर्ण पैम्फलेट निकाले हैं। वे नमूने की Text book भी प्रस्तुत करती हैं। मैं समझता हूं कि हमारा शिक्षा विभाग इससे पूर्णतया परिचित है। पाठ्य पुस्तकें इस बात का समूचा ज्ञान कराने में सहज सक्षम होनी चाहिये कि वे विद्यार्थी को बता सकें आज के समय की क्या मांग है और राष्ट्र किस ओर जाना चाहता है। कौनसी योजना बद्ध नीति से हमें चलना चाहिये । आज के नौजवानों में राष्ट्रीय भावना के साथ अन्तर्राष्ट्रीय भाव का किस तरह समावेश करें और विज्ञान के साथ मानवता क्या है और उसे कैसे जोड़ें; इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनावें तो मैं समझता हूं कि नेशनेलाइजेशन ऑफ टैक्स्ट बुक्स सही तरीके से शिक्षा पूर्ति करेगा। इसमें भाषा के साथ साथ पाठ्यपुस्तकों का होना और उसके साथ साथ उनका समय पर उपलब्ध होने की बात बहुत ही मुद्दे की है। हमारे २१ वें प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है....

श्री सभापति : आप काफी समय ले रहे हैं।

राव श्री नारायणसिंह : मैं पांच मिनट और लूंगा।

एक पाठ्यपुस्तक को प्रस्तुत की गई, जिसका नाम दीपक रीडर है। उसकी मांग इतनी कम हुई कि वह पड़ी की पड़ी रह गई। इनका २,१ ७६ का स्टोक यों पड़ा रह गया। मैं समझता हूं कि यह वितरण व्यवस्था का ही दोष है किस प्रकार की पाठ्यपुस्तकों को हमें रखना चाहिये और क्या व्यवस्था हो, उसके बारे में समय की तंगी के कारण अधिक न कह कर चौथा मेरा कटौती का प्रस्ताव है उसके बारे में कहूंगा।

टॉडगढ़ जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूल में विज्ञान का सारा सामान पड़ा हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां कम से कम ५ या ६ वर्षों से; बल्कि अजमेर राज्य के समय से ही वहां पर एपेरेटस आदि पड़े हुए हैं और वे पड़े पड़े बरबाद हो रहे हैं। अगर बरबाद नहीं होते तो किसी काम में न आने का तो हमारे ऊपर उपालम्भ आता ही है। मैं समझता हूँ कि इतने अर्से से जब सारे एपेरेटस मौजूद हैं तो क्यों न हमें वहां पर साइन्स की कक्षा खोलनी चाहिये और टीचर्स की व्यवस्था करनी चाहिये ? यों भी टॉडगढ हायर सेकिन्डरी स्कूल जो जूनियर हायर सेकिन्डरीस्कूल जो जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूल के नाम से सम्बोधित की जाती है उस क्षेत्र के दूसरे हायर सेकिन्डरी

(राव श्री नारायणसिंह)

स्कूल्स हैं। उनसे काफी पुरानी है, वहां की जनता की मांग को देखते हुए, उस इन्स्टीट्यू-शन के इतने पुरानेपन को देखते हुए वहां विज्ञान की कक्षा खोल दी जाय तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है।

इसके अलावा माननीय सभापति महोदय मैं आपके मार्फत एक और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं--मध्य सत्र में तबादले होते हैं। यों एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से भी तीन साल से पहले वह अनुचित समझा जाना चाहिये। तब्दील होकर एक व्यक्ति एक स्थान पर जाता है। वहां पर जान पहिचान करके जम पाता है तब तक कम से कम छः महीने का अर्सा हो ही जाता है। आज एक अफसर को ६ महीने के लिये भेज कर ६ महीने में तब्दील कर दें, विकास अधिकारी का दो महीने में तबादला कर दें तो यह सर्वथा वस्तुस्थिति की अनभिज्ञता का ही प्रदर्शन है, अनुचित हैं और इससे भी अनुचित बात यह है कि कोई साइन्स का टीचर, और विषय का टीचर हो और उसको किसी छोटे मोटे कारण से या बिना ही किसी कारण के मध्य सत्र में बदल कर कहीं भेज दें, इसमें उसकी खुद की दिक्कत तो है ही पर जिस विधि से पाठ्यक्रम जमता है, वह लड़कों को तैयार करता है उसमें भी दिक्कत पैदा हो जाती है, होती है। इसके अलावा उसके स्थान पर जो दूसरा टीचर आयेगा वह किस प्रकार पहले वाले ढंग से हुई पढ़ाई को सुचारु क्रम बद्ध सकेगा? पहले टीचर के जाने के और दूसरे टीचर के आने के बीच में जो गैप रहता है, जो समय जाता है उससे कितना नुकसान होता है, यह विचारने की बात है। इन सब बातों को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि मध्यसत्र तबादले सर्वथा अनुचित हैं।

इसके अलावा एक मोशन मसूदा को कन्या प्राथमिक शाला को अपग्रेड करने के बारे में रह जाता है। वहां काफी लड़कियां, जरूरत के माफिक जितनी अपग्रेडिंग के लिये होनी चाहिये उतनी संख्या में उत्साहित होकर पढ़ रही हैं। यह यहां कहने की आवश्यकता नहीं कि स्त्री शिक्षा पर हम ज्यादा जोर देना चाहते हैं। वहां की पुरानी मांग को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा कि कन्या माध्यमिक शाला बनते बनते गत वर्ष केवल इसलिये रह गई कि किशनगढ़ में आवश्यकता थी। अब इस आवश्यकता को पूरा किया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में, यदि हम अनिवार्य शिक्षा प्रसारित करना चाहते हैं तो यह भी आवश्यक है कि बेसिक स्कूलों में और प्राइमरी स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें मुफ्त मिलें और मिड-डे मील की भी व्यवस्था की जाय।

इन सब बातों पर आपकी मार्फत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री सभापति : क्योंकि समय थोड़ा है इसलिये मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि कम से कम समय में अपना भाषण समाप्त करें।

कुमारी उमा माथुर !

कुमारी उमा माथुर (रामगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मेरा शिक्षा पर कटौती प्रस्ताव है; अलवर के राज ऋषि कॉलेज में

(कुमारी उमा माथुर)

एम.ए. तथा एल. एल. बी. की क्लासेज़ खोलने के विषय में। जैसा कि सदन में देखते हैं राजस्थान में दो नई युनिवर्सिटियां खोलने की बात चल रही है और शिक्षा के लिये सरकार निरन्तर राजस्थान में प्रयत्नशील है ? पर मैं नहीं समझती कि किस कारण से अलवर का राजऋषि कॉलेज इससे वंचित है ? यह कॉलेज १९३० में इन्टरमीजियेट कॉलेज के रूप में प्रारम्भ हुआ, १९४५ में यह डिग्री कॉलेज बन गया। इसके बाद १९४७ में वहां एम.ए. और एल. एल., बी. की क्लासेज़ खोली गई पर पता नहीं किस पॉलिसी के अनुसार एक साल बाद एम.ए. की क्लासेज़ बन्द कर दी गई और दो साल बाद एल. एल., बी. की क्लासेज़ भी बन्द कर दी गई और एम.ए. के जो स्टुडेन्ट्स वहां मौजूद थे उनको स्कॉलरशिप देकर बाहर भेजा गया। इसके बाद से राजस्थान सरकार से निरन्तर इस बात के लिये निवेदन किया जा रहा है कि ये क्लासेज़ वहां फिर दुबारा चालू कर दी जायं पर आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

यह राजऋषि कॉलेज राजस्थान के सबसे बड़े कॉलेजेज़ में से है और जो कन्डिशन्स एम-ए. और एल. एल., बी. की क्लासेज़ खोलने के लिये आवश्यक हैं वे सब वहां पर मौजूद हैं, लाइब्रेरी, स्टाफ और बिल्डिंग सभी, चूंकि वहां पहले ये क्लासेज़ खोली जा चुकी थी, इस काम के लिये मौजूद हैं। इसलिये इस कटौती प्रस्ताव के जरिये मैंने यह मांग की है कि वहां पर एम. ए. और एल.एल., बी. की क्लासेज़ फिर से खोल दी जाय। जैसी कि हमारी पॉलिसी है, हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को उन्नति का समान अवसर प्राप्त हो। एम.ए. और एल-एल., बी. की क्लासेज़ के अभाव में सबसे बड़ा कष्ट उन गरीब लड़कियों को है जो प्रतिभा होते हुए भी धनाभाव के कारण बाहर जा कर नहीं पढ़ सकतीं और इस कारण से उनको उच्च शिक्षा से वंचित रह जाना पड़ता है।

अलवर जिले में अभी ३६ हायर सेकिन्डरी स्कूल्स हैं। इसके अलावा बसवा और बांदीकुई के छात्र भी इस कॉलेज में आकर एडमिशन लेते हैं। दूसरी कठिनाई जो इसकी है वह यह है कि इसका नारी शिक्षा पर असर पड़ता है। जो मां-बाप हिम्मत करके अपनी लड़कियों को पढ़ाने का साहस करते हैं उनको धनाभाव के कारण बाहर भेज कर उच्च शिक्षा दिलाने में असमर्थ हैं। इस विषय पर अलवर से आनेवाले माननीय सदस्य श्री रामानन्द अग्रवाल इस सदन में इस बारे में काफी प्रकाश डाल चुके हैं इसलिये इस सम्बन्ध में विशेष कहना नहीं चाहती।

मेरा सरकार से पुनः निवेदन है कि इस पर ध्यान दिया जाय और अलवर के राजऋषि कॉलेज में एम.ए. और एल. एल., बी. की क्लासेज़ जल्दी से जल्दी खोली जायं।

श्री सभापति : श्री गोकुलप्रसाद शर्मा।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सभापति महोदय, शिक्षा पर पूरे बजट में जो राशि रखी हुई है वह देखने में काफी अच्छी है, लगभग १४ करोड़ रुपया, पर जहां प्राइमरी स्कूलों में पंचायत समितियों के द्वारा राशि रखी गई है वह है ढाई करोड़ रुपया। पंचायत समितियों के इलाके में जितने आदमी रहते हैं उस हिसाब से इन आंकड़ों को जांचा

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

जाय तो पता चलेगा कि दिखाने के लिये बजट दूसरा है और काम करने के लिये दूसरा है। शहरों में जो ४२२ मील के एरिया में १४५ कस्बे हैं उनमें १० करोड़ शिक्षा का बजट रखा है और १,३१,७२५ मील के एरिया में ३,७०० गांव बसे हुए हैं उनमें पौने दो करोड़ लोग रहते हैं, उनके लिये ढाई करोड़ रुपया रखा गया है। यदि इसका एवरेज निकाला जाय तो गांवों में डेढ़ रुपया एक आदमी पर शिक्षा पर पड़ता है और शहरों में ३० रुपया एक आदमी की शिक्षा पर पड़ता है।

जहां विश्व विद्यालय की बहस के बारे में मंत्री महोदय ने कहा था कि हायर सेकिन्डरी और मिडिल स्कूल खोलने का सरकार अलग क्राइटेरिया चला रही है, २० माइल के एरिया में पहले हायर सेकिन्डरी स्कूल है तो वहां हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं खोलते हैं, पर शहरों में ६ माइल के एरिया में ५ हाई स्कूलें हैं और गांवों में ६०० स्क्वायर माइल के एरिया में एक है।

मिडिल स्कूलों को ले लीजिये। शहरों ३ माइल में ५ मिडिल स्कूल्स हैं और गांवों में २०० स्क्वायर माइल के एरिया में १ मिडिल स्कूल है। हायर सेकिन्डरी स्कूल शहरों में १० हजार की आबादी पर एक है और गांवों में ७० हजार की आबादी पर एक है। गांवों में २५ हजार की आबादी पर एक मिडिल स्कूल है वहाँ शहरों में ४,००० की आबादी पर एक है। अगर वे अधिकारी ऐसा बजट न बनायें, अगर बे देहात के रहने वाले होते तो उनको पता लगता कि गांव के लोगों का स्तर ऊंचा उठाना है। योजना में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की बात करते हैं, देश को ऊंचा उठाने की बात करते हैं तो शहरों और गांवों में इस प्रकार से असमानता रही तो यह प्रजातन्त्र का ढांचा नहीं चलनेवाला है। इसको बदलना है तो बदलिये, नहीं तो एक दिन यहां न आप रहेंगे और न हम।

आपने कर यह रखा है कि शिक्षा में, पढाई के मामले में जितना खर्चा किया जाता है उसमें पूरी असमानता है। प्राइमरी स्कूलों की ही बात लें। शहरों के प्राइमरी स्कूलों में जितने बच्चे पढते हैं, मैं यह नहीं कहता कि बच्चों को पढाई के लिए सहायता न दी जाय, वे भी तो हमारे ही बच्चे हैं, तीन मील के एरिये में १५ स्कूलें हैं तो भी बसेज का इन्तजाम, अच्छी सुविधायें पढाई-लिखाई की उनको देते हैं जैसे विलायत में हों, खाने पीने का इन्तजाम और दूध का इन्तजाम। चार लाख रुपया बच्चों को दूध देने के लिए रखा है। एक भाई ने ऐसा कहा था। परन्तु यह शहरों के बच्चों के लिए है। गांव वाले बच्चों के लिए दूध नहीं है। पंचायत समिति के मास्टरों को आप तनख्वाह नहीं देते हैं। आपने पंचायत समितियों को तो सुपुर्द कर दिया लेकिन मास्टरों को पूरा वेतन चुकाने तक का पैसा आपने पंचायत समितियों को नहीं दिया। वे आज मास्टरों का वेतन नहीं चुका सकती। शहरों में ३२ लाख कुल आदमी रहते हैं। १७ लाख रुपया आपने पुस्तकालयों के लिए अलॉट किया है। पंचायत समितियों में पौने दो करोड़ आदमी रहते हैं और पुस्तकालयों के लिए आपने ८ हजार रुपया रखा है। कहां ८ हजार रुपया १॥ करोड़ आदमियों के लिए और ३२ लाख के लिए १७ लाख रुपया!

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

जैसे कोई गांवों में वनमानुष रहते हैं। एक भाई बोले कि गांवों में तो ऐसे लोगों को भेज देते हैं जो शिक्षित हैं, वहां रह नहीं सकते। तो पढे लिखों को वहां मत भेजिये सारे शहरों में ही काम लगा दीजिये। पूरे बजट का १२०) रु० प्रति व्यक्ति शहर वालों के लिए खर्च होगा और पांच रुपया और कुछ आने गांव वालों के लिए खर्च होंगे। यह जो असमानता है वह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, इसमें विचार किया जाना चाहिये। १५ वर्ष हो गये प्रजातन्त्र में राज्य करते हुए आपको। १५ वर्ष में चाहते तो अनिवार्य शिक्षा कर सकते थे। गांवों के लोग आप से नाश्ता नहीं मांगते, दूध नहीं मांगते, कुछ अन्य चीजें नहीं मांगते। शहरों में तीन मील के अन्दर १५ स्कूल्स हैं तो बस चाहिये। १२ मील के एरिया में गांवों में एक प्राइमरी स्कूल है तो वहां बस नहीं चाहिये। २०० स्क्वायर मील में मिडिल स्कूल हैं गांवों में पांचवीं पास करके और छठी क्लास का बच्चा उनमें कैसे पढ़ सकेगा उतनी दूर जाकर ? उसके लिये जाने आने के साधन का कोई इन्तजाम नहीं। मिनिस्टर साहब ने नहीं देखा है, इस बजट को। विद्याव्यसनी बनाया ऐसे लोगों ने....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : पांच मिनट लूंगा। हमारा टाइम इनको दे दीजिये।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : हम जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ कर अफसर होंगे और हम गांव वालों को चपरासी बनाना चाहते हैं। गांव का बालक मिडिल पास आयगा तो यहां चपरासी होगा। तो गांव वालों को चपरासी रखना चाहते हैं ? गांवों की हायर सेकिन्डरी में साइन्स का नाम नहीं, खोलना चाहते नहीं। आप चाहते हैं कि गांव के लड़के एल० डी० सी० रहें, उन्हें बाबू बनाना चाहते हैं। इन्जीनियर बनाना है तो शहरों के लड़कों को बनायेंगे। इन्जीनियरिंग कॉलेज में जाकर देख लीजिये कि देहात का कोई बच्चा है वहां ? कोई है वहां का ? किस तरह का राज्य आप करना चाहते हैं ? अभी अगर इस तरह की असमानता रही तो आगे सौ गुना बढ जायगी। बड़ा मुश्किल होगा। वाचनालय और पुस्तकालय को ही ले लीजिये शहरों में पुस्तकालयों पर एक व्यक्ति पर आप ४०नये पैसे खर्च करते हैं और गांवोंमें २१ व्यक्ति पर एक नया पैसा खर्च करते हैं। एक नया पैसा खर्च करेंगे साल भर में और कहते हैं कि लायब्रेरी खुलवा दी।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

दो मिनट में खत्म कर दूंगा। साथियों का ही समय ले रहा हूँ।

श्री श्योपतसिंह : हमारा अपना समय आपको दे दें।

श्री सभापति : आप अपना समय ले चुके हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : पंचायत समितियों के मास्टरों का क्या हुआ ? दुर्भाग्य है उनका कि वे गांव वालों के साथ आ गये। शिक्षा विभाग में जो लोग रह गये हैं और उनसे बाद में आयें हैं उनको ग्रेड मिला है, लेकिन पंचायत समितियों के मास्टरों को नहीं। पंचायत समितियों में ग्रेड का प्रावधान नहीं है। पैसा नहीं कि वहां की ग्रेड दे दी जाय।

Page No.98

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

चिकित्सा के लिए रुपया आपके मास्टरों को मिल जाता है लेकिन पंचायत समितियों के मास्टरों को नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास आपने प्रावधान नहीं रखा, पैसा नहीं है। आप दवा उनको देंगे नहीं। पंचायत समिति के मास्टर के लिए न रहने के लिए मकान है। इम्तिहान देने के लिए पंचायत समितियों के जो मास्टर लोग गये तो उनसे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फीस ली है। यह हाल किया है आपने उनके साथ। उनके साथ ऐसा हाल मत कीजिये। आप ही की सर्विस से वे आये हैं आपकी सर्विस में हैं। हम तो उनको समझाते हैं कि हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार है तो आपके साथ भी होगा। शिक्षा के किसी दूसरे हैड से थोड़ा सा पैसा काट कर गांव वालों को दे देंगे वहां की शिक्षा चिकित्सा के लिए तो अनिवार्य शिक्षा हो जायगी और शहरों से पढ़-लिख कर लोग गांवों में जावेंगे। नहीं तो शहरों की आबादी बढ़ती जावेगी और गांव वाले पिछड़े रह जावेंगे।

श्री सभापति : श्रीमती सुमित्रा देवी।

श्रीमती सुमित्रा देवी (झुंझुनूं) : सभापति महोदय, मेरे तीन कटौती प्रस्ताव हैं। सदन में कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए जहां किसी स्कूल की मांग की है और न खोलने पर शिकायत की है वहां मैं इसके विपरीत कहना चाहती हूं। वह यह है कि सरकार की योजनाओं के अनुसार प्राइमरी स्कूल, मिडल स्कूल और हायर सेकिन्डरी स्कूल खुलने चाहिये। मैं यह बात इसलिए कहती हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुल ५० मिडिल स्कूल हायर सेकिन्डरी स्कूल्स बनने चाहिये थे लेकिन उसके विपरीत १९३ मिडिल स्कूल्स को हायर सेकिन्डरी स्कूल्स बनाया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ५ हजार प्राइमरी स्कूल नये खुलने चाहिये थे लेकिन उसकी जगह पर सरकार ने सिर्फ ३,७०० स्कूल खोले। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर २५० प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूलों में अपग्रेड करने के स्थान पर सरकार ने ६०६ प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल बनाया। इसका नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि जहां पर प्राइमरी एजुकेशन पर सरकार को तवज्जोह देनी चाहिये और इस ओर सरकार का अधिक ध्यान होना चाहिये था वहां पर सरकार ने प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान न रख कर माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर ध्यान दिया। नतीजा यह निकला कि जहां पर ५० मिडिल स्कूलों को हायर सेकिन्डरी बनाना चाहिये था, माफ कीजियेगा मुझे, सदन के कोई माननीय सदस्य मेरी मंशा को गलत न समझें, मैं चाहती हूं कि हमारे प्रान्त में शिक्षा का प्रसार और प्रचार हो, परन्तु इसके साथ साथ एक निवेदन करना चाहती हूँ कि राजनैतिक दबाव के कारण जहां पर स्कूलों की संख्या बढ़ा दी जाती है वहां पर शिक्षा का स्तर गिर जाता है। कहीं कहीं स्कूलों में अध्यापक नहीं। जब राजनैतिक दबाव के कारण स्कूलें खोली जाती हैं तो या तो अध्यापक पूरे नहीं होते हैं, अध्यापक मिल गये तो सारे विषय नहीं पढ़ाये जाते, सारे विषय यदि मिल गये तो कॉमर्स का विंग नहीं है, कॉमर्स का विंग खोलते हैं तो साइन्स नहीं है, साइन्स है तो कॉमर्स नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

है। साइन्स खुल जाता है तो लेबोरेटरी अपर्याप्त होती है। सरकार से निवेदन है कि स्कूलों में जहां भी साइन्स खोले वहां साइन्स की लेबोरेटरी के पूरे इक्विप्मेन्ट्स होने चाहिये, साधन होने चाहिये। सरकार से मेरा यह नम्र निवेदन है कि सरकार इस तरह से स्कूलों की संख्या बढ़ा बढ़ा कर प्रान्त में बेरोजगारी क्यों फैलाती है ? माननीय सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूँ कि जहां स्कूलों की संख्या इतनी बड़ी है वहां सरकार ने बेरोजगारों की पलटन भी खड़ी कर दी है। हम लोगों को काम दे नहीं पाते, रोजगार दे नहीं पाते। बच्चे मिडिल पास कर लेते हैं, मैट्रिक पास कर लेते हैं तो मिनिस्टरों और विधायकों के घरों के दरवाजों पर भटकते फिरते हैं, नौकरी के लिये। उनको नौकरी दिला नहीं पाते और अपनी असमर्थता प्रगट करते हैं तो उसका नतीजा यह निकलता है कि जितने छात्र स्कूलों और कॉलेजों से निकलते हैं उनको सरकार के प्रति असन्तोष हो जाता है और सब सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक दृष्टान्त देना चाहती हूँ कि कितनी बेरोजगारी हमारे यहां पर फैली हुई है। एक लड़के ने जो बी० कॉम० था तीन साल तक जब उसको नौकरी नहीं मिली तथा जब वह ओवर-एज होने लगा तो उसने मुझे एक पत्र लिखा। उसमें यह लिखा कि मैं एक महीने बाद ओवर-एज होने वाला हूँ। मैं बी० कॉम० हूँ; यदि मुझे मैट्रिक का ग्रेड भी दिला दिया जाय तो मैं उसमें काम करने को तैयार हूं। इसके साथ साथ उसने यह भी लिखा कि मुझे महीने भर में नौकरी नहीं मिली तो मैं खुदकशी कर लूंगा। जब उसका यह पत्र मैंने पढ़ा तो मेरे दिल में बहुत व्यथा हुई और बाद में उस लड़के को मैट्रिक ग्रेड में नियुक्त करवाया।

मैं यह बता कर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि योजना के मुताबिक जितना नम्बर स्कूलों का फिक्स किया है उसी क्रम से स्कूलें खोलनी चाहिये और उसी अनुपात में रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिये। जब बजट के अन्दर प्रावधान नहीं कर पाते तो किसी भी प्रकार के राजनैतिक दबाव में आकर हमें स्कूलें नहीं खोलनी चाहिये। हो सकता है उससे एक दफा कोई विधायक या किसी क्षेत्र के लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन दूसरी तरफ जो बेरोजगारी के भंयकर परिणाम होने वाले हैं वे तो सरकार को नहीं भुगतने पड़ेंगे !

तीसरा मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह है सलामपुर मिडिल स्कूल को हायर सेकिन्डरी में परिवर्तित किये जाने हेतु। सभापति महोदय, सन् १९६०–६१ के अन्दर झुंझुनूं जिला परिषद् ने प्राथमिकता दे करके इस मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने की सिफारिश की थी। उसके बाद में सलामपुर में जहां चार हजार की आबादी है और आसपास कोई भी हाई स्कूल या हायर सेकिन्डरी स्कूल नहीं है वहां के एक सेठ ने ४० हजार रुपया इसलिए जमा कराया था कि स्कूल के लिए भवन बना दिया जाय और उसके बाद में हायर सेकिन्डरी स्कूल बना दिया जाय। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार की उन सेठ साहब से क्या नाराजगी है तथा पिछले शिक्षा मंत्री महोदय की

(श्रीमती सुमित्रा देवी)

क्या नाराजगी थी कि रुपये को जमा कराये तीन साल हो गये और दो बार जिला परिषद् ने भी हायर सेकिन्डरी स्कूल के लिये सिफारिश कर दी उसके बावजूद भी उस स्कूल का नम्बर नहीं आता है ? अफसोस के साथ कहना पड़ता है पिछली दफा झुंझुनूं जिले में आठ मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल्स में परिवर्तित किया गया और उस स्कूल का प्राथमिकता के हिसाब से दूसरा नम्बर था। फिर भी हायर सेकिन्डरी के लिये उसका नम्बर नहीं आया। मैं निवेदन करती हूं कि जो भी अड़चनें उन रुपयों के लेने के बाद भवन निर्माण के आदेश देने में आयीं. जो भी अड़चनें मिडिल स्कूल को हायर सेकिन्डरी स्कूल बनाने में आयी उन अड़चनों को दूर करके कम से कम इस वर्ष से उस मिडिल स्कूल को हायर सेकिन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने के आदेश दे दिये जायेंगे, यह मैं आशा करती हूं।

श्री सभापति : श्री सतीशकुमार।

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि हमारी सरकार ने पहले कुछ सालों में शिक्षा के प्रसार की ओर अच्छा कदम उठाया है और काफी खर्चा लगाने की कोशिश की है। यहां से ही नहीं भारत सरकार से भी पैसा लाकर शिक्षा में लगाने का प्रयास किया है जिससे नये हाई स्कूल्स, हायर सेकन्डरी स्कूल्स और मिडिल स्कूल्स खुले हैं। मगर यहां बैठकर हम यह कहते रहें कि बहुत अच्छा कर लिया, कामयाबी हासिल कर ली इससे आगे तरक्की करने वाले नहीं। हमें सदन में जो भी आलोचना सुनने को मिलती है उसमें सदन की भावनाओं का प्रतिबिम्ब है, हमें उसका स्वागत करना चाहिये, हम आपको कमियों को दिखाते हैं वैसी हालत में माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार की सदन की भावना है उसे देखकर उन्हें खुशी होनी चाहिये। यह ठीक है कि हमने किताबों का राष्ट्रीयकरण किया और स्कूलें खोली हैं फिर भी क्या कमियां हैं, क्या परेशानियां हैं, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो शिक्षा को सुलभ और सस्ता बनाया जाना चाहिये। इसके लिए हमें कॉम्पलीसेन्सी के साथ कमियों को भी देखना पड़ेगा। सब से पहले मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ, एक सेइंग है अंग्रेजी में "Dissatisfied teacher will ruin the nation" हम देखते हैं कि आज हमारा शिक्षक वर्ग सन्तुष्ट नहीं है। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूं जहां तक ग्रेड्स का ताल्लुक है उससे शिक्षक वर्ग में बहुत असन्तोष है इस सम्बन्धी डिटेल्स मेरे पास हैं अगर आप लेना चाहें तो मैं लिखित रूप से दे सकता हूं। आपने जो ग्रेड्स बढ़ाये २००से ४०० तक भी हैं उनके मुकाबले टेक्निकल सर्विसेज़ के जैसे नायब-तहसीलदार आदि का ८०० तक का ग्रेड कर दिया और इन शिक्षक वर्ग को पांच-पांच रुपया देकर बहलाने की कोशिश की है उससे शिक्षक वर्ग में बड़ा भारी असन्तोष है। मैं यह नहीं कहता कि जो कुछ प्राइमरी शिक्षक मांग करें उनको पूरा करते जाइये बल्कि मेरा तो यही निवेदन है कि जहां नायब-तहसीलदार, तहसीलदार आदि रेवेन्यू ऑफिसर्स की जिस

Page No.101

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

प्रकार से तनख्वाह बढ़ायी गई है उसी अनुपात में इन लोगों को भी मिलना चाहिये। यह बात सही है कि शिक्षक वर्ग आज गांवों में जाना नहीं चाहता। उसका कारण क्या है कि वे वहां जाना पसन्द नहीं करते ? इसलिये नहीं करते कि उनको वहां ठीक सुविधायें नहीं मिलती। आप उनको सुविधायें दीजिये ताकि वे गांवों में भी शहरी आदमियों की तरह से रह सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अभी समाप्त करता हूं।

सबसे पहले प्राइमरी एजूकेशन की ओर तवज्जोह दिलाऊंगा। सरकार कहती है कि हम प्राइमरी एज्यूकेशन को फ्री करते हैं। जहां जहां भी इस तरह की प्राइमरी संस्थायें चलती हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करूं। नेशनेलाइजेशन हमने बुक्स का किया। किताबें बहुत अच्छी हैं, पहले किताबों में बड़ी गड़बड़ रहती थी। लेकिन नेशनेलाइज़ेशन करने के बाद भी किताबें लड़कों को ठीक समय पर नहीं मिलती। किताबें कम मिलती हैं। ६ आने की किताब के साथ अगर दो रुपये नहीं लगायें तो किताब नहीं मिलेगी। आप चाहें तो मैं उनके नाम बता सकता हूं, इन्स्टान्सेज पेश कर दूं। इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि पंजाब में जिस तरह का प्रबन्ध है कि पब्लिकेशन दूसरों के हाथ में है और डिस्ट्रिब्यूशन दूसरे पब्लिशर्स को दिया है इससे वहां इस प्रकार की मिसालें नहीं हो पाती। प्राइमरी एज्यूकेशन के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एडेड स्कूलें हमने कायम की हैं उनमें होता क्या है जितने पैसे आप देते हैं उससे चौगुनी फीस वहां ली जाती है। इससे हमारे छोटे बच्चे ठीक प्रकार की शिक्षा नहीं पा सकते। आज जहां कहा जाता है कि प्राइमरी क्लासों में फीस नहीं है, यह गलत है। प्राइमरी से लेकर आठवीं तक बाकायदा फीस देनी पड़ती है।

इसके अलावा केरल एजुकेशन एक्ट की ओर आपका ध्यान मैं दिलाऊंगा। केरल के नाम से चौंकने की आवश्यकता नहीं है। उनमें इन बातों की रेमेडी है। ये प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स गैर जिम्मेदार आदमियों से संचालित होते हैं, अक्सर। घर भर के अपने भाई भतीजों को भर लेते हैं, किसी से कुछ भी थोड़ा मनमुटाव हो गया तो बिना उचित कारण के ही सर्विस से टरमिनेट कर देते हैं। चाहे जिस तरह से पॉवर को यूज़ करते हैं। ऐसे ऐसे आदमी टीचर बना दिये जाते हैं जिन्हें कतई पढ़ाने का हौसला नहीं है। इनमें यह सुधार कर सकते हैं कि उन स्कूलों में भी भर्ती पब्लिक सर्विस कमीशन के मार्फत हो। वे जब चाहें जिसको चाहें उसको लें या निकाल नहीं सकते, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस की आप गारन्टी दें तभी इनमें भी शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। ऐसी स्थिति में ही सरकार की एड वास्तव में काम में आ सकेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(दो मिनट में समाप्त कर दूंगा।

इसके बाद, मैं हायर एज्यूकेशन की तरफ आपकी तवज्जोह दिलाना चाहूँगा जिसे और

(श्री सतीशकुमार शर्मा)

भी माननीय सदस्यों ने रखा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

असल में ऐसा होता है कि ठीक तौर से समय को शुरू से हो कन्ट्रोल नहीं किया जाता। शुरू से ही अगर कन्ट्रोल किया जाए तो सबों को ठीक समय मिल सकता है।....

श्री सभापति : आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री सतीशकुमार शर्मा : मैं एक ही मिनट में समाप्त कर दूंगा। जिस वक्त राजस्थान बना, अलवर में एम. ए., एलएल. बी. की क्लासें थीं और इसकी तरफ आपका ध्यान पहले भी दिलाया जा चुका है। आप इस कॉलेज को तरक्की देंगे। शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार किसी भी कॉलेज में एक हजार से ज्यादा विद्यार्थी नहीं होने चाहिये। हमारे यहां १,५०० हैं। इसलिये जरूरी है कि उन पर पूरी तरह तवज्जोह दिये जाने के लिये और कॉलेज खोला जावे। पिछले साल भी स्कीम थी। इसी तरह से पचास, पचास लड़कियां हैं। हमारे यहां आज भी ७३ लड़कियां हैं। और जिस तरह का समाज है, आज लोग पसन्द नहीं करते कि वे कॉलेज में अपनी लड़कियों को भेजें। आप स्टेटिस्टिक्स को देखें कि लड़कियों के लिये अलग से कॉलेज खोलने की गुंजाइश है या नहीं। तो आप महसूस करेंगे कि लड़कियों की कॉलेज में संख्या को देखते हुए दूसरा कॉलेज लड़कियों के लिये खोलना जरूरी है। यू० जी० सी० के सिद्धांत के अनुसार आपको संख्या १,००० से ज्यादा नहीं रखनी चाहिये। तो ये जो बातें हैं ये देखने की बातें हैं। एम० ए० क्लास आपने हटा ली, एलएल० बी० हटाली। आज जो यह सन्तोष राजस्थान होने से लेना चाहते थे कि कुछ पैसा यहां भी आप खर्च करेंगे तो आपने खर्च नहीं किया। आशा है आप इसमें कटौती नहीं करेंगे, केवल उदयपुर की तरफ ही आपकी निगाह नहीं रहेगी और हमारी भी कुछ जायज मांगें आप मानेंगे और लड़कियों की पोस्ट ग्रेजुएट क्लासें चालू करने, होस्टल की फेसीलिटी देने तथा यू. जी. सी. के सिद्धांत के अनुसार १,००० लड़कों से ज्यादा के लिए अलग से प्रबन्ध करने वगैरह की तरफ आप ध्यान देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अब घंटी बार बार बोल रही है, इसलिये समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि 'हां' और 'ना' पक्ष के लोगों की आलोचना का मूल आधार इस मामले में एक ही है और उस आधार को सामने रखते हुए आज तो सभी जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से बोले हैं, पार्टियों की बात भूल गये हैं। महसूस हो रहा है कि राजस्थान की शिक्षा का आज जो स्तर है, शिक्षा विभाग की जो आज हालत हो रही है उस सम्बन्ध में 'ना' पक्ष को ही असन्तोष नहीं है, जितना असन्तोष 'ना' पक्ष को है उतना ही 'हां' पक्ष

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के लोगों में भी है।

जितनी आलोचना हुई, मूल आलोचना का मुद्दा प्राइमरी एजूकेशन को नजरअन्दाज करने के कारण था। इसके कारण को दोहराना नहीं चाहता। पर जो कटौती प्रस्ताव राजस्थान के विश्व विद्यालय के बारे में है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान विश्वविद्यालय की हालत गिर रही है। आज हमारी सरकार राजस्थान में जो यूनिवर्सिटी एज्यूकेशन को बढ़ावा दे रही है और एक की जगह तीन युनिवर्सिटियां खोलने की बात सोच रही है ये सारी की सारी योजनाएं प्राइमरी शिक्षा पर नजरअन्दाज करके चल रही हैं। जितनी युनिवर्सिटियां खुलेंगी उसके कारण प्राइमरी एज्यूकेशन को बहुत ही ज्यादा नजरअन्दाज होना पड़ेगा।

मैं राजस्थान के आंकड़ों की बात नहीं कहता, हिन्दुस्तान में दूसरी योजना के अन्त में ६० प्रतिशत प्राइमरी एजूकेशन हो जानी चाहिये ये टारगेट थे। पर राजस्थान की दूसरी योजना को देखिये; इसमें दूसरी योजना के अन्त में ४२ प्रतिशत प्राइमरी एजूकेशन को अचीव किया है और जो टारगेट दूसरी योजना के अन्त में रखा गया था ६० प्रतिशत का वह हम तीसरी योजना के अन्त में रख रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक योजना थी उसमें हम पीछे रह रहे हैं फिर नयी नयी युनिवर्सिटियां खोल कर प्राइमरी एजूकेशन को और भी पीछे ले जाना चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप इनमें से किसी को भी एम्पल फण्ड्स प्रोवाइड नहीं कर पावें।

आज राजस्थान युनिवर्सिटी को आप देखें। एक तरफ नई युनिवर्सिटियां खोलने की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर जो ऑलरेडी चल रही है युनिवर्सिटी उसका बजट घाटे में चल रहा है। पिछले साल १२ लाख का घाटा था और इस साल २३ लाख का घाटा है। रिज़र्व फण्ड भी वाइप-आउट करने के बाद ४ लाख का घाटा ६२-६३ में स्पष्ट दिखता है। इसके साथ ही इस कारण उन्होंने अपनी कई योजनाओं में कटौतियां की हैं। जो इनकी पहले योजना २ करोड़, २५ लाख की थी और जिसमें १.३० लाख युनिवर्सिटी-ग्रान्ट्स--कमीशन से आने वाला था और ६५ लाख राजस्थान सरकार से आने वाला था उसमें से अब सिर्फ ८० लाख रुपया इस युनिवर्सिटी को मिलनेवाला है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम संख्या नहीं बढ़ावें। हमें संख्या नहीं बढ़ानी है, बल्कि यह भी देखना है कि यह अपना स्टेन्डर्ड अचीव भी करती है या नहीं। जो राजस्थान हिन्दुस्तान में गौरव गिना जाता है और उसकी युनिवर्सिटी के स्टेन्डर्ड को आपको बहुत ऊंचा ले जाना था वहां आज पोलिटिकल बारगेनिंग के लिये जोधपुर के लोगों का भी महत्व रहे या उदयपुर के लोगों का भी महत्व रहे, इस आधार पर जोधपुर और उदयपुर में युनिवर्सिटी खोलना आप चाह रहे हैं। इसके लिये मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि आप युनिवर्सिटी खोलने से जितनी फैकल्टी खोलना चाहते हैं उतना अब भी कॉलेज एजूकेशन में ज्यादा पैसा खर्च करिये और एग्रीकल्चर की फैकल्टी स्थापित कर दीजिये। पर नई

Page No.104

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नई युनिवर्सिटियां खोल कर उस पैसे को-आप करोड़ों रुपया-बिल्डिंगों में या लाइब्रेरी आदि में खर्च मत करिये। हम इस नीति के विरुद्ध हैं। एक जो आपकी युनिवर्सिटी ऑलरेडी है वह तो चलती नहीं ठीक तरह से, उसके लिए भी फण्ड की कमी है, आप के लिये यह निहायत जरूरी है कि उसको फण्ड देकर उसे ठीक बनावें, वहां दूसरी दो युनिवर्सिटीयों में पैसा बहाना चाहते हैं! तो हम इस नीति के विरुद्ध हैं। आप कॉलेजों में ज्यादा पैसा खर्च करिये और फैकल्टियां स्थापित करिये। तो जब तक संख्या बढ़ोतरी को आपकी नीति छूटती नहीं है तब तक हमारी प्राइमरी शिक्षा का हित भी नहीं हो सकता, न इसका विकास हो सकता है और न प्रगति ही। इससे हम गड्डे में गिरनेवाले हैं। युनिवर्सिटी वृद्धि की नीति को आप रोकें और एक कदम ठहर कर पीछे भी देखें कि जो अभी युनिवर्सिटी आपको है उसकी क्या हालत है?

जोधपुर और उदयपुर से आने वाले मिनिस्टरों से मैं कहूंगा कि वे राजस्थान की जयपुर युनिवर्सिटी के प्रति सौतेला व्यवहार न करें। इस युनिवर्सिटी को उचित आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी तब तक इसके इन्जीनियरिंग विभाग हैं, साइन्स के सैक्शन्स हैं वे कमजोर रहेंगे। उनमें किस तरह से पैसा आ सकेगा? इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस युनिवर्सिटी के मसले पर पोलिटिकल ऑरगेन के रूप में, आपके राजनैतिक कमिटमेन्ट की जोधपुर में युनिवर्सिटी बनानी होगी इस नीति को आपको परित्याग करना चाहिये, उदयपुर में कमिटमेन्ट किये हैं तो वहां एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी बनानी होगी, इसे भी आप छोड़ें और रियलिस्टिक तौर से मांग करता हूं कि इस पॉलिसी को आप छोड़ें और वे फण्ड जो आप इन युनिवर्सिटियों में देना चाहते हैं, प्राइमरी एजूकेशन को डेवेलप करने में लगायें। टीचरों की तनख्वाएं बढ़ाएं, बच्चों को पुस्तकें, स्लेटें, लाइब्रेरी और अच्छे मकान दिये जावें इस फण्ड में से। अब भी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जैसे एक 'हां' पक्ष के माननीय सदस्य ने आंकड़े रखे हैं कि हम गांवों में क्या खर्च करते हैं और माध्यमिक स्कूलें जो शहरों में हैं उन पर कितना खर्च करते हैं, कितनी पोपुलेशन पर गांवों में माध्यमिक स्कूलें हैं और कितनी शहरों में है, ये आंकड़े आपकी राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किये हुए हैं; मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वे इन आंकड़ों की तरफ गौर करें और एम्फेसिस रुरल पोपुलेशन पर डालें। आज जितना खर्चा आप शिक्षा पर कर रहे हैं वह व्यक्ति के अनुपात से रूरल पोपुलेशन की तरफ जा सके, ऐसा कुछ करें। आखिर हमारे प्रान्त में हम जो पैसा खर्च करते हैं उसका इनफरेन्स रूरल पोपुलेशन की तरफ जाना चाहिये।

मैं इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट का अध्ययन किया जाये तो बहुत सी बातें देखने को मिलेंगी। मैं अपना दूसरा कटौती प्रस्ताव पेश करता हूँ। हमारी सरकार को हायर सेकिन्डरी स्कूल खोलने की कोई नीति नहीं है। जहां मन में आता है वहीं हायर सेकिन्डरी स्कूल खोल देती है। कोई पॉलिसी नहीं है कि इतनी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

पोपुलेशन पर या इतने एरिया के अन्दर एक हायर सेकेन्डरी स्कूल खुलेगा । मैं सभापति महोदय, भीलवाड़ा का उदाहरण देना चाहता हूँ जहां बीस मील के एरिया के अन्दर सरकार ने बहुत से हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल दिये हैं। इस बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि चुनावों के दिनों में सरकार ने इस एरिया के अन्दर करीब १२ हायर सेकेन्डरी स्कूल बीस मील के एरिया के अन्दर अन्दर खोल दिए। भीलवाड़ा से २ मील दूर ऐतपुर के अन्दर, ८ मील दूर हमीरगढ़ में और ६ मील दूर....

एक माननीय सदस्य : ऐतपुर भीलवाड़ा से ८ मील दूर है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ८ मील दूर होगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है । भीलवाड़ा से ८ मील दूर मांडल में और मांडल से ६ मील दूर रायला में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल दी गई । सरकार ने यह चुनावों के दिनों में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल दीं जब कि बनेड़ा में एक हायर सेकेन्डरी स्कूल की आवश्यकता थी और वहां पर नहीं खोली गई क्योंकि उस समय सरकार जानती थी कि वहां से हमारा केन्डीडेट जीत कर नहीं आ सकता और विरोधीदल का कोई केन्डीडेट आयेगा तो वहां पर क्यों खोली जाये....

एक माननीय सदस्य : वहां भी हाई स्कूल है ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं हायर सेकेन्डरी की बात कर रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : उस समय तक तो कोई जीता ही नहीं था और न चुनावों का समय था ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसी भीलवाड़ा जिले में पुलियां में, आसीन में, बदनोर में हायर सेकेन्डरी स्कूलें सरकार द्वारा खोल दी गई । एक बीस मील के एरिया में १२ हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल दिये । मैं सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि ऐसा और राजस्थान में कौनसा २० मील का एरिया आप बता सकते हैं जहां इतनी हायर सेकेन्डरी स्कूलें खोली गई ? आप एक भी ऐसा उदाहरण नहीं बता सकते । आपने हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने का कोई आधार नहीं बना रखा है, कोई पॉलिसी नहीं मानी हुई है । इसलिये मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलने के लिए एक पॉलिसी निश्चित कर लीजाये कि कम से कम इतने स्क्वायर मील में और इतनी पोपुलेशन के ऊपर एक हायर सेकेन्डरी स्कूल खुलेगा । जहां मन में आया वहीं खोल दी और जहां विरोधी दल के सदस्य हैं वहां नहीं खोली । इस प्रकार की जो सरकार की नीति है मैं उसका सख्त विरोध करता हूं ।

इस के साथ ही इस बजट की ओर देखें कि इसमें कौन कौन सी मदें हैं, तो मालूम होगा कि कई मदें इस प्रकार की रखी गई हैं कि जिनको पढ़ने से और जब उनसे इनफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम को हंसी आती है । एक मद रखी गयी है शैक्षणिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम । इसके अन्तर्गत बजट में इस साल ७ लाख रुपये रखे

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

गये हैं और इसी मद में पिछली बार ७।। लाख रुपये रखे गये। परन्तु बजट को देखने से मालूम होता है कि शैक्षणिक बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है और उससे कदाचित् शिक्षित आदमियों की बेरोज़गारी दूर हुई है। आज मैं आपको आंकड़े बताऊं कि २६ हजार एजूकेटेड अनएम्पलॉयड हैं, २० हजार इन्टरमीडिएट बेरोज़गार हैं और ६ हजार डिग्री होल्डर्स अनएम्पलॉयड हैं। उन लोगों में से कितने लोगों को शैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत हमने शिक्षित लोगों की बेरोज़गारी को दूर किया है ? मैं यह नहीं देख पाया कि ऐसा कौन सा कार्यक्रम बेरोज़गारी को दूर करने के लिए किया जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे तो ६-७ कटमोशन्स हैं।....

श्री सभापति (श्री भीमसेन) : १५ मिनट से अधिक समय नहीं ले सकते।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ३-४ मिनट का समय और चाहता हूँ। इसके बाद में ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और स्पोर्ट्स कौंसिल में जो रुपया खर्च किया जा रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी और स्पोर्ट्स कौंसिल में ४ लाख रुपया खर्च किया जाता है लेकिन इस स्पोर्ट्स कौंसिल को राज्य सरकार अपने विभाग को तरह से ट्रीट करती है। इसलिए मेरी पहली मांग यह है कि इस कौंसिल को एक इन्डीपेन्डेन्ट बोडी बनाया जाये और डिविज़नल हैडक्वार्टर्स पर स्पोर्ट्स कौंसिल स्थापित की जायें और फिर उसके बाद में पंचायत समिति के लेवल पर भी इनको कायम किया जाये। इसका ४ लाख का बजट है उसमें से सिर्फ कोई वाइस प्रेसीडेन्ट बन जाये और उसका बजट यूज़ नहीं करें, तो इसकी व्यवस्था को सुधारना चाहिये। दूसरी मेरी मांग यह है कि बराबर एप्लीकेशन्स इन्वाइट करें....

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में आपका प्रस्ताव तो नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह तो जनरल पॉलिसी जो एज्यूकेशन की है उस पर ७ कटौती के प्रस्ताव हैं आप इसको किसी में भी कवर कर लीजिए। मैंने तो बहुत जनरल प्रस्ताव भी दिये हैं। इसी तरह से मैं साहित्य अकादमी के बारे में कहना चाहता हूँ कि साहित्य अकादमी में जो आपने रुपया खर्च किया है, एक ओर तो आप साहित्य का विकास करना चाहते हैं और उस साहित्य के विकास के लिए अकादमी के ही फण्ड से डाइरेक्टर ऑफ प्राइमरी स्कूल्स एण्ड हायर सेकेन्डरी और डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एजुकेशन को पैसा देना चाहते हैं कि वह साहित्य के विकास के लिए पैसा बांटें। मेरी समझ में नहीं आया कि एक साहित्य अकादमी राजस्थान में है तो आपको उस पर भरोसा क्यों नहीं है कि वह वास्तव में ठीक तरह से साहित्य के पुरष्कार को वितरित करेगी। लेकिन सरकार चूंकि अपने हाथ में अधिकार रखना चाहती है इसलिए उन्होंने अपने तरीके से डाइरेक्टर ऑफ प्राइमरी एण्ड हायर सेकेन्डरी एजुकेशन, डाइरेक्टर ऑफ कॉलेज एजुकेशन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और संस्कृत कॉलेज एजुकेशन को अलग अलग पैसा दिया है। मैं इसका विरोध करता हूँ और मांग करता हूँ कि यह सारी रकम साहित्य अकादमी को ट्रान्सफर कर दी जाये और उसके वितरण के लिए एक कमेटी बनाई जाये। लेकिन आज हम देखते हैं कि साहित्य अकादमी का हाल बहुत खराब है। साहित्यकार एक तरफ मर रहे हैं और उनकी लिस्ट बनाने की फुरसत नहीं है कि कौन से सच्चे साहित्यकार हैं और जो वजीफे दिये जाते हैं वे ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की नौकरी में हैं। कोई डी० पी०-आर० के ऑफिस में हैं, कोई किसी विभाग में हैं। वैसे वजीफा इसलिए रखा जाता है कि जो अच्छे साहित्यकार हैं, जिनके पास किसी तरह के जरिये नहीं हैं उनको किसी प्रकार का लाभ मिल सके। इसलिए यह जो नीति साहित्य अकादमी के बारे में चल रही है वह बिल्कुल गलत नीति है और इस अकादमी के जो प्रेसीडेन्ट हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके लिए किसी भी आदमी को रखा जाये पर उस आदमी को रखा जाना चाहिए जिसके चरित्र के बारे में सन्देह न हो। ऐसे अध्यक्ष जिनके खिलाफ डाइरेक्टर ऑफ एजुकेशन जाकर जांच करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं और जो कर्नल जेम्स टॉड जैसे व्यक्ति के मकान को भी अपनी सम्पत्ति बना कर खा जाते हों। अगर इस प्रकार के अध्यक्ष नहीं रखेंगे तो अच्छा होगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

सभापति महोदय, ३–४ मिनट का समय बढा दें तो अच्छा होगा।....

श्री सभापति : अगर सदन चाहे तो समय बढाया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य : ५ मिनट बढा दीजिए।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह मैंने निवेदन किया कि इस तरह के लोगों को जिनके कन्डक्ट के बारे में शंका हो और बहुत चर्चायें हों इस तरह के लोगों को अध्यक्ष बना कर न रखें तो अच्छा होगा।

इसके साथ ही साथ जहां तक टैक्स्ट बुक्स का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी जनसंघ के माननीय सदस्य ने उस नीति का विरोध किया, लेकिन मैं उसका समर्थन करना चाहता हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ हम यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट बुक्स का जो बोर्ड बना हुआ है उसको यह छूट नहीं दे सकते कि वे किताबें अगस्त और सितम्बर के महीने तक भी नहीं मिले और फिर इसकी कोई सेल पॉलिसी भी नहीं है। आप पहले १५ परसेंट का कमीशन देते हैं और फिर उसके बाद में गांव के बुकसेलर्स को ६ परसेंट कमीशन देते हैं। यह नीति गलत। मैं इस बात की मांग करता हूं क्योंकि यह राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के वितरण का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मेरा सुझाव है कि सरकार को डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर डिपो बनाने चाहिए और स्कूलों का किताबों की दूकानों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए कि हैडमास्टर ही उन किताबों का हिसाब रखें और पैसा इकट्ठा करें।

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिए इस राष्ट्रीयकरण के मसले पर मई के महीने में किताबें छपनी चाहिए और मई के बाद में जून-जुलाई के महीने में स्कूल में बच्चों को मिल जानी चाहिए। इस नीति का तो मैं समर्थन करना चाहता हूँ और यह मांग करता हूँ कि जो सरकार की इस मामले में ढिलाई है वह बरदाश्त करने के काबिल नहीं है। इसलिए इन सुझावों के साथ कि नयी नयी युनिवर्सिटीज को खोलने की नीति को छोडें और उसका पैसा प्राइमरी एजुकेशन की तरफ डाइवर्ट करें, युनिवर्सिटीज की ग्रेड्स रिवाइज करें। इन सुझावों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा नीति में बहुत कुछ मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

(५.० म. प.)

श्री सभापति : क्या सदन की सम्मति है कि समय बढाया जाय ?

श्री मानसिंह महार (आमेर) : जरूर बढाया जाय। अभी तो बोलनेवाले बाकी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : २५–३० मिनट बढाया जाय तो ठीक है, वर्ना ५ मिनट बढाने से क्या तात्पर्य है ?

श्री सभापति : श्री जयनारायण।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग की मांग पर मेरा कटौती प्रस्ताव है। मैं समझ रहा था कि शिक्षा विभाग जैसे महकमे में योग्य और शिक्षा-शास्त्री और महान् शिक्षाकार मौजूद होंगे और उसमें शिक्षा की नीतियां सही दृष्टि-कोण से सोची जाती होंगी। लेकिन जब हम उनके कामों की तरफ ध्यान देते हैं तो बिल्कुल उससे उल्टा महसूस होता है कि यह विभाग विभाग नहीं है, एक प्रकार की धांधली है। जिसके जो जंच जाता है वही काम हो जाता है, वही कानून का रूप ले लेता है।

मेरा खास कटौती का प्रस्ताव पंचायत समितियों में जो अध्यापक गये हैं उनकी पूर्ण परिस्थितियों पर विचार करने व जनरल अध्यापकों के सम्बन्ध में बहस करने के लिए है। पंचायत समितियों में जो अध्यापक गये हैं वे पहले शिक्षा विभाग में थे और उनकी सेवाएं शिक्षा विभाग में १५–१५, २०–२० वर्षों से थीं। उनको बिना उनकी मर्जी के पंचा-यत समितियों को दे दिया गया और उसका मतलब यह हुआ कि उनके विकास पर, उनके चान्सेज पर हमने एक दीवार खड़ी कर दी उनके सामने ताकि उनका अब आगे विकास नहीं हो सके। उनके विकास में क्या क्या असुविधाएं हैं, उनके सम्बन्ध में मैं कहूं कि पंचायत समितियों में जो अध्यापकगण हमने परिवर्तित किये हैं उनमें ट्रेण्ड मैट्रिक, ट्रेण्ड इन्टर और ट्रेण्ड बी० ए० हैं। लेकिन जब से वे पंचायत समितियों में गये हैं उनकी कोई सीनियोरिटी नहीं रही है। पंचायत समितियों में इतने सीनियर अध्यापक होते हुए भी जो शिक्षा विभाग के जूनियर अध्यापक हैं उनको अभी ट्रेण्ड मैट्रिक और ट्रेण्ड इन्टर ग्रेड दे दिया गया है लेकिन बेचारे पंचायत समितियों के अध्यापक उस ग्रेड से वंचित रह गये। इसका कोई कारण समझ में नहीं

(श्री जयनारायण सालोदिया)

आता कि शिक्षा विभाग की यह दोहरी नीति क्यों है। इस भेद-भाव पूर्ण नीति का क्या कारण हो सकता है ? पंचायत समितियों के अध्यापकों को न हैल्थ के लिये यानि उनके इलाज के लिए कोई वजीफा मिलता है और न अन्य सुविधाएं ही मिलती हैं, जो कि शिक्षा विभाग के अध्यापकों को मिलती हैं। उनके ऊपर उल्टी ज्यादा पाबन्दियां हैं। उनसे ड्यूटी ज्यादा ली जाती है। उनके ऊपर पाबन्दी है कि दैनिक रूप से रोज पाठशाला जायें और दैनिक रूप से गांव के नवयुवक मंडलों में मदद करें और समय-समय पर जन-गणना और पशु-गणना जैसे कार्य भी उन्हीं अध्यापकों से लिये जाते हैं। एक तरफ तो इन अध्यापकों से इतना काम लिया जाता है और दूसरी तरफ उनकी ओर सरकार कोई ध्यान नहीं रखती है; दृष्टि ही नहीं रखती बल्कि सौतेली नजर रखती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जितने भी पंचायत समितियों के स्कूल हैं या प्राथमिक शालाएं हैं उनको सरकार की तरफ से जो सामान दिया जाता है वह इतना रद्दी भेजा जाता है और इसलिये भेजा जाता है कि जितना रद्दी सामान होता है उसकी कीमत तो वही होती है लेकिन सरकार के जो लोग उनकी खरीद करते हैं उनको उसमें कमीशन ज्यादा मिलता है। इसलिए जो भी सामान पंचायत समितियों के स्कूलों को भेजते हैं....

श्री सभापति : काफी समय ले लिया है आपने।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री जयनारायण सालोदिया : वह नीचे के स्तर का सामान होता है, बिल्कुल रद्दी होता है, वह काम लेने योग्य नहीं होता है और स्कूलों के जो मास्टर साहबान हैं उसी पर्पज़ के लिए स्कूल फण्ड से दूसरा सामान खरीदते हैं और वह सामान जो सरकार से मिलता है वह बतौर नुमाइश के रखा रहता है और वह काम आने योग्य नहीं है।....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : काफी समय ले चुके हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब मैं शिक्षा विभाग की सीनियोरिटी की तरफ थोड़ी प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा विभाग में सीनियोरिटी और जूनियोरिटी का कोई खयाल न रख कर जिस पर लोग खुश हो जाते हैं या जो मर्जी-पात्र होते हैं उनको चान्स दे दिया जाता है

(५. १० म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, सभापति, पदासीन)

उदाहरण के तौर पर एक मास्टर का नाम बताऊंगा कि निवाई के हैडमास्टर हैं श्री नाथूलाल। वे ट्रिबल विषय में एम० ए० हैं। राजस्थान में कोई इस तरह का मास्टर नहीं होगा जो ट्रिबल एम० ए० हो। वे ट्रेण्ड हैं और करीब १२ साल से हाई स्कूल और मल्टी-पर्पज़ हाई स्कूलों की हैडमास्टरी करते आ रहे हैं। उनको इन्सपेक्टरी का चान्स नहीं मिलता है। जो जूनियर उदयपुर के मास्टर हैं, कई ऐसे हैं, अगर सदन चाहे तो लिस्ट पेश कर सकता हूं, उनको इन्सपे-

(श्री जयनारायण सालोदिया)

क्टरी का चांस मिल गया है। चांस तो चांस-शिक्षा विभाग में इस तरह का भी है कि एम० ए०, बी० टी० को निरीक्षक का चान्स नहीं देकर बी० ए०, बी० टी० को निरीक्षक बनाया गया है। राजस्थान के शिक्षा विभाग में इस तरह की धांधली है। इस शिक्षा विभाग के असमानता के व्यवहार के कारण धीरे धीरे हजारों मास्टरों में जो कि गांवों में लगे हुए हैं और जो देश में शिक्षा की नींव डाल रहे हैं उनमें असंतोष बढ़ता जा रहा रहा है शिक्षा विभाग के प्रति और गवर्नमेंट के प्रति। इस तरह की नीति को सरकार को बदलना चाहिए। इस तरह की नीति पर सरकार को निगाह रखनी चाहिए जो कि सरकार की जड़ों को मजबूत नहीं करके उसकी जड़ों को काटती है। इससे उनका पद सुरक्षित हो, यह कतई नामुमकिन है। मैं शिक्षा मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जो प्रार्थना की गई है उस पर गौर करके प्राथमिक शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाय, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा ही हमारे देश की नींव का पत्थर है। अगर आपकी नींव कमजोर होगी तो आपके महल, युनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेज नहीं चलने वाले हैं और यह फेल होने वाले हैं। मैं इतना ही कह कर अपना आसन ग्रहण करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री बृजसुन्दर शर्मा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (बूंदी) : माननीय चेयरमैन महोदय, शिक्षा के संबंध में मेरे दो कटौती के प्रस्ताव हैं। पहला कटौती प्रस्ताव इस बारे में है कि बूंदी नगर के सारे प्राथमिक स्कूल्स वहां की म्युनिसिपैलिटी चलाती है और म्युनिसिपैलिटी कई मर्तबा सरकार को यह लिख चुकी है कि ये स्कूल्स उनसे नहीं चल सकते हैं। वे इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन कई बार लिखने के बावजूद सरकार उन स्कूलों को अपने हाथ में नहीं लेती है। मुझे निवेदन करना यह है कि जब सरकार सब जगह प्राथमिक स्कूल्स चलाती है और गवर्नमेंट उनको अच्छे तरीके से चला सकती है तो वही एक नगर ऐसा क्यों हो जहां प्राथमिक स्कूलस एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के ताबे में नहीं हो, उनके तहत में नहीं हो ? इसका नतीजा यह होता है कि उनके स्कूलों का अच्छी तरह से इन्सपेक्शन नहीं होता है। न पढ़ाई का अच्छा स्तर होता है और न बैठने की अच्छी जगह है, न इमारतें हैं और लड़कों की तादाद दिन प्रति दिन बढ़ती हुई चली जाती है। म्युनिसिपैलिटी उस खर्चे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए वहां के नगर के बच्चों की तरक्की के लिए और उनके इन्ट्रेस्ट में यह जरूरी है कि वहां के बच्चे भी अच्छे नागरिक बनें, उनकी बुनियाद अच्छी तरह लगे, यह आवश्यक है कि उन स्कूलों को तुरन्त सरकार अपने हाथ में ले।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है कि अभी तक बूंदी में कॉलेज हुए काफी अर्सा हुआ और कई मर्तबा यह आश्वासन दिया गया कि वहां पर छात्रावास बनाया जायगा, लेकिन वहां मुश्किल से २ कमरे हैं, जहां भी लड़के नहीं रहते हैं और न रहने की व्यवस्था है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आश्वासन इस बारे में मिले हुए हैं कि छात्रावास का निर्माण किया जायेगा, पहले बजट में रकम सेंक्शन भी हुई थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

इस साल कहीं भी छात्रावास के लिए कोई रकम नहीं है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस ओर अवश्य ध्यान देगी और जल्दी से जल्दी कॉलेज के लिए छात्रावास-भवन का निर्माण किया जायगा।

श्री सभापति : श्री जयकृष्ण ।

श्री जयकृष्ण शर्मा (थानागाजी): सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव पंचायत समितियों के आधीन प्राइमरी स्कूल्स व शिक्षकों के संबंध में बहस करने हेतु हैं। मैं सबसे पहले सदन का ध्यान आपकी मार्फत इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहां तक प्राइमरी स्कूलों की व्यवस्था का संबंध है, २ अक्टोबर, १९५९ से प्राइमरी स्कूल्स पंचायत समितियां के आधीन आई। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की शुरूआत हुई और उसको तहत पंचायत समितियों के आधीन आने पर पंचायत समितियों के साथ उस एकतंत्र के अधिकारियों द्वारा जो कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण से जिनके दिल के अन्दर एक प्रकार की टीस थी उनका जो शुरूआत का कार्य था किस प्रकार के अध्यापक पंचायत समितियों को दिये गये, मैंने यह बात जब राजस्थान सरकार की अलवर में केबिनेट की मीटिंग हुई थी तब भी रखी थी और आज आपकी मार्फत सदन में रखना चाहता हूं। जो अध्यापक चाहे कितने ही सीनियोरिटी में थे, चाहे कितने ही जूनियोरिटी में थे, १ अक्टोबर की रात ही रात में किसी को मिडिल स्कूल में रखा गया, किसी को प्राइमरी स्कूल में रखा गया। बहुत से अध्यापक बहुत समय के बाद पंचायत समितियों को दिये गये। मिडिल स्कूलों में ज्यादा रखे गये। लेकिन खैर, राज्य के दो पहलू थे। पंचायत का बजट भी राज्य से मिलता है और पंचायतें राज्य से चलती हैं इसलिये उसके लिये मुझे बहुत बड़ी गिला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यवस्था थी, बड़ी बड़ी स्कूल्स थीं जिनमें हाई स्कूल से ज्यादा लड़के पढ़ते थे, रामगढ़ प्राइमरी स्कूल में ४५० लड़के होंगे जो पांचवी श्रेणी तक को शिक्षा पाते थे वहां एक पनिहारा था, चौथी श्रेणी तक पढ़ा हुआ था, पानी वाले का काम करता था। जब यह स्कूल पंचायत समिति के आधीन आई तो उसको वहां नहीं रखा गया। जहाँ नन्हें नन्हें बच्चे थे, जो स्कूल में जाकर पानी नहीं पी सकते थे, अपने आप उठा कर पानी नहीं पी सकते थे वहां पर उस पनिहारे को नहीं रखा गया। हाई स्कूल में सब के सब चपरासी दे दिये गये। मैंने इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स को लिखा; क्योंकि मैं प्रधान हूँ और पहले भी था। मैंने इस बात के लिये लिखा कि वहां पर पनिहारा नहीं है और ४५० लड़के हैं इस स्कूल में, पानी किस प्रकार से पिलाया जायगा, पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ४५० लड़के पानी बगैर रहें तो यह एक व्यवस्था की बात है? यह सब कुछ इसलिये हो रहा है कि लोकतंत्र को, विकेन्द्रीकरण को प्रजातंत्र में हम मानते हैं, लेकिन एकतंत्र को मानने वाले भी कुछ लोग राज्य की सेवा में बैठे हैं जो एकतंत्र में विश्वास रखते हैं। मैं इसके बहुत से उदाहरण दे सकता हूँ, पंचायत समितियों को कैसे अध्यापक दिये गये। जब से इसका निर्माण हुआ हमने बार बार लिखा क्योंकि पंचायत समितियों को अध्यापक दिये हैं उनसे मिडिल स्कूल्स में जो अध्यापक हैं उनके ग्रेड से इनके ग्रेड की

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

समानता नहीं है, इनको तरक्की नहीं मिलती है। जो चार साल से मिडिल स्कूल में अध्यापक हैं उनको ग्रेड मिल रहा है, इन्क्रीमेन्ट मिल रहा है लेकिन पंचायत समितियों के आधीन प्राइमरी स्कूल्स के अध्यापक जो बी. ए. और इन्टर पास हैं उनको भी ग्रेड नहीं मिल रहा है। आप इस ओर ध्यान दीजिये। वे आज ग्रेड से महरूम हैं। सरकार के किसी बड़े अधिकारी को ग्रेड नहीं मिलता तो टेलीफोन के द्वारा फाइल मिनिस्टर महोदय के घर पर पहुंच जाती है लेकिन अध्यापकों के लिये एक बार भी उत्तर नहीं मिला। तो मैं अध्यापकों के ग्रेड के बारे में सदन का ध्यान आपकी मार्फत आकर्षित करना चाहता हूं। ठीक है, बहुत सी प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक छोटी सी पंचायत समिति में ६३ प्राइमरी स्कूल्स हैं, २ मिडिल स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, बहुत बड़ा जाल बिछा है लेकिन बहुत से पहलू देखने पड़ेंगे। इसलिये कटौती प्रस्ताव द्वारा शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान खींचना चाहता हूँ कि पंचायत समितियों को आपने जो स्कूल्स दिये हैं, शिक्षक दिये हैं उनकी ओर गौर फरमाइये। दूसरे और जो मुलाजिम हैं उनका इन्क्रीमेन्ट बंद नहीं है। इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स कहते हैं पंचायत समिति जिला परिषद् से कहे, इस जाल से दूर हो, मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मैं और भी बातें रखता लेकिन टाइम नहीं है।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री मोतीलाल चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री गोविन्दसहाय ।

श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : सभापति महोदय, मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८, शिक्षा में १००) रु० की कटौती की जाय, पंचायत समितियों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों के ग्रेड सरकारी संस्थाओं के अध्यापकों के समान करने पर विचार करने हेतु ।

इसमें मेरा निवेदन करना यह है कि पंचायत समितियों के अध्यापकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। इस पर बहुत से माननीय सदस्यों ने पहले बताया है, मेरा भी यह निवेदन करना है शिक्षा मंत्रीजी से कि आज उनके साथ सौतेला बरताव किया जाता है इसके कारण कोई अध्यापक के पद पर आने को तैयार नहीं होगा। अगर किसी को नियुक्त किया भी जाता है तो वह दिलचस्पी के साथ काम इसलिये नहीं करता है कि उच्च शिक्षा पास करने के बाद भी ग्रेड पर ध्यान नहीं देते हैं। इन्टर या बी. ए. पास करने पर भी मैट्रिक ग्रेड में उनको रहना पड़ता है। जिला परिषदों की मीटिंग्ज़ में इस पर विचार हुआ है, शिक्षा मंत्रीजी को लिखा गया है लेकिन आज तक उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसका परिणाम यह होता है कि शिक्षा के मामले में उदासीन रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा मुझे निवेदन यह करना है कि उधर उनको तरक्की नहीं मिलने से पंचायत समितियों की पार्टी पोलिटिक्स में वे लोग पड़ते हैं। मैं दो पंचायात समितियों का मेम्बर हूँ इसलिये तजुर्बे के आधार पर कहता हूँ कि पार्टी पोलिटिक्स में दखल रखते

(श्री गोविन्दसहाय)

हैं और उधर से बच्चों से पैसा लेते हैं, पैसे देंगे तो पास कर दिया जायगा नहीं तो फेल कर दिया जायगा। मैं निवेदन करूं कि जो शिक्षा इतनी पवित्र मानी जाती थी, शिक्षा में करप्शन नहीं था और विभागों में करप्शन था लेकिन आज शिक्षा विभाग को भी उतना ही करप्ट बना दिया है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पंचायत समितियों के अध्यापकों के लिये विचार करें, उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षकों को भी ग्रेड नहीं मिलता है सो मिलना चाहिये, यह मेरा सुझाव है।

श्री सभापति : श्री फूलचन्द जैन।

(अनुपस्थित)

श्री पोहूमल।

श्री पोहूमल (अजमेर-पश्चिम) : आदरणीय सभापति महोदय, दो प्रस्ताव कटौती के सदन में मैंने पेश किये हैं। पहला प्रस्ताव है प्राइमरी एज्यूकेशन के बारे में। यदि प्राइमरी स्कूलों में खास तौर पर अजमेर शहर में जब हम देखने जाते हैं तो बच्चे ज्यादातर जमीन पर बैठे हुए होते हैं जिसमें बड़े बड़े खड्डे हैं। स्कूल की हालत यह है कि वहां न पूरे दरवाजे हैं, न बैठने को बैंच और मास्टर खुद टूटी फूटी मेज और कुर्सी पर विराजमान हैं। जो बच्चे जमीन पर, जिसमें खड्डे हैं, बैठते हैं और मिट्टी से भर जाते हैं, ऐसी हालत में बच्चों के ऊपर शिक्षा का क्या असर होगा, यह हर आदमी समझ सकता है। माननीय सभापति महोदय, बच्चे एक अनमोल हीरे हैं और जैसा कहा जाता है कि 'Child is the father of the nation' जैसी बच्चे को शिक्षा मिलेगी वैसा उसका ढांचा बनेगा और वैसा ही वह समाज के सामने आयेगा और जैसा समाज बनेगा वैसा ही देश बनेगा। इसलिए शिक्षा का जो खर्च हो रहा है, मेरे खयाल से वह ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों को सरकार ठीक तरह से शिक्षा नहीं दे पा रही है।

दूसरी खास बात, जिसे मैं सभापति महोदय, मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि कितने ही पुरुषार्थी टीचर्स अध्यापक हैं। उनके पेंशन के सवाल वर्षों से लटक रहे हैं और हाल ही में जैसा मुझे मालूम है, एक पुरुषार्थी अध्यापक रिटायर हो चुके और बूढे हो गये तो भी उनकी पेंशन के केस का कुछ नतीजा नहीं निकल सका। इतना ही नहीं हुआ, एक तरफ से जब पेंशन का लिफाफा पोस्ट मैन ले जा रहा था तो दूसरी तरफ से उसकी लाश निकाली जा रही थी। यह वैसा ही हुआ जैसा हमने फ़िरदोसी के 'शाहनामे' के बारे में पढ़ा था और सुना था। एक दूसरे मास्टर हमारी आंखों के सामने थे, वह हमारा पुरुषार्थी टीचर था, जिसके पास खाने को नहीं था और वह पेंशन के लिए ताकता रहा। जब मैं उससे मिला तो वह बीमार था। उसने मेरे को बहुत दुःख के साथ दो लफ्ज ये बताये :—

गुजरी जो हम पर, अगर हम सुना दें।
फरिश्ते भी आंखों से पानी बहा दें।

इन दो शब्दों से मेरे दिल में इतना दर्द हुआ कि मैंने सोचा कि न जाने कब इसके पेंशन के केस का फल निकलेगा और यह पेंशन के पैसों से

(श्री पोहूमल)

अपने बच्चों की गुजर कर सकेगा।

हमारे यहां जो स्कूलों में अध्यापक हैं वे वर्षों उन स्कूलों में रहने की वजह से पोलिटिक्स में ज्यादा भाग लेते हैं। मैं नहीं कहता कि कांग्रेस की तरफ से काम करते हैं। लेकिन सब तरफ कोई इधर कोई उधर काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि जब कोई भी अध्यापक पोलिटिक्स में हेबल करे तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाय, क्योंकि उसका असर बच्चों पर बुरा होता है। एक बच्चा जो बड़ा होकर अपने दिमाग से देश की सेवा करेगा उसमें पहले से जो असर जम जाता है, वह उतरता नहीं है। इसलिए ऐसे अध्यापकों को जो वर्षों से लगे हुए हैं, ट्रान्सफर करना भी, मैं समझता हूं, शिक्षा के हित में है।

इसके अलावा प्रोविंशियलाइज जिस स्कूल का किया गया है, जैसा...................

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

महात्मा गांधी विद्यालय, अजमेर का किया गया है, उसके मास्टरों को वर्षों से तनख्वाह सरकार नहीं दे पायी है....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

और वे बेचारे टीचर पूरी तरह सरकार को लिख लिख कर थक चुके हैं। तो उनका भी फैसला होना चाहिए....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

और कुछ अध्यापकों से ऑफिस में क्लर्क का

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

काम कराया जाता है वह भी बन्द होना चाहिए।

श्री सभापति : श्री ललितमोहन।

श्री ललितमोहन (गोगुन्दा-सु०) : सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर आर्षित करना चाहता हूं कि भोमट इलाका जिसको कहते हैं, वह उदयपुर में है। वह इलाका बिखरा हुआ इलाका है। वहां प्राइमरी स्कलों में जो टीचर्स आते हैं वे टीचर वहां की भाषा से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं। वहां की भाषा बिल्कुल अपने यहां से भिन्न है–न गुजराती से मिलती है, न बागड़ी से मिलती है, न मेवाड़ी से मिल पाती है। आप उदयपुर से आगे चले जाइये, कोटडा फलासियां तहसील पहाड़ी इलाका है। वहां के लोग आज ऐसे हैं जो रेल को नहीं जानते हैं और वहां की भाषा ऐसी है कि वे हिंदी नहीं समझते हैं, न गुजराती समझते हैं और न बागड़ी। वहां पर जो दूर दूर के टीचर जाते हैं, दूर के नहीं जो उदयपुर से भी जाते हैं तो वे वहां जाना पसन्द नहीं करते हैं। नाथद्वारा से जो टीचर जाते हैं वे भी वहां रहना पसन्द नहीं करते हैं और कई कोटडा, फलासियां जाकर वापिस आ जाते हैं। मूल समस्या यह है कि वे वहां की भाषा नहीं सनझते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

ऐसी स्थिति में जो टीचर यू. पी. से आये हैं वे उस भाषा को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि जो योग्यता का माप-दण्ड मेट्रिक रखा है, वह उस तहसील के लिए अहितकर है

(श्री ललितमोहन)

इसलिए जो वहां के स्थानीय मास्टर हैं, जो मिडिल हैं, नॉन मेट्रिक हैं, उनको मास्टर रखा जाय तो ज्यादा हितकर होगा, मेरी दृष्टि से क्योंकि आप लोग और आजकल जो गवर्नमेन्ट है, वह चाहती है कि आदिवासियों की ज्यादा से ज्यादा हर तरह से उन्नति हो। इस दृष्टि से मैं चाहता हूँ कि शिक्षा की दृष्टि से उनका विकास करना है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो स्थानीय मास्टर चाहे मिडिल हो, चाहे नान मेट्रिक हों, उन स्थानीय टीचर्स को रखने की कृपा करें। मैं खास करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, सभापति महोदय, आपके द्वारा खास तौर से निवेदन करना चाहता हूँ कि दा साहब इस ओर विशेष तौर पर ध्यान दें।

श्री सभापति : श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : माननीय सभापति महोदय, कटौती के प्रस्ताव तो बहुत ही प्रेम से मैंने बारह रखे हैं लेकिन क्या बताऊं समय इतना कम रह गया है कि मैं उनके साथ किसी प्रकार का शायद न्याय नहीं कर सकूंगा। समय बहुत कम है, मैं खुद महसूस करता हूं कि मैं बहुत कम बोलूंगा....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपके कट मोशन कट गये।

श्री मानसिंह महार : मैं समझता हूं कि अगर आज न लेकर कल इसे ले लिया जाय तो बहुत अच्छा हो। मैं भी आधा घंटा बोल सकूंगा....

श्री सभापति : डिमान्ड पर वोट कल होगा।

श्री मानसिंह महार : मुझे कल मौका दिया जाय। बारह कट मोशन्स हैं। उद्योग की डिमान्ड कल है, उसमें इतना समय नहीं लगेगा, वह जल्दी निबट जायगी। कल दोनों को ले लीजिये, मैं निवेदन करूंगा....

श्री सभापति : आप पृष्ठभूमि बनाने के बजाय बोल लें तो अच्छा हो।

श्री मानसिंह महार : बारह कट मोशन्स हैं। हर एक पर एक एक मिनट बोलूं तो बारह मिनट लगेंगे। आप सोच लीजिये, मेरे कट मोशन्स अपने तरीके के अनोखे हैं इनमें कोई रिपीटीशन नहीं है....

श्री सभापति : Is it the pleasure of the House to extend time by three minutes ?

('नहीं-नहीं' की आवाज)

श्री मानसिंह महार : कल मौका दिया जाय।

श्री सभापति : When it is not the pleasure of the House to extend time... आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मानसिंह महार : समाप्त दो मिनट में क्या करूं, आप फरमायें तो मैं बैठ जाऊं। आपको भी नाखुश करूं और दो मिनट में भूमिका भी नहीं बांध सकूं। बारह कट मोशन्स हैं....

('कल ले लें, कल ले लें' की आवाज)

श्री मानसिंह महार : दो मिनट मैं बोल लूं, फिर मुझे कल मौका दिया जाय।

श्री सभापति : You finish within two minutes.

श्री मानसिंह महार : कल कन्टीन्यू करेंगे और उद्योग की डिमान्ड को भी कल खत्म कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : कल कन्टीन्यू करेंगे।

श्री चन्दनमल वैद (उप-मन्त्री, उद्योग): कल उद्योग की डिमान्ड है और डिमान्ड का टाइम एक्सटेन्ड नहीं हो सकता।

श्री सभापति : सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बज कर ३० मिनट पर मंगलवार दिनांक १० अप्रैल, १९६२ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।]

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, ६ अप्रेल, १९६२)

	स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	२८४८

बेस्ट वेयर, सपोटरा पर पुलिया का निर्माण।

मैकेनाइज्ड फार्म की स्थापना।

विद्यालय-भवन का निर्माण।

राजस्थान-नहर।

बीघोड़ी की वसूली।

नहर के लिए अवाप्त भूमि का मुआवजा।

खराबा सिस्टम की भाखरा क्षेत्र में समाप्ति।

माही बांध की डूब में आये हुए ग्रामों के निवासियों के लिए किए गये राहत कार्य।

किशनगंज ग्राम में नहर के लिये अवाप्त भूमि का मुआवजा।

हायर सेकिन्डरी स्कूल।

भूमि-वितरण।

	स्कम्भ
वाणिज्य संस्थानों और दूकानों का पंजीयन।	
आय-व्ययक, १९६२-६३	
(द्वितीय अवस्था)	
अनुदानों की मांगों पर मतदान	२८७८
मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक २८-शिक्षा	२८८१

उपरोक्त मांग श्री हरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षा मन्त्री द्वारा प्रस्तुत की गई। इस मांग पर ६० कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

सदन की बैठक ५ बज कर ३० मिनट पर मंगलवार, दिनांक १० अप्रेल, १९६२ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, दिनांक १० अप्रेल, १९६२ की कार्य-सूची

१. मांग संख्या १५-शिक्षा (अग्रेत्तर वाद-विवाद एवं स्वीकृत)

२. मांग संख्या २१-उद्योग।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५६ का उत्तर देखिये)

राजस्थान नहर निर्माण का फेज्ड प्रोग्राम व सन् १६५६-६०, ६०-६१, व ६१-६२ में निर्माण के लिये रखी गई व खर्च की गई धन राशि व जो वास्तविक कार्य हो सका उसका विवरण।

पंजाब भाग

राजस्थान फीडर (११०.८ मील) का निर्माण कार्य मई, १६६३ तक पूरा करने का है। किन्तु कोयले और सीमेंट की कमी के कारण यह अवधि मई, १६६४ तक बढ़ सकती है।

राजस्थान भाग

१. नोरंगदेसर शाखा में सिंचाई खरीफ १६६१ को प्रारम्भ करना। यह लक्ष्य पूरा किया जा चुका है।

२. राजस्थान राज्य सीमा में बननेवाली राजस्थान नहर फीडर के २३.८ मील लम्बे पूरे हिस्से को जून, सन् १६६२ तक तैयार करना।

३. राजस्थान मेन केनाल पहली स्टेज-मील १२१.८।

१६६२	जून तक	१६ मील तक
१६६३	मार्च तक	२८ मील तक
१६६४	मार्च तक	४८ मील तक
१६६५	मार्च तक	५६ मील तक
१६६६	मार्च तक	७० मील तक
१६६७	मार्च तक	८० मील तक
१६६८	मार्च तक	१०१ मील तक
१६६६	मार्च तक	१२१ मील तक

४. मुख्य शाखायें, उपकुलिकायें (Distributaries) व राजवहा (Miners) (पहली स्टेज के)—

(क) नोरंगदेसर उपकुलिका पूर्ण हो चुकी।

(ख) रावतसर उपकुलिका १९६२ में पूर्ण हो जावेगी।

(ग) सूरतगढ शाखा:- इस शाखा के ऊपर के भागों की सिंचाई १९६२ से प्रारम्भ करने का लक्ष्य है। लेकिन इस ब्रांच का तमाम कार्य १९६४ तक पूर्ण हो सकेगा।

(घ) लो लेवल शाखा:-इस शाखा के ऊपर के भागों में सिंचाई १९६५ से प्रारम्भ करने का लक्ष्य है, लेकिन इस ब्रांच का तमाम कार्य १९६६ तक पूर्ण हो सकेगा।

(ङ) नोसेरा शाखा:-इस शाखा में १९६९ में सिंचाई आरम्भ हो सकेगी और इसी साल निर्माण कार्य भी पूरा हो सकेगा।

धनराशि जो रखी व खर्च की गई व वास्तविक कार्य जो हो सका।

पंजाब भाग

	बजट में रखी गई धन राशि	खर्च की गई धनराशि
सन् १९५९-६०	४,७०,०८,४५५	४,५९,६५,४९९
१९६०-६१	३,११,००,०००	३,०५,१४,३६२
१९६१-६२	३,५९,८२,०००	२,५४,५७,७६८ (२८ फरवरी ६२ तक के आंकड़े)

राजस्थान भाग

सन् १९५९-६०	१,६०,६२,२००	१,०९,६०,४५८
१९६०-६१	३,३०,००,०००	३,४४,८५,०००
१९६१-६२	३,२४,५७,५००	१,६५,३०,६३८ (२८ फरवरी, ६२ तक के आंकड़े)

वास्तविक कार्य जो हुआ उसका ब्योरा:-

	१९५९-६० के अन्त तक पूर्ण	१९६०-६१ के अन्त तक पूर्ण	१९६१-६२ (फरवरी के अन्त तक पूर्ण)
	(१)	(२)	(३)
पंजाब भाग			
नहर की खुदाई	४,८८९ लाख घन फीट	८,००० लाख घन फीट	१०,०४५ लाख घन फीट

	(१)	(२)	(३)
लाईनिंग	३ मील	३० मील	५४ मील
चुनाई का काम	३ नं० पूर्ण	१७ नं पूर्ण, ३० नं० काम चालू	२६ नं० पूर्ण, ४० नं० काम चालू।
राजस्थान भाग			
नहर की खुदाई	२,४५७ लाख घन फीट	५,५६६ लाख घन फीट	८,५७० लाख घन फीट
लाईनिंग	—	११.३२ मील	२५.१८ मील
चुनाई का काम	—	२ काम चालू	४ पूर्ण, ३५ काम चालू।

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६० का उत्तर देखिये)

नाम गांव	नाम जागीर
खारची	चन्द्रावल
हेमलियावास खुर्द	हेमलियावास
कारोलिया	आऊवा
विठुडा खुर्द	आऊवा
हिंगेला कलां	बुचेरी
गोदवास	पांचेटिया
बासनी जोजावर	बासनी जोजावर
गुडा हिन्दू	गुडा हिन्दू
गुडा ब्रजवा	गुडा ब्रजवा
बासौर	बासौर
देवली	आऊवा
जेतपुरी	आऊवा
जानुन्दा	आऊवा
इसाली	अमरसिंह की रावटी
भोजावास	भोजावास

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, ९ अप्रेल, १९६२)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
२८७७	१६	जहा	जहां
२८८४	अंतिम से ३	seni ortly	Seniority
२८९१	५	शमा	शर्मा
२८९३	१५	codition	condition
२९१५	शीर्षक	शार्षक	शीर्षक
२९२०	अंतिम से ३	राईमरी	प्राइमरी
२९३३	६	इमेर्जनरी	इमेजिनरी
२९५१	३	सेकिन्ट	सेकिन्ड
२९५९	४	म	में
,,	११	खेड़वाड़	खेड़वाड़ा
२९६५	९	अधिकार	अधिकार
२९६६	अंतिम से २	चम्बल	चम्बल
२९६७	२३	स्कावायर	स्क्वायर
२९७७	१३	समापति	सभापति
२९८१	१५	ग्रामों ? की	ग्रामों की
२९८३	१	मेटिट	मेरिट
२९९२	अंतिम पंक्ति	जरुरो	जरूरी
३०१७	१३	स्कूलों	स्कूलों के
,,	३०	सेट	सेंट
३०१८	१७	शीध्र	शीघ्र
३०२१	२	placad	placed
३०२३	अंतिम से ३	simplv	Simply

१	२	३	४
३०२५	२	स्कूलों	स्कूलें
३०३१	३	होने की	होने का
३०३२	३	नेशनेलाइजेइशन	नेशनेलाइज़ेशन
,,	२६–२७	अन्तर्राराष्ट्रीय	अन्तर्राष्ट्रीय
,,	अंतिम से २	पाठ्यपुस्तकों	पाठ्यपुस्तकों
,,	अंतिम पंक्ति	उनका	उनके
३०३३	अंतिम से३-२	जो जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूल जो जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूल	जो जूनियर हायर सेकिन्डरी स्कूल
३०३८	अंतिम से २	बे	वे
३०७५	६	स्कलों	स्कूलों